वैचारिकी

(चतुर्थ सोपान)

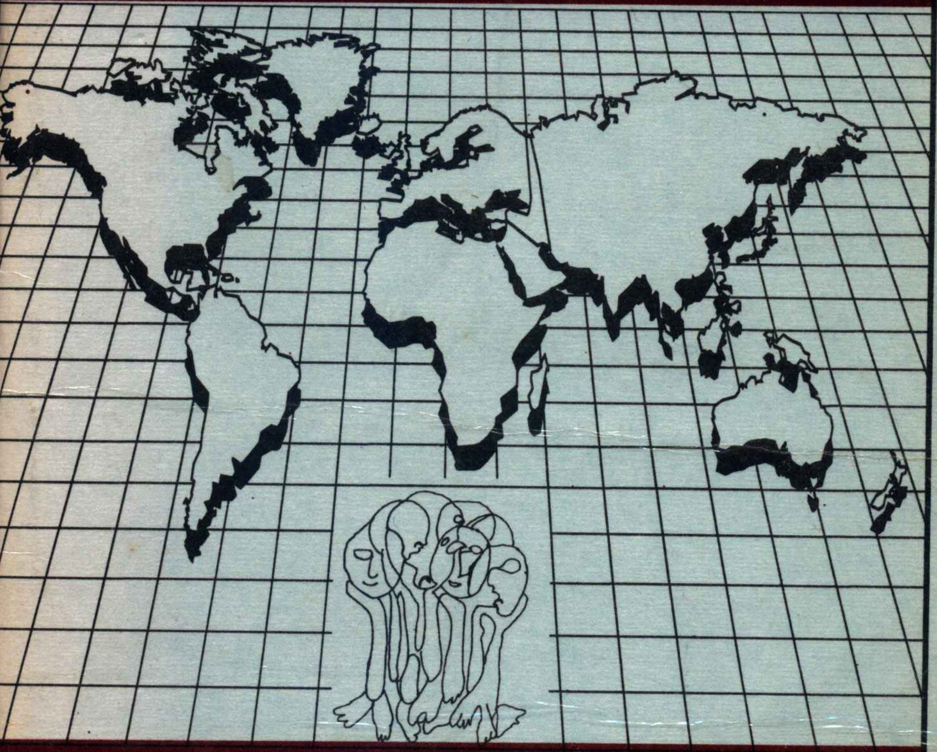

–: प्रस्तुतकर्ता :–

रवि कान्त खरे

(बाबा जी)

सेवानिवृत्त व्यापार कर अधिकारी

डी. एस. 13, निरालानगर, लखनऊ

दूरभाष : 387772

वैचारिकी

(चतुर्थ सोपान)

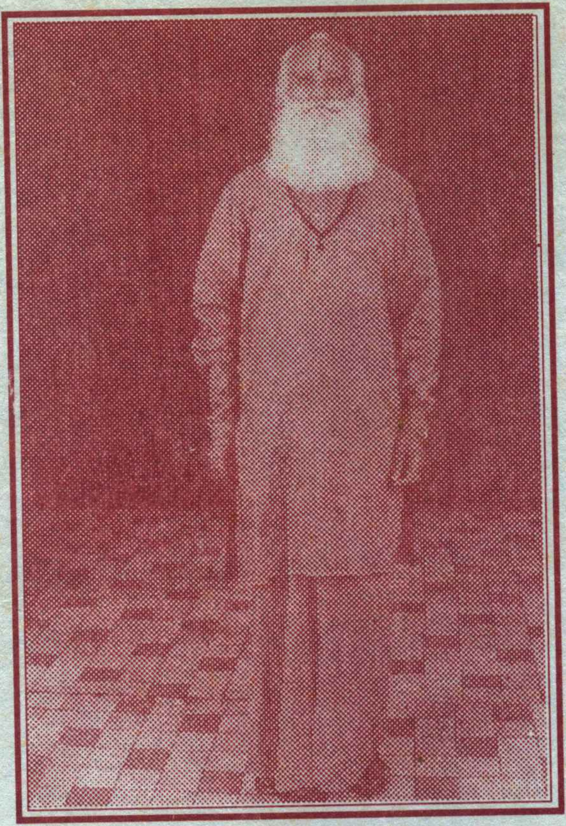

—: प्रस्तुतकर्ता :—

रवि कान्त खरे

(बाबा जी)

सेवानिवृत्त व्यापार कर अधिकारी

डी.एस.-13, निराला नगर, लखनऊ

दूरभाष : 387772

वैचारिकी

(चतुर्थ सोपान)

प्रस्तुतकर्ता : रवि कान्त खरे (बाबा जी)
सेवानिवृत्त व्यापार कर अधिकारी
डी-एस-13, निरालानगर, लखनऊ
दूरभाष : 387772

प्रकाशक : सर्वहितकारी सेवा संस्थान
डी.एस.-13, निराला नगर, लखनऊ
दूरभाष : 387772

प्रथम संस्करण : 2002

मूल्य : दान स्वरूप जो दिया जाय

मुद्रक : एन. ट्रेडिंग कम्पनी
गनेशगंज लखनऊ

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
कार्यकारी अध्यक्ष
अखिल भारत हिन्दू महासभा, उत्तर प्रदेश
26ए, खुर्शेदबाग, लखनऊ
के सौजन्य से

"है आरिफों के दिल में भगवन मुकाम तेरा।
और वेद पाठियों के लब पर है नाम तेरा।।
काशी के बुतकदों में कुछ तू ही नहीं मुकैयद।
हर जाँ है तेरा मन्दिर, हर जी है धाम तेरा।।
जपते हैं तुमको प्यारे दुनियाँ के जीव सारे।
हस्ती का तेरी शाहिद हर एक काम तेरा।।
दिल साफ कर लिया है दुनियाँ के मल से जिसने।
वह देखता है दिल में दर्शन मुदाम तेरा।।"

"शहंशाहे - जहान है, साइल हुआ है तू।
पैदाकुने - जमान है, डाइल हुआ है तू।।
सौ बार गरज़ होवे, तो धो-धो पिये कदम।
क्यों चरखो-मिहरो-माह पे माइल हुआ है तू।।
खंज़र की क्या मजाल कि इक ज़ख्म कर सके।
तेरा ही है खयाल कि घायल हुआ है तू।।
क्या हर गदा-ओ-शाह का राज़िक है कोई और।
इफ़लासो तंगदस्ती का काइल हुआ है तू।।
टाइम है तेरे मुजरे के मौके की ताक में।
क्यों डर से उसके मुफ़्त में जाइल हुआ है तू ।।
हमबगल तुझसे रहता है हर आन राम तो।
बन परदा अपनी वस्ल में हाइल हुआ है तू।।"

समर्पण

यह प्रस्तुति

समस्त मतावलम्बियों, धर्मावलम्बियों

एवं

समस्त आलिमों व विद्वानों

तथा

समस्त नागरिकों व विचारकों

को

सादर समर्पित

है।

"तू को इतना मिटा कि तू न रहे।
और तुझमें दुई की बू न रहे।।
जुस्तजू भी हिसाबे-हसना है।
जुस्तजू है कि जुस्तजू न रहे।।
आर्जू भी विसाले - परदा है।
आर्जू है कि आर्जू न रहे।।"

कुछ अपनी बात......

"वैचारिकी (तृतीय सोपान)" की प्रस्तुति के साथ ही इस आकिंचन ने लेखन के कार्य से विराम लेना चाहा था। एक ओर पाठकों की ओर से अनुरोध आया कि लेखन का कार्य जारी रक्खा जाय और दूसरी ओर प्रभु की ओर से संकेत मिला कि "मेरे मन कुछ और है, तेरे मन कुछ और", दस तक के अंक का रहस्य तो तूने समझ लिया, अब ग्यारह के अंक का रहस्य तू समझ। तूने यह तो जान लिया कि "प्रतिभा" को "भगवान्" समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, अब यह भी रहस्य समझ कि "ईश्वरेच्छा" ग्यारहवाँ "तत्व" है। मैं अभी तुझे विराम देना नहीं चाहता और 'बस' करना, तेरे 'वश' में नहीं है।

इस रहस्यपूर्ण पृष्ठभूमि में प्रभु की प्रेरणा से विचार आते गये, शब्दों का आकार लेते रहे, वैचारिकी का चतुर्थ सोपान तैयार हो गया और विचारों में "चतुर्भुज रूप" का दर्शन हुआ। अब पाठक उस दर्शन का दिग्दर्शन करें "वैचारिकी (चतुर्थ सोपान)" की प्रस्तुति में।

अब यह आकिंचन अपने मन से विराम लेने की बात नहीं सोचेगा। इस आकिंचन को विश्वास है कि कम से कम वैचारिक धरातल पर तो कुछ न कुछ प्रभाव यह प्रस्तुति पाठकों पर अवश्य डालेगी, चाहे वह प्रभाव सुखद हो या दुखद, अनुकूल हो या प्रतिकूल और रुचिकर लगे या अरुचिकर। हर भाव का प्रभाव होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर कृत्य का परिणाम होता है।

कतिपय अच्छे लोगों ने ''वैचारिकी'' के प्रकाशन व्यय को वहन करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की। यह आकिंचन उनका आभारी है। पूर्व पुस्तकों की भांति इस पुस्तक का भी कोई मूल्य नहीं रक्खा गया है।

यदि कहीं कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो, तो पाठक इस आकिंचन को क्षमा करें।

होली के अवसर पर शुभकामनाओं सहित,

रवि कान्त खरे
(बाबा जी)

लखनऊः
दिनांक : 28 मार्च, 2002

पृष्ठभूमि

जब तक "वैचारिकी" का अनुशीलन करने के पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में निम्नलिखित कुछ मौलिक एवं यथार्थ बातों को दृष्टिगत नहीं रक्खा जायगा, तब तक निष्पक्ष भाव से "वैचारिकी" का अर्थ, भावार्थ, आशय एवं उद्देश्य न सही-सही व ठीक-ठीक समझा जा सकेगा और न हृदयंगम हो सकेगा।

इस्लामिक विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिमों की ओर से मुस्लिम आलिमों आदि की कुछ महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ :

(1) *श्री मदनी के अनुसार* हिन्दुस्तान तभी से मुस्लिमों की दृष्टि में दारुल-हरब (दुश्मन देश) बन गया था, जबसे यहाँ मुस्लिम शासन समाप्त हुआ। यह देश तब तक दारुल-हरब रहेगा, जब तक कि यहाँ गैर-मुसलमानों का वर्चस्व कायम रहेगा।

(2) *डा. किचलू के अनुसार* यद्यपि हमारा आदर्श एक मुस्लिम राज है, तथापि भारत की परिस्थिति अजीब व विलक्षण होने से, हिन्दुओं की भागीदारी से यहाँ एक इस्लामिक राज से काम चल जायगा।

(3) *श्री मदनी के अनुसार* यह परम आवश्यक है कि भारत में दृढ़ता से इस्लामिक शासन स्थापित हो।

(4) *श्री मदनी के अनुसार* भारत में इस्लामिक राज के लिए भारत के मुस्लिम आलिमों ने जी तोड़ एवं अतिशय कोशिश की, किन्तु दुःख है कि अन्तिम प्रयोजन व मकसद पूरा नहीं हो सका।

(5) श्री मदनी के अनुसार इस्लामिक 'ताबीघ' (धर्मान्तरण कार्यकलाप) के लिए भारत भूमि अच्छा कार्य-क्षेत्र है और इस बेहतरीन काम के लिए गैर-मुस्लिम कच्चे माल के समान हैं।

(6) *श्री मौदूदी के अनुसार* हम पूरे भारत को इस्लामिक भूमि बनाना चाहते थे।

(7) *श्री दुर्रानी के अनुसार* शेष भारत को जीतने के लिए पाकिस्तान का निर्माण एक आधार के रुप में आवश्यक था।

(8) *सर सैयद के अनुसार* अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने पर अल्पसंख्यक मुस्लिम सीमापार के मुसलमानों की सहायता से यहाँ राज करेंगे।

(9) *श्री जिन्ना के अनुसार* हमारे मजहब एवं मजहबी मतानुसार एक पतित मुसलमान भी गाँधी जी से बेहतर है।

(10) *पैगम्बर साहब के अनुसार* एक मुस्लिम गुलाम भी एक मूर्तिपूजक, चाहे वह मुस्लिमों को कितना ही अच्छा प्रतीत क्यों न हो, से बेहतर है।

(11) *जमाते इस्लामी के अनुसार* जब सारे भारतीय इस्लाम को गले लगा लेंगे, तब भारत में धार्मिक संघर्ष समाप्त हो जायगा।

(12) *अ़बुल कलाम आजाद के अनुसार* भारत जैसे देश, जो एक बार मुस्लिमों के शासनाधीन रह चुका था, को कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ के मुस्लिमों पर ही आश्रय था कि वे अपने खोये हुए नियन्त्रण को पुनः प्राप्त करने के लिए जी तोड़ कोशिश एवं संघर्ष करें।

(13) *सर फज़ी हुसैन के अनुसार* हिन्दू राजनीतिज्ञों को यह सत्य बताने में आपत्ति नहीं है कि भारत में मुस्लिम शासन की ओर हम मुस्लिमों की दृष्टि है और हमारी आगामी चाहना है कि भारत पर मुस्लिमों का शासन हो। यह सत्य बताकर हिन्दू राजनीतिज्ञों को औज़ार के रूप में प्रयोग करने में हमें आपत्ति नहीं है।

(14) *हकीम अजमल खाँ के अनुसार* भविष्य के इस्लामिक परिसंघ की कड़ी में एक छोर पर भारत है और दूसरे छोर पर एशिया माइनर है। बीच में बहुत से राज्य हैं। वे एक महान इस्लामिक व्यवस्था में धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से साथ जुड़ रहे हैं।

(15) *मौ. अब्दुल बारी के अनुसार* हम बिच्छुओं व साँपों के साथ शान्ति से रह सकते हैं, किन्तु इस्लाम को छोड़ने व त्यागने वालों के साथ नहीं रह सकते।

(16) *श्री शहाबुद्दीन के अनुसार* हमारे लिए शैरियत ईश्वरीय कानून है, जिसका एक-एक शब्द पवित्र है, जिसका एक नुक्ता भी छोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम शैरियत के मार्ग से थोड़ा भी हटे, तो हम मुसलमान नहीं रह जाते।

(17) *एक हदीस एवं सैयद कुतुब के अनुसार* सारी धरती मुस्लिमों की है और वे ही उसके स्वामी हैं। अपनी धरती को काफ़िरों से मुक्त कराना उनका धर्म है, अधिकार है।

(18) *श्री बेग के अनुसार* इस्लाम व कुरान को छोड़ कर सारे दूसरे धर्म निरस्त हो गये हैं और सारे दूसरे धर्म-ग्रन्थ अपनी उपादेयता खो चुके हैं।

यदि यही सब इस्लाम है और इस्लामिक विचारधारा है, तो खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि–

(1) पड़ोसी इस्लामिक देश भारत के विरुद्ध खुराफात करते रहेंगे, शान्त नहीं बैठेंगे और भारत में तोड़-फोड़ कराने से बाज नहीं आएंगे। भारतीय मुस्लिम भी किसी न किसी रूप में उनका सहयोग करेंगे, उनकी भर्त्सना नहीं करेंगे।

(2) भारत के शासन में मुस्लिमों का वर्चस्व हो और भारत पर मुसलमान राज करें, यह सारे मुस्लिमों का स्वपना है। कदाचित एक भी मुसलमान इस चाहना से विरत नहीं हो सकता। इस चाहना के मद्देनजर कदाचित एक भी मुसलमान भारत का हितैषी नहीं हो सकता। इस दृष्टि से कदाचित एक भी मुसलमान उदारवादी नहीं हो सकता वरन् उसका दृष्टिकोण कट्टरवादी ही रहेगा।

(3) उक्त परिप्रेक्ष्य में कदाचित एक भी मुसलमान सर्वधर्म समभाव का समर्थक नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता एवं विश्वसनीय नहीं हो सकता।

(4) भारत में मुस्लिम मजबूरीवश रह तो लेगा, किन्तु भारत का अच्छा नागरिक नहीं बन सकेगा, क्योंकि एक मुस्लिम विद्वान् श्री बेग ने कहा था कि "यह सत्य है कि इस्लाम का ईमानदारी से अनुसरण एवं अनुकरण करते हुए भारत का अच्छा नागरिक होना असम्भव है।"

(5) यहाँ का कदाचित एक भी मुसलमान भारत के विरुद्ध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एवं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की भर्त्सना नहीं करेगा और 'सिमी' जैसे संगठन को तथा लादेन जैसे आतंकवादी को बुरा नहीं बतायेगा।

(6) भारत को बाहर से तो बहुत खतरा है ही, उसे भीतर से भी भारी खतरा है।

(7) यहाँ का कदाचित एक भी मुसलमान यह नहीं चाहेगा कि भारत में समान नागरिक आचार संहिता बने और संविधान से धारा-370 हटे एवं गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगे।

(8) भारत का कदाचित कोई मुस्लिम या मुस्लिम संगठन अथवा तुष्टीकरण की नीति का कोई समर्थक 'पोटो' जैसे कानून को उचित नहीं मानेगा, यद्यपि देशहित में ऐसे सख्त कानून की वर्तमान में परम आवश्यकता है।

(9) विगत में मुस्लिमों द्वारा हिन्दुओं का जबरन धर्मान्तरण कराने एवं हिन्दू धर्मस्थलों का विध्वंस किए जाने तथा मन्दिरों में मस्जिदों की स्थापना कराये जाने की बातों को मुस्लिम अनुचित नहीं कह सकते और इन तथ्यों को वे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब जघन्य कृत्य इस्लाम की खातिर किये गये थे, इसलिए उन्हें धार्मिक कृत्य माना गया था। इस सन्दर्भ में ही एक मुस्लिम आलिम सर फजी हुसैन ने कहा था कि "गजनी के सुल्तान महमूद एवं औरंगजेब द्वारा शुरु किए गए अच्छे कार्यों को मुस्लिम जारी रक्खें।"

(10) मुस्लिम सदैव से आक्रामक रहे हैं। उनका धर्म व उनकी संस्कृति उन्हें आक्रामक होने की सीख देती है। हिन्दू धर्म व हिन्दू संस्कृति सुरक्षात्मक दृष्टि का प्रतिपादन करती है। अतः टक्कर आक्रामक चिन्तन एवं कार्यशैली का सुरक्षात्मक चिन्तन एवं कार्यशैली से रहा व है। इसी से इस्लाम के लिए भारतभूमि को उपयुक्त समझने और हिन्दुओं को कमजोर समझने की हिम्मत की गई।

(11) अधिकांश मुस्लिम नहीं चाहते कि मन्दिर-मस्जिद विवाद खत्म हो। उनकी चाहना है कि टूट गई बाबरी मस्जिद के नाम पर टन्टा बराबर बना रहे, क्योंकि टन्टे के लिए ही उनके पूर्वजों ने रामजन्मभूमि परिसर में मस्जिद स्थापित कराई थी। यही काम कृष्ण जन्मभूमि परिसर में एवं विश्वनाथ मन्दिर परिसर में किया गया था।

मुस्लिम नेता जानते हैं कि बाबरी मस्जिद यदि थी, तो उसका पूजा-स्थल के रूप में कोई इस्तेमाल नहीं था। वह तथाकथित मस्जिद असुविधाजनक स्थान पर स्थित थी, चारों ओर से मन्दिरों से घिरी हुई थी, आस-पास मुस्लिमों की आबादी भी नहीं थी, जबकि दूसरी कई मस्जिदें सुविधाजनक स्थानों पर पूजा के लिए उपलब्ध

थीं। फिर भी वे जानबूझ कर झगड़ा बनाये रखना चाहते हैं और दूसरा कोई विकल्प स्वीकार नहीं करना चाहते। इसी प्रकार विगत में भारत के बटवारे को बचाने हेतु गाँधी जी ने जिन्ना के समक्ष कई विकल्प रक्खे थे, किन्तु वह नहीं माने थे। आज मुस्लिम मन्दिर-मस्जिद प्रकरण के सन्दर्भ में धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं, किन्तु शैरियत का कोई मामला उत्पन्न हो जाय, तो धर्मनिरपेक्षता का भाव जड़ से गायब हो जाएगा। यदि वे वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं, तो समान नागरिक आचार संहिता बनाने एवं संविधान से धारा ३७० को निकालने में तथा गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने में अड़ंगा क्यों बने हुए हैं, सर्वधर्म समभाव को स्वीकार क्यों नहीं करते तथा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एवं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की भर्त्सना क्यों नहीं करते ? नेतागण एवं जनता इन प्रश्नों के विषय में चिन्तन करें।

(12) जिसे राम-मन्दिर से लगाव होगा, उसे देश से भी लगाव हेागा और जिसे राममन्दिर से लगाव नहीं होगा, उसे देश से भी लगाव नहीं होगा। राम-मन्दिर की अपेक्षा बाबरी-मस्जिद से लगाव हेाना देश-हित की बात नहीं होगी। यदि अयोध्या के मन्दिर-मस्जिद विवाद में मुस्लिम हार गये, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि उस स्थल पर पूजा के लिए बाबरी मस्जिद की न पहले कोई उपादेयता थी और न आगे वहां किसी मस्जिद की पूजा हेतु कोई उपयोगिता होगी। यदि हिन्दू जीत गये, तब भी मुस्लिमों की ओर से कुछ न कुछ बखेड़ा किया जाता रहेगा। यदि पूर्ववत स्थिति बनी रही, तो भी टन्टे की जड़ कायम रहेगी। सभी को समझना चाहिए कि राम-मन्दिर का निर्माण राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसको हल करना राष्ट्र-हित का कार्य है।

(13) हाल में 12 मस्जिदें पाकिस्तान में ध्वस्त की गईं, जिन्हें अन्यत्र स्थापित किया जाएगा। फिर यहां एक बाबरी मस्जिद गिर ढांचा गिर जाने पर इतनी हाय-तौबा क्यों और क्यों उसकी पुनर्स्थापना अन्यत्र नहीं की जा सकती ? यह प्रश्न विचारणीय है।

(14) इस्लामिक आतंकवाद के तहत मुम्बई बम काण्ड, सांसद-भवन काण्ड, गोधरा काण्ड जैसे काण्ड तो होते ही रहेंगे। चिन्ता एवं चिंतन का मुख्य विषय तो यह है कि जातिगत राजनीति एवं तुष्टीकरण की नीति से

देश विखण्डित होगा और जब तक इस्लामिक आतंकवाद का सफाया नहीं होता, तब तक अमन-चैन नहीं रह सकता।

अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब तक मुस्लिमों के स्तर से भी भारतीय चिन्तन का अनुगमन नहीं होगा, तब तक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था सार्थक नहीं होगी और हिन्दू-मुस्लिम समस्या का निदान नहीं होगा। नेताओं को किसी दशा में हानि नहीं होगी, वरन् हर हाल में उनका फायदा ही होगा। त्रास्दी पहले भी जनता को झेलनी पड़ी, अब भी झेलनी पड़ रही है और आगे भी झेलनी पड़ेगी। अतः जनता को ही सचेत होना है।

मुस्लिम तो अपने हितों के प्रति पहले से सजग हैं, अपने वोट की कीमत जानते रहे हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहे हैं, अपने को असलहों से लैस करते रहे हैं, अपने हितों के विरुद्ध जो भी बात उन्हें दिखी, उसका विरोध करते रहे हैं और अधिकाधिक अधिकारों की मांग करते रहे हैं तथा हिन्दू नेताओं को जताते रहे हैं कि कुर्सी पाने के लिए वे मुस्लिमों पर आश्रित हैं।

अतः देखा जाय, तो हिन्दुओं को अधिक सजग, सावधान, जागरुक, सतर्क, संगठित व सबल होने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी सहायता स्वयं करनी है। इस पृष्ठभूमि में समन्वय एवं सामान्जस्य का कोई रास्ता निकालना देश व समाज के हित में परम आवश्यक है। सही चिन्तन तभी हो सकता है, जबकि यथार्थ बातों की जानकारी हो। अतः तथ्यों को छुपाना, उन्हें उजागर न करना वरन् नजरअन्दाज करना लाभकारी व श्रयेस्कर नहीं है। "वैचारिकी" में कोई पूर्वाग्रह, कोई दुर्भावना और कोई दुराग्रह निहित नहीं है वरन् उसमें देश व समाज के हित में एक कल्याणकारी आग्रह निहित है।

वर्तमान विषम स्थिति यह है कि नेतागण अपनी स्वार्थ-सिद्धि हेतु जातिगत राजनीति खेल रहे हैं, अवसरवादिता का परिचय दे रहे हैं, तुष्टीकरण की निति के अनुगामी बने हुए हैं, जनता को हर तरफ से गुमराह कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और लम्बे-लम्बे झूठे वादे कर रहे हैं तथा मात्र विरोध के लिए एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। देश व समाज के हित की बातें समान रूप से सभी को समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बात किसी की दृष्टि में तो देश व समाज के हित की हो, किन्तु वही बात किसी दूसरे की दृष्टि में देश व समाज के लिए घातक हो। यह दृष्टि का दोष है। स्वार्थ एवं पक्षपात के कारण दृष्टि दूषित हो जाती है।

अतः चिन्तन एवं आचरण में परिमार्जन करना नितान्त आवश्यक है।

रवि कान्त खरे

(बाबा जी)

Some alarming statements of Muslim Alims :

M.R.A. Beg :

" It was not so much that Aurangzeb was anti-Hindu, but that Islam was, and is irreconcilable with Hinduism - if only Indians will learn that a dogmatic and doctrinaire Quranic Islam can not fit into a non-Muslim environment."

Abu Bakr ibn-al-Arab :

" Jihad verse has abrogated 124 verses teaching forbearance with Kafirs."

"Jihad is the religious duty of every Muslim to make effort in converting Darul Harb into Darul Islam."

" Jihad may include preaching , motivation, militantism, insurgence, guerilla action , invasion and finally massacre of Kafirs also, if conditions for such action are favourable."

G.S. Jansen (a Muslim) :

" Religion and politics are the two sides of the same coin."

Dr. Mushirul Haq :

"In Islamic thought itself religion and politics have been so closely interwoven that they could not be conceived of separately."

M.R.A. Beg :

"Inspite of the contradictions it would seem, in the final analysis, that neither the Quran nor Mohammed advocated humanism or even co-existence between Muslims and non-Muslims and that Islam, with all its apparatus, was conceived and devised as the religion to end all religions."

उद्बोध—सुबोध

आक्रामक कार्यशैली एवं सुरक्षात्मक कार्यशैली में मौलिक अन्तर है। इस्लामिक चिन्तन आक्रामक कार्यशैली की दिशा दिखाता है, जबकि वैदिक चिन्तन सुरक्षात्मक कार्यशैली की दिशा दिखाता है। मुसलमान काफिरों का विनाश चाहते हैं, किन्तु काफ़िर मुसलमानों का विनाश नहीं चाहते हैं। यदि काफ़िर भी मुस्लिमों का विनाश चाहने लगें, तो बराबर का बदला हो जाय। मुस्लिम भारतीय संस्कृति के विनाश की बात सोचते हैं, जबकि हिन्दू भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की बात सोचते हैं। मुसलमान गैर-मुसलमानों को एवं उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं और यदि गैर-मुसलमान भी मुसलमानों को एवं उन की संस्कृति को नष्ट करना चाहें, तब बराबर का बदला हो जाय। कुरान में कहा गया है कि यदि मुस्लिम अपने ऊपर हुए जुल्म व ज्यादती का बदला लेना चाहें, तो बस बराबर का बदला ले लें। यही बात गैर-मुस्लिमों के लिए भी कही जाती, तो ठीक थी। अब भी देर नहीं हुई है। यदि गैर-मुस्लिम भी अपने ऊपर हुए जुल्म व ज्यादती का बदला लेना चाहें, तो बराबर का बदला ले लें। फिर विगत में हिन्दू धर्म-स्थलों का विध्वंस क्यों किया गया था और वर्तमान में बौद्ध प्रतिमाओं को क्यों तोड़ा गया ? हिन्दू जनाक्रोश के कारण एक बाबरी मस्जिद का ढाँचा गिर गया, तो इतनी हायतौबा क्यों, जबकि यह तो बराबरी का बदला भी नहीं कहा जा सकता ? विगत एवं वर्तमान का कोई सवाल नहीं है। कोई कभी भी ज्यादती व जुल्म कर सकता है और कोई कभी भी उस ज्यादती व जुल्म का बदला ले सकता है। इसमें समय का कोई महत्त्व नहीं है। क्या मस्जिद तोड़ने की मनाही है और मन्दिर तोड़ने की इजाज़त है ? हमेशा से मन्दिरों का अधिक विध्वंस होता रहा है। बात को नेताओं ने ही तूल दिया है। दूसरी बात यह है कि जब कोई बदला लेने चलेगा, तो क्या इस बात का ध्यान रख सकेगा कि केवल बराबर का बदला लिया जाय ? यहाँ तो बे बात की बात का बदला लेने पर लोग उतारु हो जाते हैं। किसी धर्म ग्रन्थ के द्वारा बदले की बात बताना ही गलत है और बदले की उस बात को ग्रहण करना और भी गलत है।

"जैसे को तैसा" का सिद्धान्त कहता है कि यदि मुस्लिम हिन्दुओं को काफ़िर मानते हैं, तो हिन्दू भी मुस्लिमों को काफ़िर मानें। समन्वय का उचित सिद्धान्त है "जियो और जीने दो," इस सिद्धान्त पर चलने से ही शान्ति, अहिंसा एवं भाईचारे की बात सार्थक होगी, अन्यथा "सठे साठ्यम समाचरेत्" का सिद्धान्त ही श्रयेस्कर होगा। भ्रष्टाचारियों एवं दुराचारियों से लड़ना वाजिब हो सकता है। अपराधियों एवं दुष्टों से लड़ना वाजिब हो सकता है। किन्तु

मुस्लिमों का गैर-मुस्लिमों से लड़ते रहना मानवता की दृष्टि से कदापि वाजिब नहीं माना जा सकता। एक धर्मावलम्बी दूसरे धर्मावलम्बी से लड़े, यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। यदि कोई धर्म इस तरह की लड़ाई की बात करे, तो उसे धर्म कैसे माना जा सकता है ? वह तो स्पष्टतः धार्मिक उन्माद की बात होगी। अतः जातिगत लड़ाई करने अथवा साम्प्रदायिक दंगा-फसाद करने का कोई औचित्य नहीं है। कोशिश यह होती है कि हिन्दुओं को साम्प्रदायिक बताया जाय और मुस्लिमों को असाम्प्रदायिक बताया जाय, जबकि मुस्लिम धर्मानुसार ही साम्प्रदायिक हैं, किन्तु हिन्दू धर्मानुसार साम्प्रदायिक नहीं हैं। पहले चरण में हिन्दुओं को साम्प्रदायिक बताने का दुष्प्रयास किया गया। दूसरे चरण में अब यह बताने का दुष्प्रयास किया जा रहा है कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण नहीं हो रहा है वरन् हिन्दुओं का तुष्टीकरण हो रहा है। मुस्लिमों की कार्यशैली भी आक्रामक है, जबकि हिन्दुओं की कार्यशैली सुरक्षात्मक है। क्या भारत का चिन्तन एवं उसकी कार्यशैली पाकिस्तान के प्रति आक्रामक है ? नहीं, वरन सुरक्षात्मक है। क्या पाकिस्तान का चिन्तन एवं उसकी कार्यशैली भारत के प्रति सुरक्षात्मक है ? नहीं, वरन् आक्रामक है। इसी से समझा जा सकता है कि भारतीय मुसलमानों का चिन्तन एवं उनकी कार्यशैली भारतीय हिन्दुओं के प्रति आक्रामक है, जबकि भारतीय हिन्दुओं का चिन्तन एवं उनकी कार्यशैली भारतीय मुसलमानों के प्रति सुरक्षात्मक है। इसी से उधर पाकिस्तान को शह मिलती रही और इधर मुस्लिमों को शह मिलती रही। यही अन्तर की बात सारी विपत्ति की जड़ है। आवश्यकतानुसार बदलाव बेहतरी का उपाय है। दूसरे को आदर देना एक उपाय है स्वयं के लिए आदर पाने का।

हिन्दू - मुस्लिम समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, जिसे धर्मनिरपेक्षता का गाना गाकर कोई चुटकियों में हल कर लेगा। यह पहाड़ जैसी समस्या है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली है। इसलिए इस आकिंचन का मत है कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता बननी चाहिए और संविधान से धारा-370 हटनी चाहिए एवं गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगना चाहिए, तभी देश का संविधान शैरियत रूपी संविधान पर वर्चस्व प्राप्त कर सकेगा और धर्मनिरपेक्ष संविधान सर्वोपरि माना जाएगा। हिन्दुओं से सारी बात मनवा लेना और मुस्लिमों से कोई बात न मनवा पाना, यह कौन सी विधा है ? मुस्लिमों से एक बात तो मनवाई नहीं जा सकती कि वे सर्वधर्म समभाव के साथ मिलजुल कर अमनचैन से रहेंगे, किन्तु धर्मनिरपेक्षता का भारी सिद्धान्त लागू करने की कोशिश है। अब इसे क्या कहा जाय ? भारत के विरुद्ध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एवं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की यहाँ के मुसलमान धार्मिक विवशता के कारण कभी

भर्त्सना करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये दो बातें कसौटी हैं, जिनपर मुस्लिमों को कस कर उनकी असलियत जानी जा सकती है। मुस्लिम भारत के कितने हमदर्द हैं, इसकी वास्तविक जानकारी जरा से प्रयास से हो जाएगी और रहस्य खुल जायगा। गोधरा काण्ड में जब मुस्लिमों (चाहे वे बाहर के ही क्यों न हों) ने हिन्दुओं को जिन्दा जलाया, तब यहाँ के मुस्लिम लगभग मौन रहे, किन्तु जब गुजरात में साम्प्रदायिक हिन्सा भड़की, तब यहाँ के मुस्लिम कटु आलोचक बन गए। वर्षों से काश्मीरी हिन्दुओं का मुस्लिमों के हांथों बध होता रहा, किन्तु यहाँ के मुस्लिमों ने हायतौबा नहीं मचाई। यह आकिंचन कह चुका है कि जब अप्रिय घटनाओं के तहत मुस्लिमों को अधिक क्षति होती है, तब मुस्लिम समुदाय हायतौबा मचाता है, किन्तु जब हिन्दुओं को अधिक क्षति होती है, तब मुस्लिम समुदाय मौन धारण कर लेता है। यह इस्लामिक राजनीति है। इस्लाम मजहब और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

कुछ लोग विना सोचे समझे कह देते हैं कि मानवधर्म नाम का एक धर्म हो जाय और मानव-जाति रूप एक जाति हो जाय, तो सारी समस्या हल हो जाय। मुस्लिम तो पहले से चिल्ला रहे हैं कि केवल इस्लाम रूप एक धर्म हो जाय और मुसलमान रूप एक जाति हो जाय, तो सारी समस्या हल हो जाय। यह आकिंचन कहता है कि जाति व धर्म चाहे जिस नाम से हो, सारी समस्या कभी नहीं हल होगी। समस्या हल होती है समझदारी से। धर्मो को समझदारी से समझा जाय, तो कोई धार्मिक समस्या ही नहीं रहेगी और यदि जाति का सही मतलब समझ लिया जाय, तो कोई जातीय समस्या ही नहीं रहेगी। तब सारा धर्म स्वतः मानवधर्म हो जाएगा और सभी जातियाँ स्वतः मानव जाति हो जाएगी। अनेकता में एकता का दर्शन यही है और समझ से ही ऐसा दर्शन हो सकता है। अनेकता में अनेकता देखना, प्राकृतिक, अर्थात् सांसारिक विधान है और अनेकता में एकता देखना धार्मिक, अर्थात् ईश्वरीय, विधान है। सारे धर्म मानव-धर्म हैं और सारी जातियाँ मानव-जाति है। बस, सब समझ का फेर है। कुरान में कल्पना की गई कि केवल इस्लाम हो और मुसलमान हों, तो सारी समस्या हल हो जाएगी, किन्तु इस्लामिक देशों में क्या हुआ एवं क्या हो रहा है, यह सब को विदित है तथा आगे क्या होगा, इसका सब को अनुमान है।

सब से ज्यादा जरूरी यह है कि सब लोग सर्वधर्म समभाव के साथ मिलजुल कर अमनचैन से रहें तथा धार्मिक उन्माद से विरत रहें। इसी से मानवता एवं मानव-धर्म विकसित होगा। अन्य कोई विकल्प नहीं है। यही इस आकिंचन का मत है और सुझाव है।

रवि कान्त खरे

(बाबा जी)

वैचारिकी पत्रों में

डा. जनार्दन यादव,

नरपतगंज–854335 अररिया (बिहार) 16.1.2001

आप द्वारा प्रेषित 'वैचारिकी' (द्वितीय सोपान) प्राप्त। हार्दिक धन्यवाद। धर्मशक्ति का प्रयोग विनाशकारी न हो, इस विषय पर आपका चिन्तन बहुत पसन्द आया। इस्लामी और ईसाई आक्रान्ताओं, धर्मान्धों एवं आतताईयों के क्रूर कारनामों से इतिहास के अध्याय भरे पड़े हैं। भारत में आज इसी ऐतिहासिक बोध को जागृत करने की महती आवश्यकता है। आपने इस दिशा में कार्य शुरु करके बहुत ही अच्छा किया है। इससे हमारी भारतीयता और राष्ट्रीयता को बहुत बल मिलेगा। मेरी शुभकामनायें हैं आपके साथ।

Prof. . Mohd. Hussain,

Asra Academy, Khajrana, Indore (M.P.)

Thanks for your excellent book which has been sent by you. This book has been read thoroughly by me and considered properly. Babajee I got impressed very much with your writing work. Lots of points are very good about current affairs. Please send me other books also. I would like to write in your books also. Thanking you and your excellency. Muslims should not obey things whatever Islam has not said.

अम्बू शर्मा, सम्पादक "नैणसी"

205, एस. के. देव रोड, फ्लैट 5/ए, लेक टाउन, कोलकाता 02.1.2002

दो पुस्तकें मिलीं (1) वैचारिकी (द्वितीय सोपान) (2) डा. अम्बेदकर की दृष्टि में मनु।

दोनों ही हमारी "नैणसी" में परिचित की जाएंगी। मैंने भी इन्हें मनोयोग से पढ़ा है। इस अनुपम भेंट-सामग्री हेतु अतिशय आभार।

सलीम खाँ फरीद,

हसामपुर, सीकर (राजस्थान) **16.1.2002**

सप्रेम भेजी 3 पुस्तकें कृपापूर्वक सहेजी। ब्रह्मलीन श्रीयुत् शहंशाह जी महाराज के संस्मरण/मातेश्वरी त्यागानन्द जी के संस्मरण श्रद्धा उपजाते हैं। ऐसी तपः पूत सिद्धियों को प्रतिपल वन्दन है। "वैचारिकी-3" पढ़ूँगा।

डा. अनिल गहलौट,

रीडर एवं शोध निदेशक, हिन्दी विभाग, के. आर. कालेज, मथुरा (उ.प्र.) **8.2.2002**

"वैचारिकी (तृतीय सोपान)" प्राप्त हुआ। आभार। अपनी बात में आपने अपने लेखकीय बहुद्देश्य पर प्रकाश डाला है तथा व्यापक लोक कल्याण भावना की प्रेरणा को लेखन का मूल बताया है जिससे आपकी विशालहृदयता तथा सन्तमना स्थिति स्पष्ट होती है। इस प्रकार की भावना प्रभु कृपा से मिलती है। आप बधाई के पात्र हैं।

"वैचारिकी (तृतीय सोपान)" जो कथित रूप से आपका अन्तिम सोपान है (यद्यपि आप भी नहीं कह सकते कि यह अन्तिम ही है, यह तो प्रभु को पता होगा) पूरा पढ़ा। आपकी वैचारिकशक्ति, राष्ट्रीय हितचिन्तन तथा हिन्दू अवधारणा एवं वैदिक मान्य वर्ण-व्यवस्था की वैज्ञानिक स्थिति पर तर्कसंगत प्रकाश डाल कर आपने भ्रमित मानसिकता को एक प्रकाश की किरण का आलोक दिया है। तुलनात्मक रूप से इस्लाम और हिन्दू धर्म की विवेचना करते हुए स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण स्थिति को लाने का आह्वान स्तुत्य है। 'वैचारिकी' पूर्ण विराम न हो, ऐसी शुभकामना के साथ।

पं. सुरेशचन्द्र त्रिवेदी,

पत्रकार, ज्योतिषमार्तण्ड, शाखाध्यक्ष "अर्न्तराष्ट्रीय करुणा क्लब" बड़ा गाँव शाहजहाँपुर (उ.प्र.) **242401**

आपके द्वारा प्रेषित मुखामृत वचनों का प्रकाश सूर्य किरणों को बेधता हुआ 25 जनवरी को हम तक आ पहुँचा। काफी उर्जावान प्रकाश से मैं, मेरा घर, मेरा संघ परिवार हर्षित हो गया। मेरा संघ आपका एवम् आपकी कृतियों का हार्दिक स्वागत करता है। आपके द्वारा प्रेषित "वैचारिकी तृतीय सोपान" काफी प्रेरक लगी। आखिल भारत हिन्दू महासभा, उत्तर प्रदेश का सन्देश, उद्देश्य आदि सच्चे मार्गदर्शक व प्रेरणा श्रोत हैं। उक्त उत्तम प्रस्तुति हेतु आपका आत्मीय सहृदयाभार। अग्रिम प्रस्तुति की प्रतीक्षा में।

डा. शिववंश पाण्डेय,

पूर्व उपाध्यक्ष-सह-निदेशक, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, लीलाधाम, 3/307 न्यू पाटलिपुत्र कालोनी, पटना-800013 *13.2.2002*

"वैचारिकी (द्वितीय सोपान)" की प्रति मिली। कृपा के लिए आभारी हूँ।

ऐसी उत्कृष्ट विचारोत्तेजक एवं चिन्तन परक प्रकाशन के लिए मेरा साधुवाद स्वीकार करें।

जीवनपथ-निर्देशक रूप में इस कृति का सातिशय महत्व सबों को स्वीकारना होगा। इसे गतिमंडित कृपयां करते रहें।

हिन्दुओं की बन्द आँखों को खोलने वाली यह मन्त्रोषधि सर्वथा स्वागतयोग्य है।

कैलाशचन्द्र वर्मा, एडवोकेट,

रामाश्रम, ज्ञानपुर, भदोही – *13.11.2001*

'विचार-बिन्दु', "वैचारिकी" एवं 'सत्संग के प्रसून' को ध्यान से पढ़ा तो मैं प्रफुल्लित हो गया। आपकी अमूल्य कृतियों पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपकी पुस्तक समाज और मानव कल्याण के लिए अमूल्य चीज है। एक-एक शब्द तराजू पर तौला हुआ प्रयोग किया गया है। आपको मैं अपना स्नेहमय सम्मान इस दिवाली के शुभ अवसर पर भेज रहा हूँ। आप की इस कृति के लिए मानव समाज सदा ऋणी रहेगा।

उजागर सिंह,

1287/सेक्टर-49बी, पुष्पक कंपलैक्स, चण्डीगढ़–160047 *8.1.2002*

आप द्वारा लिखित वैचारिकी पुस्तिका प्राप्त हुई। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा। ये हमारे भारतवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि भारत के ज्यादातर मुसलमान खुलकर अपने आप को भारतीय होने में गर्व नही मानते। भारत का बटवारा हुआ और ये होना ही था। बेहतर होता अगर भारत के मुसलमान पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले भी पाकिस्तान चले जाते और तब आज कम उन्माद/मन मुटाव होता। भारत के मुसलमानों की पाकिस्तान के वाशिन्दों के साथ हमदर्दी व हाँ में हाँ मिलाना स्वाभाविक है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुसलमान जब तक भारतीय होने को अपने दिल से नहीं मानेंगे, स्थिति यही चलती रहेगी। भारत के हित में चाहिए कि एक ही कानून के दायरे में सब धर्मों के लोग लाये जायें, किसी धर्म का अलग से

पर्सनल ला न हो। मुसलमानों को चार शादियाँ करने या चार बीवियाँ रखने की इजाज़त है, ये सिलसिला भारत के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, इससे उनकी जनसंख्या चार गुना बढ़ेगी, वे कम पढ़े लिखे होंगे और गरीब होंगे, यही वजह है कि भारत में अशान्ति फैलाने के भिन्न-भिन्न तरीके अपनायेंगे। इस तरह के कानून को हमें भारत में नहीं चलने देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भारत की विशाल ह्रदयता भारत के विनाश का कारण न बन जाये।

आनन्द स्वरूप,

एडवोकेट, हाई कोर्ट, चेम्बर नं. 163, इलाहाबाद **23.1.2002**

'वैचारिकी' की प्रति प्राप्त हुई। पुस्तक ज्ञानवान और विचारोत्तेजक है। आपकी गतिशीलता किसी के लिए भी प्रेरणा का पाथेय बन सकती है।

राजेन्द्र निगम 'अश्र',

कावसजी वार्ड, कटनी (म.प्र.) **10.1.2002**

वैचारिकी द्वितीय सोपान हस्तगत हुई। आपको व आपके परिवार को नये साल की शुभकामनायें। नया साल आपको और अधिक लिखने के लिए प्रेरित करे।

मीरा हिंगोरानी,

ए- 4/40, मोतीनगर, नई दिल्ली

'वैचारिकी' प्राप्त हुई-आपके सद्विचारों से अवगत हुए। आभार।

डा. रामनिवास 'मानव',

अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग, सी.आर.एम. जाट कालेज, हिसार 125001 (हरियाणा) **2.1.2002**

आप द्वारा प्रेषित 'वैचारिकी(द्वितीय सोपान)' तथा अन्य सामग्री मिली। मैंने अभी इस सामग्री को सरसरी तौर पर ही देखा है; फिर भी सामग्री बहुत तथ्यपरक और विचारोत्तेजक लगी। मनु महाराज, मनुस्मृति, हिन्दू तथा हिन्दू-दर्शन के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रान्त धारणाओं का निराकरण ऐसे प्रयासों से ही सम्भव है। अस्तु एतदर्थ अत्यन्त आभारी हूँ।

मुरारी प्रसाद शर्मा,

ग्राम – चकसलेम, डाकखाना पटोरी, समस्तीपुर (बिहार) **9.1.2002**

आपकी लघु पुस्तिका 'वैचारिकी' पढ़ने का सौभाग्य मिला। कृपा के लिए साधुवाद।

निश्चित रूप से सम्पूर्ण भारतीय समाज को यह ग्रन्थ दिशा-निर्देश ही नहीं करेगा बल्कि यह भी सोचने के लिए वाध्य करेगा कि भारतीयों को आज के वातावरण में कैसे धर्म को हृदयग्राही बनाकर राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

पुष्पा डागा,
शंकर भवन, गाँधी बाग, नागपुर (महाराष्ट्र) *1.1.2001*

आप के द्वारा भेजी गई पत्रिका 'वैचारिकी (द्वितीय सोपान)' मिली। आपको सादर कोटि-कोटि धन्यवाद। गिरते मानव मूल्य और धर्म को आज जैसा मनचाहा हथियार बनाकर मनचाहा घाव दिया जा रहा है उसके ऊपर एक करारी चोट है। पूरी पत्रिका के एक-एक शब्द में धार बहुत है। अगर ऐसे विचार जन-जन तक पहुँचे, तो हम जंग, जो सिर्फ राजनेताओं का तानाबाना है, उससे ऊपर उठ कर इन्सानियत के लिए जंग लड़ें। जंग लड़नी है तो भूख, गरीबी, बेराजगारी के खिलाफ लड़ी जानी चाहिए। हमें धर्म रूपी केले के गूदे को सार के रूप में समझना चाहिए।

डा. वृन्दावन त्रिपाठी, 'रत्नेश',
सचिव, साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला संगम अकादमी, परियावाँ, प्रतापगढ़ (उ.प्र.) *31.1.2002*

मुझे महान चिन्तक, राष्ट्रभक्त एवं साहित्यकार श्री रविकान्त खरे (बाबा जी) की चर्चित कृति 'वैचारिकी तृतीय सोपान' का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इस कृति में लेखक ने भूलों व विचार-बिन्दुओं को उभारने व सही तथ्यों को जनमानस के समक्ष रखने का प्रयास किया है, जिसका खामियाजा देश, समाज, व्यक्ति किसी न किसी रूप में भुगत रहा है। यह भी सच है कि वोट की खातिर सरकार द्वारा अपनाई जा रही तुष्टीकरण की नीति निश्चित ही भावी खतर का आभास दे रही है और शायद शुरुवात भी हो चुकी है। भारत में बढ़ता आतंकवाद उसी का एक रूप है। खरे साहब हिन्दू-मुस्लिम एकता के तो पक्षधर हैं, किन्तु वहाँ तक जहां तक देश की अस्मिता को मुस्लिम जमात से खतरा न नजर आए। निश्चित ही यह कृति किसी भी राष्ट्रप्रेमी के लिए आदरणीय होगी और ज्ञानामृत साबित होगी। इस कृति का सुधी पाठकों द्वारा व्यापक आदर प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विचार है।

वैचारिकी पूरी पढ़ गया, बड़ा पुनीत व सुन्दर कार्य किया आपने। निश्चित ही राष्ट्रजागरण की दिशा में आपका प्रयास अत्यन्त स्लाघनीय है। अकादमी के कार्यकलापों की जानकारी पृथक से भेज रहा हूँ। अप्रैल में अकादमी का राष्ट्रस्तरीय 21वाँ अधिवेशन सम्पन्न होगा। चाहता हूँ 'वैचारिकी' की कुछ प्रतियाँ मुझे उपलब्ध करा दें तो मैं आप की ओर से आगन्तुक व सम्मानित होने वाले विद्वानों को उपहार में प्रदान कर दूँगा। यह सत्साहित्य उचित हाथों में पहुंचेगा।

पंडित बी. एन्न मुदगिल,

प्रधान सम्पादक एवं प्रबन्ध निदेशक, समाचार संघ (हिन्दी प्रमुख), गद्दी-खेड़ी (रोहतक) 124001 हरियाणा **24.12.2001**

आपके द्वारा बड़ी आत्मयिता तथा सद्भावना से प्रेषित विचारणीय विषयों से भरपूर 'वैचारिकी' पुस्तिका प्राप्त हुई। हार्दिक धन्यवाद।

वैचारिकी का अवलोकन अध्ययन करने के पश्चात् स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा जागृत हुई है कि आपकी अन्य कृतियाँ जिनका उल्लेख वैचारिकी द्वितीय सोपान के आवरण पृष्ठ पर किया गया है, पढ़ी और देखी जाँय। अतः यदि असुविधा न हो, तो कृपया उल्लिखित सभी आठ पुस्तकों को अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करें। बहुत आभार होगा। सम्भव हुआ तो समयानुसार इन पुस्तकों की सूचना एवं समीक्षा 'समाचार संघ' के नवीनांक में प्रकाशित की जायेगी, जिससे अधिकाधिक जिज्ञासुओं को इन सभी पुस्तकों का समुचित लाभ मिल सके।

विजय लक्ष्मी 'विभा',

कवियत्री, कथाकार, लेखिका : 149/2, चकिया, इलाहाबाद 211016 (उ. प्र.) **31.12.2001**

आपके द्वारा प्रेषित 'वैचारिकी (द्वितीय सोपान)' की एक प्रति एवं अखिल भारत हिन्दू महासभा, उत्तर प्रदेश के पत्रक की एक प्रति मिली। आभारी हूँ।

'वैचारिकी' के तीन-चार पेज पढ़ते ही आपके सन्देश के तह तक पहुँच गयी और उसे हृदयंगम कर लिया। सच तो यह है कि भारत सनातन काल से ऋषियों, मुनियों और संतो का देश रहा है और महात्माओं ने ही यहाँ की संस्कृति को जन्मा और पोषित किया है। ऐसी संस्कृति जिसमें 'सर्वधर्म समभाव'

और 'जिओ और जीने दो' की सुगन्ध स्वतः सृजित होती रहती है और आज जो सारे विश्व को महका रही है, उस सुवास के विपरीत उठने वाली कोई भी दुर्गन्धयुक्त आँधी हमें थोड़ी देर के लिए विचलित भले ही कर दे, परन्तु अस्तित्व तो सुगन्ध का ही रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है, आप जैसे पूज्यपाद साधु सन्तों के हितचिन्तन और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाते।

बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों के लिए तो आप का आदेश सिरोधार्य है ही। पूज्य बाबा जी हम सब आपके विचार क्रान्ति में शामिल हैं। आपके संदेश हमारे मार्गदर्शक हैं और आपके आदेश हमारे कर्त्तव्य।

डा. जनार्दन यादव,

नरपतगंज, अररिया (बिहार) 854335 **8.2.2002**

भारतीयता की भावना से ओतप्रोत आपका पत्र वैचारिकी-3 तथा अखिल भारत हिन्दू महासभा, उ.प्र. के दो बुकलेट प्राप्त। हार्दिक धन्यवाद।

अपनी बात के माध्यम से आपने स्पष्ट किया है कि लेखन कार्य को पूर्ण विराम दे रहा हूँ। कृपया ऐसा न करें। लेखन कार्य जारी रहने दें। आप और आपकी लेखनी राष्ट्रीयता के पक्ष में सृजनात्मक प्रहार कर रहे हैं जिससे अच्छी बातें समक्ष आ रही हैं।

आपने वैचारिकी-3 के माध्यम से इस्लामिक और ईसाई षणयन्त्रों, आतंकवाद, कट्टवाद, धर्मान्धता का विरोध और भंडाफोड़ किया है तथा हिन्दू धर्म की श्रेष्ठता को उजागर किया है। वस्तुतः आपका उपर्युक्त कार्य अत्यन्त सराहनीय है। आप देशभक्ति के महत्तम कार्य को पूरा कर रहे हैं।

आपके कार्य को मैं अपना पूरा सहयोग देता हूँ। आप अपना लेखन कार्य बन्द करने का कोई संकल्प न लें और जारी रक्खें, मैं आपसे यह आग्रह बार-बार करना चाहता हूँ।

विस्तारभय से बहुत से पाठकों के पत्रों को स्थान नहीं दिया जा पाया। इस बात का अत्यन्त खेद है। किन्तु यह आकिंचन सभी पाठकों का समान रूप से आभारी है।

रविकान्त खरे

(बाबा जी)

वैचारिकी

(चतुर्थ सोपान)

आइये ! इस्लाम मजहब, इस्लामिक विश्वास, इस्लामिक मत, इस्लामिक चिन्तनशैली, कार्यशैली, कार्ययोजना एवं मंशा, कुरान में उल्लिखित कुछ बातों, मुस्लिम आलिमों के कुछ विचारों, देश-हित आदि के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर कुछ चिन्तन, मनन और विचार करें तथा भविष्य के विषय में कुछ सोचें। इस परिप्रेक्ष्य में ध्यन रक्खें कि यदि चिंन्तन की दिशा ठीक होगी, तो दशा भी ठीक होगी, यदि चिन्तन की दिशा ठीक नहीं होगी, तो दशा भी ठीक नहीं होगी; यदि विचार मानवतायुक्त होगा, तो आचरण भी मानवतापूर्ण होगा और यदि विचार अमानवतायुक्त होगा, तो आचरण भी अमानवतापूर्ण होगा; और यदि मानवतापूर्ण ढंग से अधिकारों का प्रयोग होगा, तो सबका कल्याण होगा, यदि मानवताविहीन ढंग से अधिकारों का प्रयोग होगा, तो सबका अहित होगा। सभी पाठक निष्पक्ष होकर कही जा रही सारी बातों का धैर्य से अनुशीलन करें और जो बात उन्हें ठीक जँचे, उसे स्वीकार करें, उस पर आचरण भी करें एवं जो बात उन्हें ठीक न लगे, उसे नज़रअन्दाज कर दें। यह आकिंचन स्वविवेक को महत्त्व देने पर वल देता है। वाचित ज्ञान एवं अनुभवगम्य ज्ञान में बहुत अन्तर होता है। धर्म को एवं धर्म-ग्रन्थ की बातों को ठीक-ठीक समझ पाना भी बहुत कठिन होता है। कथनी और करनी में बहुत अन्तर होता है तथा उसमें एकरूपता ला पाना दुष्कर होता है। धर्म-ग्रन्थों में बातें प्रचलित भाषा में भी कही गई होती हैं और समाधि भाषा में भी कही गई होती हैं एवं धर्म-ग्रन्थों में रूपक व क्षेपक का भी समावेश होता है। इसलिए केवल शाब्दिक अर्थ को समझ लेने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जिससे स्वयं का एवं दूसरों का कल्याण होने के बजाय अहित हो जाता है और सारगर्भित एवं रहस्यपूर्ण अर्थ एवं आशय को समझ कर ग्रहण न करने से भी कल्याण के बजाय अकल्याण हो जाता है, स्वयं का भी और दूसरो का भी। अक्ल के मदरसे में ज्ञान के वाचित अर्थ की केवल जानकारी हो सकती है, ज्ञान की अनुभूति नहीं हो पाती। इश्क के मदरसे में ज्ञान का सार ज्ञात होता है और ज्ञान का अनुभव भी हो जाता है। वास्तव में धर्म की रहस्यपूर्ण बातों को जानने के लिए अक्ल के मदरसे से उठकर इश्क के मयकदे में आना पड़ेगा।

पहले यहां से शुरु करते हैं कि श्री जिन्ना, जो इस्लाम के जानकार थे, ने क्या कहा ? उन्होंने कहा था कि मेरे मजहब व मजहबी मत के अनुसार एक गिरा हुआ मुसलमान भी गाँधी जी से बेहतर माना जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि वह गाँधी जी का सहयोग एवं आदर निजी स्वार्थवश करते थे और वास्तव में वह इस्लाम के अनुसार इस्लामिक मंशा की पूर्ति की दिशा में प्रयासरत थे। देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन से वह इस्लाम के हित- चिन्तन को लेकर जुड़े थे। अतः उनसे अपेक्षा ही करना गलत था कि भारत की स्वतन्त्रता पर देश के विभाजन की मंशा को वह छोड़ सकते थे और देश के विभाजन की मांग से हट कर किसी वैकल्पिक सुझाव को स्वीकार कर सकते थे। इसी कारण गाँधी जी उन्हें मनाने में विफल हुए। अवसर उपयुक्त देख कर तथा परिस्थिति अनुकूल देख कर उन्होंने इस्लाम की असली मंशा को पूरा करना अपना धर्म माना। कोई मुस्लिम कभी भी गैर-मुस्लिम देश में रहते हुए निष्पक्ष भाव से देश-हित में इस्लामिक मंशा के प्रतिकूल नहीं जा सकता और उस देश का अच्छा नागरिक नहीं बन सकता। इस्लामिक मतानुसार मुस्लिम मंशा यह है कि अवसर मिल जाय एवं परिस्थिति अनुकूल बन जाय, तो गैर-मुस्लिम देश के शासन में मुस्लिमों का वर्चस्व कायम करने हेतु जेहाद किया जाय तथा इस ओर सफल होने के बाद देश पर मुस्लिमों का शासन स्थापित करने हेतु जेहाद किया जाय और इस ओर सफल होने पर फिर देश को पूर्णतः इस्लामिक देश बनाने हेतु जेहाद किया जाय। यही है अल्लाह की राह और उस राह में जेहाद का मतलब, जैसा कि मुस्लिमों ने समझा। इस प्रकार इस्लाम का फैलाव एवं दारुल-इस्लाम का क्षेत्र-विस्तार तथा कुरान का प्रचार-प्रसार मुस्लिमों का दर्शन है। अवसर न मिलने एवं परिस्थिति अनुकूल न होने की दशा में मुस्लिम अपनी असली मंशा को छिपाए रख कर मजबूरीवश गैर-इस्लामिक देश में रहते हैं और अन्दर-अन्दर अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं एवं अपने को सबल बनाते रहते हैं तथा बाहर अपना कष्ट बताते रहते हैं और अधिकारों की माँग उठाते रहते हैं, ताकि उनकी भौतिक उन्नति भी हो और दूसरों को उनकी असली मंशा के प्रति सजग होने का मौका न मिल पावे एवं दूसरे लोग वोट की राजनीति में उलझे रहें।

उपर्युक्त कथन एवं चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिमों की इस्लामिक दृष्टि से देखा जाय, तो तात्पर्य यह निकलता है कि गाँधी जी एक गिरे हुए मुसलमान

से भी गिरे हुए एक मामूली इन्सान थे, क्योंकि जाति से वह मुसलमान था, जबकि गाँधी जी जाति से एक गैर-मुसलमान थे अर्थात् काफिर थे। 'गिरा हुआ' का मतलब है 'पतित'। यहाँ तात्पर्य एक ऐसे मुसलमान से है, जो जाति के आधार से तो मुस्लिम है, किन्तु आचरण के आधार से पतित इन्सान है। 'गाँधी जी' से यहां तात्पर्य है एक ऐसे इन्सान से, जो जाति के आधार से तो गैर-मुसलमान है, किन्तु आचरण के आधार से महान इन्सान है। उक्त तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय, तो उस पतित इन्सान से वह महान इन्सान अधिक पतित माना जाएगा, अर्थात् वह पतित मुसलमान उस महान गैर-हिन्दू से कहीं बेहतर माना जाएगा। स्पष्टतः तुलना जाति के आधार से की गई। यह जाति-पाँति के भेद-भाव का प्रतिपादन है। इससे सिद्ध होता है कि इस्लाम मजहब जाति-पाँति के जबरदस्त भेद-भाव पर आधारित है। ऐसी ही मुस्लिम समुदाय की दृष्टि है और ऐसी ही उसकी मान्यता है। वही बात हम कह रहे हैं, तो तिलमिलाहट क्यों होती है ? जिस मजहब में इन्सानियत एवं आचरण को महत्त्व न दिया जाय, उसे अच्छा मजहब कैसे समझा व माना जा सकता है ? कैसे यह माना जाएगा कि इस्लाम मजहब ईश्वरीय मजहब है और श्रेष्ठतम धर्म है ? फिर कैसे माना जाएगा कि कुरान अन्तिम व श्रेष्ठतम आसमानी किताब है ? केवल कहने मात्र से वैसा माना जा सकता है क्या ? कुरान की आयतों का जो अर्थ व आशय मुस्लिम समुदाय ने समझा और ग्रहण किया तथा उसके अनुसार उसने व्यावहारिक धरातल पर जो-जो अनुचित कृत्य किए एवं जैसा-जैसा दुराचरण किया, उनका थोड़ा सा इतिहास देखनें पर पता चल जाएगा कि मुस्लिम समुदाय का उक्त दावा बेहद खोखला है। व्यावहारिक धरातल पर मुस्लिमों के कृत्य एवं आचरण नितान्त भेद-भावपूर्ण, अन्यायपूर्ण एवं अमानवतापूर्ण रहे। मन्दिर-मस्जिद के मुद्दे पर आधुनिक मुस्लिम इतिहास में झांकने लगते हैं अपना पक्ष सबल बताने के लिए, किन्तु जब हिन्दुओं पर मुस्लिमों के जुल्मों की बात उठाई जाती है, तब ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में वे इतिहास को देखने से गुरेज करते हैं। हिन्दू गुमराह होते आए हैं और आज भी गुमराह हैं एवं गुमराह हो रहे हैं। मुस्लिम उनपर अपने हथकण्डे इस्तेमान करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं।

गाँधी जी पूर्ण ईश्वर विश्वासी थे, ईश्वर अल्लाह में वह कोई भेद नहीं मानते थे, जिसका तात्पर्य है कि वह हिन्दू-मुसलमान में कोई भेद नहीं मानते थे, अर्थात् अपने को तथा जिन्ना को समान समझते थे, किन्तु जिन्ना अपने को पृथक और गाँधी जी को पृथक मानते थे, अर्थात् हिन्दू-मुस्लिम में भेद रखते थे, मुस्लिमों को हिन्दुओं से श्रेष्ठ समझते थे, समान मानने का तो सवाल ही

नहीं था। जिन्ना तो हिन्दुओं के ईश्वर और मुस्लिमों के अल्लाह को अलग-अलग मानते थे। इसीलिए वह भारत को विखण्डित करना चाहते थे, हिन्दू व मुस्लिम समुदायों को अलग-अलग करना चाहते थे। उन्होंने भारत को तोड़ डाला और हिन्दू मुस्लिम के बीच भी तोड़-फोड़ कर दिया। उधर गाँधी जी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे और मुस्लिमों को जोड़े रखना चाहते थे। दोनों के चिन्तनशैली एवं कार्यशैली में जमीन आसमान का अन्तर था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हिन्दू संस्कृति व मुस्लिम संस्कृति में जमीन आसमान का अन्तर है और हिन्दू धर्म एवं मुस्लिम मजहब में जमीन-आसमान का अन्तर है।

यदि इन रहस्यों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझा गया होता, तो शेष भारत को हिन्दू-राष्ट्र घोषित करने में कोई बुराई नहीं दिखती। हिन्दू-राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित रूप से रह सकते थे, किन्तु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन जाने से देश उपद्रव की खान बन गया। एक ओर शैरियत रूपी ईश्वरीय मुस्लिम संविधान चल रहा है और दूसरी ओर मानवनिर्मित धर्मनिरपेक्ष संविधान चल रहा है। टकराव व तनाव तो होगा ही। यदि भारत को हिन्दू-राष्ट्र बनाया गया होता और फिर भी यदि ऐसा ही टकराव व तनाव रहता, तो कया हर्ज हो जाता ? तब भी गाड़ी चलती, अब भी गाड़ी चल रही है, फिर भारत को हिन्दू-राष्ट्र न बना कर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना देने से क्या अन्तर पड़ गया ? मुस्लिम तो पहले से ही मानते थे कि मुस्लिम समुदाय गैर-मुस्लिम समुदाय के साथ मित्रवत् एवं शान्ति पूर्वक रह ही नहीं सकता। कुरान ने इस्लाम धर्म को छोड़ कर अपनी ओर से सारे अन्य धर्मों को निरस्त कर दिया था, सारे हिन्दू देवी-देवताओं को अमान्य कर दिया था तथा सारे दूसरे धर्म-ग्रन्थों को रद्द कर दिया था। फिर क्या अन्तर पड़ जाने का भय था ? जाति के आधार से भेद-भाव के प्रतिपादन ने मुस्लिम मजहब की पोल पट्टी खोल कर रख दी। मात्र कथित एक उदाहरण से इस्लाम मजहब एवं इस्लामिक मत का खुलासा हो जाता है।

अतः उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन के आधार से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि यदि इस्लाम मजहब व इस्लामी मत ऐसा ही है, तो उसे अल्लाह का मजहब माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह को पक्षपाती व अन्यायी माना ही नहीं जा सकता, अल्लाह तो परम निष्पक्ष एवं परम न्यायी और निरपेक्ष है। इस्लाम मजहब मानने वालों की दृष्टि ही दोषपूर्ण है। मुस्लिमों ने ही नासमझी के कारण अर्थ का अनर्थ किया है। कोई मजहब ईश्वरीय मजहब नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह जाति-पाँति के भेद-भाव के प्रतिपादन से

रहित न हो और आचरण की गुणवत्ता को उसमें प्रमुख स्थान न दिया गया हो। बहरहाल श्री जिन्ना का वह कथन इस्लामिक मत के परिप्रेक्ष्य में एक नासमझीपूर्ण मुस्लिम चिन्तन को पुष्ट कर गया और दूसरों को सतर्क रहने का सन्देश दे गया। यदि एक जाति से मुसलमान किन्तु आचरण से गिरे हुए इन्सान को विश्व भर के अन्य जातियों के श्रेष्ठतम सदाचारी एवं मानवता के पुजारी इन्सानों से भी बेहतर माना जायगा, तो भला मानवता कैसे विकसित होगी और इस्लाम मजहब को मानवता का मजहब कैसे व क्योंकर माना जाएगा ? इस्लाम के कथित मतानुसार तो मुस्लिम जाति का एक गुण्डा या माफिया भी अन्य जाति के एक दिव्य मानव या महामानव से भी बेहतर माना जाएगा। इस नितान्त दोषपूर्ण दृष्टि से इस्लाम कलंकित एवं बदसूरत हो जाता है।

श्री जिन्ना कायदे आजम कहे गये, क्योंकि वह मुस्लिमों को पाकिस्तान के रूप में एक इस्लामिक देश तोहफे के रूप में दे गये। भला मुस्लिम समुदाय श्री जिन्ना द्वारा पुष्ट की गई भेद-भावपूर्ण अलगाववादी एवं विघटनकारी चिन्तनशैली व कार्यशैली का अनुकरण एवं अनुसरण नहीं करेगा, तो क्या महात्मा गाँधी के मानवीय, मानवतापूर्ण, सर्वधर्म समभावपूर्ण एवं उदारवादी चिन्तन-शैली व कार्यशैली का अनुकरण व अनुसरण करेगा ? कोई भी मुसलमान वास्तव में उदारवादी या गाँधीवादी नहीं हो सकता। पूरा मुस्लिम समुदाय वास्तव में कट्टरवादी है और परिस्थिति अनुकूल न हो, तो इसमें से कुछ मुस्लिम विवशतावश उदारवादी होने का नाटक करने लगते हैं और कुछ मुस्लिम प्रतिकूल परिस्थिति में भी कट्टरवादी ही बने रहते हैं तथा उदारवादी होने का नाटक भी नहीं कर पाते। फिर पाकिस्तानी मुस्लिमों और पाकिस्तान परस्त मुस्लिमों पर भरोसा व विश्वास कैसे किया जा सकता है ?

इस्लाम मजहब मुस्लिमों को निर्देश देता है कि जहाँ की परिस्थिति उनके अनुकूल हो, वहाँ की धरती को वे इस्लामिक धरती बनावें, अर्थात् वहाँ इस्लामिक राज कायम करें, और जहां की परिस्थिति अनुकूल न हो, वहाँ काम चलाने की दृष्टि रक्खें, किन्तु इस लक्ष्य को न भूलें कि उन्हें वहाँ के शासन में अपना वर्चस्व बनाना है और अन्ततः वहाँ इस्लामिक शासन कायम करना है अथवा वहाँ की धरती को इस्लामिक देश बनाना है। कौन है ऐसा सच्चा मुसलमान, जो इस इस्लामिक निर्देश या इस्लामिक मत का समर्थक एवं पोषक नहीं है ? कोई नहीं। अतः मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाना देश के लिए घातक है। यह आकिंचन कह चुका है और पुनः दोहराता है कि

दारुल-इस्लाम व दारुल-हरब का एक ही इस्लामिक सिद्धान्त अन्ततः भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए काफी है। अतः यह आकिंचन सभी गैर-मुस्लिमों, चाहे वे गाँधीवादी हों, समाजवादी हों, अम्बेदकरवादी हों, हिन्दूवादी हों, सिक्ख हों, बौद्ध हों, जैन हों या अन्य, से अपेक्षा करता है कि आवश्यक समझ कर वे इन बातों पर चिन्तन करें तथा अपनी वैचारिक दिशा एवं कार्यशैली में बदलाव लावें, अन्यथा वे देश का भला नहीं कर सकेंगे, भले ही वे मुस्लिमों का भला कर दें। नीचे और भी बातें चिन्तन हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं। मुस्लिम भी देश व समाज के हित में इन बातों को समझने की कोशिश करें और मात्र विरोध के लिए विरोध न करें।

लखनऊ मदरसा के मौलाना अब्दुल बारी, जो खिलाफत आन्दोलन के एक बहुत बड़े नेता थे, का कथन था कि हम बिच्छुओं और सांपों के साथ शान्तिपूर्वक रह सकते हैं, किन्तु उन लोगों के साथ नहीं रह सकते, जो इस्लाम का वहिष्कार करते हैं या मुस्लिमों को वैसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके कथन का आशय यह है कि जाति से सारे गैर-मुस्लिम काफिर होने के कारण बिच्छुओं और साँपों से भी अधिक खतरनाक व जहरीले हैं व मुसलमान ऐसे गैर-मुस्लिम इन्सानों के साथ कदापि नहीं रह सकते, अर्थात् शान्तिपूर्वक कदापि नहीं रह सकते, यद्यपि वे खतरनाक से खतरनाक व जहरीले से जहरीले जन्तुओं के साथ शान्तिपूर्वक रह सकते हैं। वह बहुत बड़ी बात कह गये। उनका कथन इस्लाम मजहब व इस्लामिक मत के अनुसार एवं अनुरूप है। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि वह गैर-मुस्लिमों को इन्सान तक नहीं मानते थे वरन् बिच्छुओं व साँपों से भी हीन समझते थे। इससे पता चलता है कि इस्लाम मजहब इन्सानियत का मजहब नहीं है और मुसलमानों को गैर-मुसलमानों के साथ शान्तिपूर्वक रहने का सन्देश नहीं देता है वरन् लड़ाई झगड़े के साथ अशान्ति पूर्वक रहने का सन्देश देता है। इस परिप्रेक्ष्य में इस्लाम मजहब गैर-मुस्लिमों के साथ सह-अस्तित्व का समर्थक एवं शान्ति का पोषक नहीं है। ऐसे मजहब के सम्बन्ध में भला और क्या कहा जा सकता है ? श्री बारी के कथन के आधार से गैर-मुस्लिमों को सन्देश जाता है कि वे भी यही कहें और मानें कि गैर-मुस्लिम भी बिच्छुओं एवं साँपों के साथ तो शान्ति से रह सकते हैं, किन्तु मुस्लिमों के साथ शान्तिपूर्वक नहीं रह सकते, जो उन्हें अपना धर्म छोड़ने हेतु प्रोत्साहित करते हैं और चाहते हैं कि वे सभी मुस्लिम बन जाँय तथा इस्लाम स्वीकार कर लें। ये बातें लड़ाई जारी रखने का सन्देश देती हैं, लड़ाई खत्म

करने का समन्वित एवं सामन्जस्यपूर्ण उपाय व युक्ति की ओर कोई ऐसा सुझाव पेश नहीं करतीं, जो मुस्लिमों को भी मान्य हो और गैर-मुस्लिमों को भी मान्य हो। सब लोग मुस्लिम बन जाँय और इस्लाम मजहब स्वीकार कर लें, यह भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, यद्यपि मुस्लिम समुदाय इसी चिन्तन को समस्या का एक मात्र समाधान मान बैठा है। इस परिप्रेक्ष्य में आगे प्रकाश डाला जाएगा।

सैयद अबुल हसन अली नदवी, जो एक बड़े मुस्लिम विद्वान् और इस्लाम मजहब के ज्ञाता थे, का जोरदार कथन था कि एक आदमी को इस्लाम से केवल भावात्मक लगाव ही नहीं होना चाहिए वरन् उसे सभी गैर-इस्लामिक दार्शनिक चिन्तनों, विचारों एवं आदर्शों से नफरत करनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि इसके अतिरिक्त कुरान मुस्लिमों को हिदायत देता है कि वे मूर्ति-पूजकों को नाजास, अर्थात् अशुद्ध, समझ कर उनका तिरस्कार करें, अर्थात् उनसे घृणा करें, और ऐसे अशुद्धों को काबा के निकट आने की या अल्लाह की मस्जिदों में रहने की इजाजत न दें, क्योंकि उनके कार्य पृथा हो जाते हैं और वे सदैव के लिए नर्क की आग में डाले जाने योग्य हो जाते हैं। इसीलिए पैगम्बर साहब ने मुसलमानों को नसीहत दी कि वे काफ़िरों की कालोनी से इतनी दूर रहें कि काफिरों के घरों का प्रकाश भी उन्हें दिखाई न पड़े। कुरान नसीहत करता है कि एक मुस्लिम गुलाम भी बेहतर है एक मूर्ति-पूजक से, चाहे वह मूर्ति-पूजक मुसलमानों को कितना ही अच्छा प्रतीत क्यों न हो। कुरान मुस्लिमों को काफिरों को अपना मित्र बनाने और उनका सहायक बनने से रोकता है। कुरान मुसलमानों को, जहाँ भी संभव हो, काफ़िरों से उनकी समाप्ति तक लड़ने के लिए उत्प्रेरित करता है, ताकि इस्लाम को कुफ्र का अच्छा बदला मिले। अयात उल्लाह खुमैनी के अनुसार ग्यारह वस्तुएँ अपवित्र बताई गई हैं, जिनमें एक गैर-मुस्लिम आदमी और औरत भी है। विचार करें कि यदि गैर-मुस्लिम भी मुस्लिमों के विषय में ऐसा ही मत बना लें, तो क्या हो ? सब चौपट हो जाएगा। क्या मुस्लिम सब कुछ चौपट करना चाहते हैं ? हाँ, यही संकेत गैर-मुस्लिमों को श्री नदवी और खुमैनी के वयानों से मिलता है, जिससे इस्लाम बदसूरत बनता है।

इन बातों से पता चलता है कि इस्लाम नफरत, विद्वेष एवं अमानवतापूर्ण दृष्टि तथा भेद-भाव की दृष्टि का प्रतिपादन करता है। यदि इस्लाम ऐसा है, तो उसे अल्लाह का मजहब कैसे माना जा सकता है ? उपर्युक्त बयानों के आधार से यह कहा जा सकता है कि गैर-मुस्लिमों के परिप्रेक्ष्य में इस्लाम मजहब

में न सहिष्णुता की बात है, न सःअस्तित्व की बात है, न भाईचारे की बात है, न प्रेम की बात है, न अहिंसा की बात है, न सौहार्द की बात है, न आदर की बात है, न शान्ति की बात है, न सर्वधर्म समभाव की बात है और न किसी दूसरे धर्म, दूसरे धर्म-ग्रन्थ व दूसरे उपास्य को मान्यता देने की बात है। और दूसरी ओर यह कहा जा सकता है कि गैर-मुस्लिमों के परिप्रेक्ष्य में इस्लाम मजहब में घृणा, विद्वेष, असहयोग, अनादर, मूर्तियों व मूर्ति पूजकों के प्रति अपमान, लड़ाई, दुश्मनी, अशान्ति, ज्यादती, जुल्म आदि की बातें भरी पड़ी हैं। जो बातें ऊपर मुस्लिम विद्वानों ने गैर-मुस्लिमों को निशाने पर रख कर कहीं हैं, यदि गैर-मुस्लिम विद्वान वही बातें, मुस्लिमों के लिए कहें, तो कैसा लगेगा ? फिर मुस्लिमों के प्ररिप्रेक्ष्य में गैर-मुस्लिमों को भी वही सारी बातें क्यों नहीं कहनी चाहिए ? मुस्लिम मजहब में जो खामियाँ दृष्टिगोचर होती हैं और मुस्लिमों के चिन्तन में जो दोष दिखाई देते हैं, उनका आभास मुस्लिम आलिमों व विद्वानों के बयानों से होता है। फिर किस आधार पर इस्लाम मजहब की बहबूदी गाई जा रही है ?

श्री जिन्ना ने साफ-साफ कहा था कि मुस्लिम कौम अलग है, उसका धर्म अलग है, उसकी पूजा-पद्धति अलग है, उसका धर्म-ग्रन्थ अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसका रहन-सहन अलग है, रीति-रिवाज अलग है, उसका व्यक्तिगत कानून अलग है, अर्थात उसका सब कुछ अलग है। इसी आधार पर उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग देश की माँग की और अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल के सहारे अपनी माँग मनवाई। भारत का विभाजन मुस्लिमों ने कराया, क्योंकि इस्लाम की हिदायत है कि जब परिस्थिति अनुकूल हो, तब इस्लामिक देश कायम किया जाय। हमने यह व्यवस्था नहीं की कि भारत के सारे मुस्लिम भारत छोड़ कर पाकिस्तान चले जाँय और पाकिस्तान से सारे हिन्दू भारत आ जाँय। काश ! ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की गई होती ! गाँधी जी खण्डित भारत तोहफे के रूप में हमारे लिए छोड़ गये, किन्तु कुछ मुस्लिमों को शेष भारत में पुनः भागीदारी करने का हक दे गये। कतिपय मुस्लिम स्वेच्छा से यहाँ नहीं रह गये वरन् इस्लाम की सोची समझी विचारधारा एवं कार्यशैली के तहत और इस्लामिक मतानुसार शेष भारत में रहकर भविष्य में शासन पर मुस्लिमों का वर्चस्व कायम करने हेतु तथा सुदूर भविष्य में भारत को इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य पूरा करने हेतु पुनः पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए रह गये। वे उदारवादी मुस्लिम नहीं थे और वे यहाँ अन्य लोगों के साथ अमनचैन से रहने के लिए नहीं रुक गये थे। यह तथ्य आगे उजागर किया जाएगा।

गाँधी जी की मान्यता थी कि हिन्दू-मुसलमान उनकी दो आँखों के समान हैं, जबकि गहराई से समझा जाय, तब पता चलेगा कि हिन्दू वाली आँख से उन्हें कम दिखाई देता था और मुस्लिम वाली आंख से उन्हें अधिक दिखाई देता था। वह महात्मा कहे गये और भारत में हिन्दू-मुसलमान समस्या रूपी वृक्ष का रोपण कर गये। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वह पाकिस्तान के लिए अधिक भूमि और धन दिलवा गये, यह तो बहुत छोटी भूल थी। खण्डित भारत को हिन्दू-राष्ट्र नहीं बनने दिया गया, किन्तु मुस्लिमों का पाकिस्तान इस्लामिक देश बन गया। यह भी एक तरह से मुस्लिम विचारधारा की हिन्दू विचारधारा पर विजय थी। विगत में अखण्ड भारत पर मुस्लिमों का आधिपत्य रह चुका था और उस समय भी एक तरह से मुस्लिम विचारधारा की हिन्दू विचारधारा पर जीत हुई थी। तीसरी बार सफलता हासिल करने की मंशा से ही कतिपय मुस्लिम शेष भारत में रह गये।

मुस्लिमों ने भारत का विभाजन होने पर जो मार-काट शुरू की, जिसमें हिन्दू भी सम्मिलित हो गये, उसका दो उद्देश्य था– (1) पाकिस्तान के अधिकांश हिन्दू घबरा कर भारत की ओर पलायन कर जाँय और (2)कतिपय मुस्लिम इस्लाम के हित में पूर्व में शुरु किया गया अच्छा काम जारी रखने के लिए शेष भारत में रह जाने की सुविधा पा जाँय। अतः पाकिस्तानी मुस्लिमों ने मार-काट मचा कर द्रुत गति से पाकिस्तान के अधिकांश हिन्दुओं को या तो हलाक कर डाला या वहां से खदेड़ दिया, जबकि अधिकांश मुस्लिम धीरे-धीरे एवं यथा-सम्भव सुरक्षापूर्वक यहाँ से गये और अधिक संख्या में मारे नहीं गये, क्योंकि उसी समय यह बात जोर पकड़ गई कि जो भारतीय मुस्लिम स्वेच्छा से यहाँ रहना चाहें, वे रुक सकते हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा एवं अधिकार मिलेगा। अतः कतिपय मुस्लिमों को यहाँ रहने की छूट व सुविधा मिल गई। तदन्तर शेष भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया।

गाँधी जी को पहले यह विश्वास था कि वह मुस्लिमों को समझा-बुझा कर एवं हठ करके भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, परन्तु वह मुस्लिमों को झुका नहीं पाये, क्योंकि मुस्लिम अपने इस्लामिक हुक्म की तामीली पर उतारू थे। गाँधी जी बहुत सी बातों को नजरअन्दाज करते हुए विभाजन की बात पर राजी हो गये। भारत के विभाजन की माँग के विषय में मुस्लिमों के बीच मतभेद रहा। कुछ मुस्लिमों का मत था कि अभी विभाजन की मांग न की जाय वरन् यहीं रह कर अपनी संख्या बढ़ाई जाय, अपना बल बढ़ाया जाय और पहले यहाँ के

शासन में मुस्लिमों का वर्चस्व कायम किया जाय, फिर पूरे हिन्दुस्तान को इस्लामिक देश बनाया जाय, जैसा कि पूर्व में किया गया था। कुछ मुस्लिमों का मत था कि इस समय परिस्थिति अनुकूल है और मौका भी है, इसलिए अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का लाभ उठाते हुए तत्काल मुस्लिमों के लिए एक पृथक भू-भाग की पहले माँग मानवा ली जाय , फिर शेष भारत में मुस्लिमों का वर्चस्व कायम करने के लिए आपसी सहयोग से संघर्ष किया जाय। पहले श्री एम. आर. ए. बेग श्री जिन्ना के सहयोगी थे। विभाजन के बिन्दु पर दोनों में मतभेद हो गया और श्री वेग श्री जिन्ना से अलग हो गये। अन्त में श्री जिन्ना की जिद से भारंत के विभाजन की मांग मुस्लिमों ने जोर-शोर से उठांई तथा गाँधी जी की कोई बात नहीं मानी। अंग्रेजों के सहयोग से अन्ततः माँग स्वीकार हुई और पाकिस्तान वजूद में आया।

इस सन्दर्भ में विख्यात मुस्लिम विद्वान् सैयद अबुल आला मौदूदी के बयान से बात समझ में आ जाएगी। श्री मौदूदी ने राज खोला और कहा कि हमारी चाहत थी कि पूरा भारत इस्लाम की धरती हो जाय। श्री एफ. के. दुर्रानी ने कहा कि पाकिस्तान का निर्माण पूरे भारत को जीतने के लिए आधार के रूप में आवश्यक था। जमाते इस्लामी आर्गन रेडिएन्स वीकली में विचार व्यक्त किया गया था कि भारत में धार्मिक विवाद आसानी से हल नहीं हो सकता। भारत में धार्मिक विवाद तभी खत्म हो सकता है, जबकि सारे भारतीय एक अकेला, अर्थात् इस्लाम, मजहब स्वीकार कर लें। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि जबसे हिन्दुस्तान में मुस्लिम शासन का अन्त हुआ, तबसे हिन्दुस्तान दारुल-हरब, अर्थात् दुश्मन देश, है और तब तक वैसा ही रहेगा, जब तक कि उसमें काफिर प्रभावशाली रहेंगे। यह सबसे अधिक जरूरी है कि यहाँ इस्लामिक शासन दृढ़ता से स्थापित हो। उलेमा हिन्दू ने सदैव इसके लिए भीषण कोशिश की, किन्तु दुःख है कि अन्तिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। धर्मान्तिरण कराने का सुन्दर काम करने के लिए गैर-मुसलमान कच्चा माल एवं उपयुक्त क्षेत्र है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि भारत देश जैसे एक देश, जो एक बार मुस्लिमों के शासनाधीन रह चुका था, को कदापि कभी छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि मुस्लिमों के खोये हुए नियन्त्रण की पुनःप्राप्ति हेतु संघर्ष करना उन्हीं पर आश्रित था। इसी से वह और दूसरे मुस्लिम नेता पाकिस्तान नहीं गये, भारत में इस्लामिक मकसद से रह गये और कांग्रेस पार्टी में घुसे हुए सत्ता सुख भोगते हुए अपने मन्सूबे की पूर्ति हेतु प्रयास करते हुए पोशीदा तरीके

से कांग्रेसी नेताओं को मूर्ख बनाते रहे। कांगेस को मुस्लिमों का समर्थन मिलता रहा और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था चलती रही। धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था फिलहाल मुस्लिमों के हित में थी, इसलिए ऊपर से मुस्लिम उसके समर्थक बने रहे, अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते रहे और सत्ता में रहते हुए इस्लाम का प्रभाव बढ़ाते रहे तथा भावी योजना को कार्यरूप में परिणित करने हेतु पृष्ठभूमि बनाते रहे।

मुस्लिमों के आका सर सैयद अहमद खाँ ने विश्वास व्यक्त किया था कि यदि अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तो यहाँ मुस्लिम, यद्यपि अल्प संख्या में होंगे तथापि, यदि आवश्यक हुआ, तो सीमा पार के अपने मुस्लिम भाईयों, जो कमल के भौरों की भाँति उन्हें सहायता करने आजायंगे, की मदद से यहाँ राज करेंगे। सर फ़जी हुसैन ने कहा था कि हमें हिन्दू राजनीतिज्ञों को औज़ार की भाँति इस्तेमाल करने में, और साथ ही उन्हें यह सत्य बताने में कि भारत में वह मुस्लिम शासन है, जिसकी ओर हम अग्रिम दृष्टि रखते हैं तथा अगली बार मुस्लिम भारत पर शासन करें, इसकी हम चाहना करते हैं, आपत्ति नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि कुछ हिन्दू राजनीतिज्ञ मुस्लिमों के साथ थे और मुस्लिमों के सहयोग से सत्ता में आने के इच्छुक थे। उन्हें ही औज़ार की भाँति इस्तेमाल करने की बात थी, इसलिए उन्हें यह सत्य बताना आवश्यक था कि मुस्लिमों का असली मकसद क्या है और यदि वे यह जानकर मुस्लिमों के सहयोग से सत्ता सुख भोगने की इच्छा तक सीमित रहें, तो मुस्लिमों को उनकी मदद लेने तथा उनकी मदद करने में आपत्ति नहीं होगी। इससे प्रतीत होता है कि उस समय भी कुछ गद्दार किस्म के हिन्दू नेता विद्यमान थे, जिन्हें हिन्दुओं से अथवा भारत के भविष्य से कोई लेना देना नहीं था और केवल किसी तरह सत्ता में घुस कर सत्ता सुख भोगना ही उनका लक्ष्य था। अतः उन्होंने मुस्लिमों का साथ दिया और मुस्लिमों ने उनका साथ दिया। आज भी स्थिति वैसी ही है। आज भी हिन्दू-मुस्लिम समस्या विद्यमान है।

विगत में भी कतिपय हिन्दू नेता मुस्लिमों के पक्षधर थे और आज भी स्थिति वैसी ही है। उस समय डा. किचलू ने कहा था कि यद्यपि एक मुस्लिम राज उनका आदर्श है, तथापि भारत की परिस्थितियाँ विलक्षण होने से, हिन्दुओं की भागीदारी के साथ एक मुस्लिम राज से काम चल जाएगा। सर फजी हुसैन ने यह विश्वास भी व्यक्त किया था कि गजनी के सुल्तान महमूद और औरंगजेब द्वारा प्रारम्भ किये गये अच्छे कार्य को भी यहाँ के मुस्लिम जारी रक्खेंगे। वे कौन से अच्छे कार्य थे, जो गजनी के सुल्तान महमूद और औरंगजेब

ने प्रारम्भ किये थे, इसका पूरा वर्णन विस्तार भय से यहाँ नहीं किया जा रहा है, किन्तु मात्र यह स्पष्ट किया जा रहा है कि वे अच्छे कार्य थे– हिन्दू पूजा-स्थलों को लूटना, उनका विध्वंस करना, मस्जिदों की स्थापना करना, हिन्दुओं का जबरन धर्मान्तरण कराना, हिन्दुओं को आतंकित करना, उन्हें लालच देकर अपनी ओर मिलाना, हिन्दुओं पर जुल्म व ज्यादती करना, हिन्दुओं का कत्ल करना, अपनी जन संख्या बढ़ाना, मुस्लिमों का वर्चस्व कायम करना, हिन्दुओं की चल सम्पत्ति लूटना, हिन्दू बहू-बेटियों की इज्जत लूटना और दारुल-इस्लाम का क्षेत्र-विस्तार करना तथा दारुल-हरब को दारुल-इस्लाम के अधीन करना, काफिरों से कुफ्र का बदला लेना एवं इस्लाम का प्रचार-प्रसार करना।

कई समझदार लोगों ने भारत के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया था, किन्तु गाँधी जी और पण्डित नेहरू के आगे विरोधी विफल हुए। फिर कई समझदार लोगों ने इस प्रस्ताव का भी विरोध किया था कि जो मुसलमान भारत में स्वेच्छा से रहना चाहें, वे यहाँ रह जाँय और जो हिन्दू स्वेच्छा से पाकिस्तान में रुकना चाहें, वे वहाँ रुक सकते हैं, किन्तु गाँधी-नेहरू ने विरोध को निरस्त कर दिया। कुछ समझदार लोगों ने सुझाव दिया था कि भारत को हिन्दू-राष्ट्र घोषित किया जाय, किन्तु उसे नहीं माना गया। तदन्तर कुछ समझदार लोगों ने इंगित किया कि भारत में मुसलमानों को रहने देना एक भारी भूल थी, किन्तु इस भूल को भी स्वीकार नहीं किया गया। नासमझ लोगों ने यही समझा कि देश हित में तथा हिन्दू-मुस्लिम समस्या के समाधान के लिए जो कुछ किया गया, वहीं ठीक था। गाँधी जी को अपने ऊपर अत्याधिक भरोसा हो गया था एवं खुशफहमी हो गई थी कि वह मुसलमानों को ठीक कर लेंगे, किन्तु वह विफल हुए। पंण्डित नेहरू को भी अपने ऊपर अत्याधिक भरोसा हो गया था एवं खुशफहमी हो गई थी कि वह मुसलमानों को ठीक कर लेंगे, किन्तु वह भी विफल हुए। दोनों ने बहुत सी बातों को नजरन्दाज किया। मुस्लिम अपने मजहब पर डटे रहे तथा इस्लामिक मतानुसार कार्य करते रहे। गाँधी-नेहरू कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिमों का समर्थन जुटाने में सफल हुए, यह बात दूसरी है।

मुस्लिमों ने सत्ता सुख भोगने के साथ-साथ इस्लाम पर कायम रहने तथा इस्लामिक हिदायतों के अुनसार कार्य करने के लिए कांग्रेस पार्टी को उपयुक्त समझा। यदि एक दूरदर्शी मुसलमान के बयान पर ध्यान दिया जाय, तो बात कुछ समझ में आ सकती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि हम विश्वास करते हैं कि हर विचार, जो कुरान के अतिरिक्त किसी अन्य श्रोत से

निकाला जाता है, वह निश्चित देववाद है और यह बात राजनीति के लिए भी लागू होती है। एक मुस्लिम, जो किसी कार्यवाही या विश्वास के लिए किसी अन्य राजनैतिक दल या वैचारिक संस्थान में अन्वेष करता था, वह मुस्लिम नहीं रह जाता और उसे सब को गले लगाने वाले कुरान के सर्वव्यापी सिद्धान्त के प्रतिकूल अनवेष करने के लिए राजनैतिक देव-पूजक जैसा समझा जायगा। उनके कथन का तात्पर्य यह था कि जो मुसलमान कांग्रेस के बजाय किसी दूसरे राजनैतिक दल का समर्थन करते थे, वे मुसलमान नहीं मानें जाएँगे वरन् देव-पूजक के समान, अर्थात् काफ़िर के समान, समझे जाएँगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी, जिसका समर्थन करते हुए कुरान के सिद्धान्त का अनुपालन किया जा सकता था। श्री आजाद वस्तुतः उदारवादी मुसलमान नहीं वरन् एक अवसरवादी एवं कट्टरवादी मुसलमान थे। किन्तु वह कांग्रेस का समर्थन करने एवं कांग्रेस के लिए मुस्लिमों का समर्थन जुटानें के लिए कांग्रेस की कृपा से सरकार की ओर से भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत हुए, जबकि उन्होंने देश-हित में कोई काम नहीं किया वरन् केवल स्वार्थवश अपने हित में एवं इस्लाम के हित में काम किया या मुस्लिमों के हित संवर्धन का कार्य किया। उन्होंने सत्ता सुख भी भोगा और कुरान के सिद्धान्तानुसार कार्य भी किया। भला ऐसे महान मुस्लिम को भारतरत्न से विभूषित क्यों न किया जाता ? इसी जगह मुस्लिम विद्वान् श्री एम. आर. ए. बेग का कथन था कि इस्लाम का ईमानदारी से अनुसरण करते हुए किसी मुसलमान के लिए भारत का अच्छा नागरिक होना असम्भव है। इस तथ्यपूर्ण बात का उद्‌घोष करने के लिए श्री वेग का सम्मान नहीं किया गया। भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के रचयिता विद्वान डा. अम्बेदकर ने साफ और सही कहा था कि शेष भारत में कुछ मुस्लिमों को रहने देना एक बहुत बड़ी भूल थी।

श्री नेहरु काबा जाना चाहते थे, किन्तु मुस्लिम मुल्लाओं ने उन्हें काबा के नजदीक नहीं आने दिया। नेहरू जी सर्वधर्म समभाव वाले महान धर्मनिरपेक्ष इन्सान थे। जीवन काल में उन्हें मुस्लिमों ने काबा में सिजदा नहीं करने दिया। उनकी मृत्यु पर उनके मृत शरीर पर कुरान का पाठ करने की इजाजत भी मुस्लिम आलियों ने नहीं दी। नेहरू जी जाति से गैर-मुसलमान थे, इसलिए काफ़िर थे। इस्लामिक मतानुसार मुस्लिमों को हिदायत है कि वे किसी काफ़िर को काबा के निकट न आनें दें और उससे मित्रता न करें एवं उसकी सहायता न करें तथा एक काफ़िर, चाहे जितना अच्छा मानव क्यों न हो, का सम्मान न

करें वरन् उसे घृणा का पात्र समझें, इसी कारण नेहरू जी को काबा के निकट तक जाने नहीं दिया गया और उनके मृत शरीर पर कुरान का पाठ नहीं करने दिया गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुरान में गैर-मुस्लिमों के प्रति मानवतापूर्ण व्यवहार करने अथवा मानवता का भाव रखने जैसी बात है ही नहीं। यदि मानवता की उसमें कोई बात है भी, तो वह मुस्लिम व मुस्लिम के बीच लागू होने वाली बात है और उस बात का कोई मतलब गैर-मुस्लिम से नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट है कि मुस्लिम का तात्पर्य जाति से मुस्लिम और गैर-मुस्लिम का तात्पर्य जाति से गैर-मुसलमान से माना गया है।

कहा जाता है कि इस्लाम भाई-चारा सिखाता हैं, किन्तु बात यह स्पष्ट होती है कि कुरान में भाई-चारे का जो उल्लेख आता है, वह मुस्लिम व मुस्लिम के बीच भाई-चारे का भाव रखने से मतलब रखता है और उसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि मुस्लिम व गैर-मुस्लिम के बीच भाई-चारे का भाव रक्खा जाय। इसी कारण 'हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई' का नारा बहुत घातक सिद्ध हुआ, हानिकारक सिद्ध हुआ। मुस्लिम इस नारे के वस्तुतः समर्थक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लामिक मत के समक्ष न इस तरह के नारे की कोई मान्यता मुस्लिम समुदाय कर सकता है और न उसका पालन कर सकता है। यह भी स्पष्ट है कि आपस में प्रेमभाव, समभाव एवं सद्भाव रखनें की जो बात है, उसका तात्पर्य यह है कि मुस्लिम व मुस्लिम के बीच प्रेमभाव, समभाव एवं सद्भाव रक्खा जाय और मुस्लिम व गैर-मुस्लिम के बीच प्रेमभाव, समभाव एवं सद्भाव रखने का सवाल ही नहीं है। सर्वधर्म समभाव रखने की बात इस्लाम में नहीं है, क्योंकि कुरान में मात्र इस्लाम मजहब को मानने की बात है, दूसरे किसी धर्म या मजहब को मानने या आदर देने की यथार्थ में कोई मान्यता ही नहीं है। अतः मुस्लिम समुदाय को धर्मनिरपेक्ष बनाया ही नहीं जा सकता। मुस्लिम जाति शान्तिपूर्ण ढंग से दूसरी जातियों के साथ रह ही नहीं सकती, मजबूरी की बात और है। अतः अन्य जातियों के लोगों के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम जाति के लोग सौहार्द का भाव नहीं रख सकते, मजबूरी की बात और है। मुस्लिम जाति के लोगों को कोई वस्तुतः ठीक कर ही नहीं सकता था। इसलिए इस दिशा में गाँधी जी और पण्डित नेहरू जैसे लोग भी वस्तुतः विफल रहे।

वस्तुतः मुस्लिम आलिम ही मुस्लिमों के मार्गदर्शक एवं संचालक होते हैं। उनके विचारों का उल्लेख ऊपर किया गया है। उनके विचारानुसार हिन्दू-मुस्लिम समस्या का निदान हो ही नहीं सकता, जब तक कि सारे गैर-मुस्लिम मुसलमान

नहीं बन जाते और सारी धरती पर मुसलमानों का शासन या राज नहीं हो जाता। यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाय, तो कहा जा सकता है कि यहाँ रहने वाले सारे गैर-मुस्लिम कभी स्वेच्छा से मुस्लिम बन ही नहीं सकते, इसलिए मुसलमानों का इस्लामिक स्वपना कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। मुस्लिम विगत में थोड़ी कोशिश हिन्दुओं को जबरन मुसलमान बनाने की कर चुके हैं, परन्तु बहुत खून बहाने पर भी उन्हें पूरी कामयाबी नहीं मिली। हो सकता था कि अंग्रेजों ने उन्हें परास्त न किया होता, तो आगे वे कामयाबी की दिशा में कुछ और अधिक बढ़ सकते थे। कुछ हिन्दुओं की गद्दारी से यहाँ मुस्लिम शासन कायम हुआ और कुछ समय तक चला भी। वर्तमान परिस्थितियों में तो मुस्लिमों का वह स्वपना पूर्ण हो ही नहीं सकता। अतः भारत में हिन्दू-मुस्लिम समस्या सदैव रही है और सदैव बनी रहेगी, विशेष कर धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था में। इसलिए यहाँ के मुस्लिम जानते हैं कि भारत में खुले तौर से वे अपने स्वपने को साकार करने का साहस नहीं कर सकते।

पाकिंस्तान ने उक्त स्वपने को साकार करने हेतु ताकत का प्रयोग करने की चेष्ठा एवं चालाकी से अपनी कोशिश को आगे बढ़ाने का क्रम काश्मीर से शुरु कर दिया था। धीरे-धीरे काश्मीर में उसने कुछ भू-भाग पर अपना कब्जा बना लिया। अब नियन्त्रण रेखा को तबदील कराने की कोशिश हो रही है। कुछ अन्तरराष्ट्रीय हस्तियाँ चाहती हैं कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर को पाकिस्तान की सीमा के अधीन करा के फिलहाल समस्या का समाधान करा दिया जाय। किन्तु इस तरह से भी समस्या का वास्तविक समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम की मंशा की पूर्ति हेतु पाकिस्तान फिर भी चुप नहीं बैठेगा। क्या पाकिस्तानी कार्यवाही व कार्यकलाप केवल काश्मीर तक सीमित हैं ? नहीं। क्या पाकिस्तानी कार्यवाही व कार्यकलाप भारत के अन्य भागों में नहीं व्याप्त हैं ? अवश्य व्याप्त हैं। फिर समस्या का समाधान कैसे होगा ? पाकिस्तान नै इस्लामिक मंशा की पूर्ति हेतु भारत के विरुद्ध आतंकवाद का भी सहारा ले रक्खा है, यह और भी भयानक बात है। फिर भी बिना सोचे समझे कुछ भारतीय नेता सुझाव देने से बाज नहीं आये कि भारत को पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, अर्थात् उस भाग को सदैव के लिए पाकिस्तान को दे देना चाहिए, नियन्त्रण रेखा का तद्नुसार निर्धारण हो जाना चाहिए और पाकिस्तान, बांगलादेश और भारत का एक परिसंघ बन जाना चाहिए। लगता है कि वे अदूरदर्शी नेता उन मुस्लिम चिन्तकों के उन विचारों से अवगत नहीं हैं, जिनका उल्लेख

ऊपर संक्षेप में किया गया है। उनके सुझाव को अमली जामा पहनाने से समस्या का दीर्घकालीन समाधान हो ही नहीं सकता।

एक नेता तो इतने भावुक हैं कि यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के गरीबों की भलाई हेतु भारत को दो हजार करोड़ रुपये दानस्वरूप पाकिस्तान को दे देना चाहिए। उन्हें भारत के गरीब दिखाई नहीं दिए और उनकी गरीबी दूर करने की कोई युक्ति उनकी समझ में नहीं आई। उन्हें समृद्ध इस्लामिक देशों से भारत के गरीबों के लिए दान माँगना चाहिए था, किन्तु उन्होंने ऐसी मांग नहीं की। मुस्लिम मजहब में जकात, अर्थात् दान, की बात तो है, किन्तु व्यवहार में वह मुस्लिमों द्वारा मुस्लिमों के लिए है, मुस्लिमों द्वारा गैर-मुस्लिमों के हेतु नहीं है। उन्होंने यह सुझाव भी दे दिया कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को जो क्षति हुई, उसकी पूर्ति हेतु भारत पाकिस्तान को सौ करोड़ रुपये दे दे। कदाचित उन्हें याद नहीं रहा कि कार्गिल का युद्ध पाकिस्तान ने भारत पर थोपा था। यदि उन्हें यह बात याद रही होती, तो वह यह कहते कि उस युद्ध में भारत को जो क्षति हुई, उसकी पूर्ति पाकिस्तान भारत को सौ करोड़ रुपये देकर करे। उन्होंनें जानबूझ के इस तरह की माँग नहीं की, क्योंकि उन्होंनें इसके पूर्व कह रक्खा था कि पाकिस्तान के गरीबों की गरीबी दूर करने हेतु भारत पाकिस्तान को दो सौ करोड़ रुपये दे दे। दूसरा सुझाव देते समय उन्हें भारत को हुई क्षति का ध्यान नहीं रहा। उनकी असली मंशा थी मुस्लिमों की उमसियत हासिल करना। वह जानते थे कि होना-हवाना तो कुछ है नहीं, फिर ऐसा शगूफा क्यों न छोड़ा जाय कि जिससे मुफ्त में मुस्लिमों की उमसियत प्राप्त हो जाय और 'हल्दी लगे, न फिटकरी, रंग चोखा' वाली बात हो जाय। इसी तरह उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद का सफाया किया जाय, किन्तु उन्होंने एक ही स्वर में वर्तमान सरकार को आतंकवादी बता दिया। इससे एक ओर उन्होंनें गैर-मुस्लिमों की उमसियत हासिल की और दूसरी ओर मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश की, ताकि उनका रुझान उनकी ओर हो जाय। एक तीर से दो शिकार करना ही राजनीतिक कौशल है। इसी तरह के हिन्दू नेताओं को औज़ार की तरह इस्तेमाल करने की मुसलमानों की नि़यत व नीति होती है, इस बात का संकेत विगत में एक मुस्लिम सर फजी हुसैन के बयान से मिलता है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

मुस्लिमों के चिन्तन एवं आचरण का यह कौशल है कि अन्तस में वे इस बात को मानते हैं कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद इस्लाम

के लिए है और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा जो काम किया जा रहा है, वह भी इस्लाम के लिए है। वे यह भी मानते हैं कि 'लादेन' जो काम कर रहा है और 'अलकायदा' की जो कार्यविधि है, वह भी इस्लाम के लिए है। तालिबानो का सरगना 'उमर' कह चुका है कि तालिबान जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वह इस्लाम के लिए है। इस्लामिक देश पाकिस्तान के आलिमों ने कहा कि 'लादेन' इस्लाम का प्रतीक है। कुरान में कहा गया है कि सारी धरती के मालिक मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें सारी धरती पर इस्लामिक राज कायम करने का अधिकार है। जो धरती गैर-मुस्लिमों अर्थात् काफ़िरों ने दबोच रक्खी है, उसपर वास्तव में मुस्लिमों का अधिकार है। काफ़िरों ने उनके अधिकार को छीना है, इसलिए मुस्लिमों का हक बनता है कि वे उनसे उस धरती को वापिस छीन लें और वहाँ इस्लाम का राज कायम करें। मुस्लिमों के अनुसार यही मतलब है इस्लाम व अल्लाह के राह में जी तोड़ कोशिश करने का, अर्थात् जेहाद करने का। जेहाद का तात्पर्य अल्लाह तक पहुंचने एवं उन्हें पाने से नहीं है। जेहाद का मंतलब अल्लाह की अनुभूति करने का प्रयास करने से है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह की अनुभूति करने के लिए मारकाट करने वाले जेहाद की कोई जरूरत ही नहीं होती। स्वर्ग का अधिकारी बनने के लिए अल्लाह पर विश्वास रखते हुए सदैव नेक काम करते रहने की आवश्यकता होती है। मार-काट करने, लड़ाई-झगड़ा करने, दूसरों का या विरोधियों का सर मारने अथवा उनका सफाया करने एवं आतंकवाद मचाने से अल्लाह को नहीं पाया जा सकता और उन कामों को नेक काम नहीं माना जा सकता। शान्ति से अल्लाह का चिन्तन मन से करते रहने एवं वास्तव में अच्छे काम करते रहने से ही अल्लाह की अनुभूति होती है।

किसी धर्म का तात्पर्य दूसरे को सताने से हो ही नहीं सकता। परन्तु गैर-मुस्लिमों की धरती पर इस्लामिक राज कायम करने का सूत्र ही मुस्लिमों ने पकड़ लिया और वर्तमान में अतंकवाद का मार्ग अपना लिया। जेहाद का अन्य कोई मतलब उनकी समझ में नहीं आया। अतः कुरान में जो कुछ अच्छी आयतें थीं, उन्हें भी रद्द मान लिया गया। इसी से कोई मुसलमान भारत के विरुद्ध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एवं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की भर्त्सना करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लादेन को अपराधी व आतंकवादी मानने की भी हिम्मत किसी मुसलमान में नहीं है, भर्त्सना करने की बात तो दूर की है। इसी कारण मुशर्रफ आतंकवादियों को स्वतंत्रता संग्राम

सेनानी बताते हैं। इसके विपरीत मुस्लिम समुदाय अमेरिका को आतंकवादी बता रहा है तथा उसे आतंकवाद का प्रवर्तक एवं मुखिया मान रहा है, क्योंकि अमेरिका आतंकवाद का सफाया करने की बात करता है अर्थात् मुस्लिमों के तथा-कथित स्वतन्त्रता संग्राम को विफल करने एवं स्वतन्त्रता सेनानियों को सबक सिखाने की बात कर रहा है। उसने अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबानों को सबक सिखाया। मुस्लिम दूसरों को यह कह कर गुमराह कर रहे हैं कि अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य है इस्लामिक देशों से तेल श्रोतों व सोनें के श्रोतों को छीनना या उनपर नियन्त्रण करना तथा सारे देशों पर अपनी चौधराहट कायम करना। उनका कथन है कि अमेरिका ने जो जंग तालिबानों के विरुद्ध छेड़ी और जिसमें अफगानिस्तान-वासी भी हताहत हुए, वह भी आतंकी हमला है एवं आतंकवादी कार्यवाही है। उनके अनुसार आतंकवाद का विरोध करना और उसके सफाए के लिए जंग करना भी आतंकवाद है। इससे प्रतीत होता है कि वास्तव में मुस्लिम समुदाय इस्लाम के हित में आतंकवाद का समर्थक है। इसीलिए विभिन्न तरह की बातें करके वह सबको गुमराह करना चाहता है। अब तो उसने यह भी कहना शुरु कर दिया है कि आतंकवाद का कारण गरीबी है, इसलिए गरीबी दूर करने हेतु जंग की जानी चाहिए। फिर पहले पाकिस्तान, जो इस्लामिक देश है, अपने यहाँ गरीबी दूर करने के लिए एकाग्र होकर संघर्ष क्यों नहीं कर रहा है, नवजवान पीढ़ी को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग कयों दे रहा हैं तथा भारत के विरुद्ध आतंकवाद एवं आतंकवादियों को प्रोत्साहित क्यों कर रहा है ? फिर भारत के मुसलमान सर्वधर्म समभाव के साथ अमनचैन से रहने की बात क्यों नहीं मान रहे हैं ? इस आकिंचन ने एक नमूना सर्वेक्षण किया, जिससे विदित हुआ कि किसी अद्ना मुसलमान की भी मंशा इस सुझाव को मानने की नहीं है कि अपने-अपने धर्म में रहते हुए, अपनी-अपनी पूजा पद्धिति का अनुसरण करते हुए सर्वधर्म समभाव के साथ सारे धर्मावलम्बी देश में मिलजुल कर अमनचैन से रहें और देश की तरक्की में योगदान दें। इससे आभास हो गया कि एक न एक दिन मुस्लिमों के कारण तथा तुष्टीकरण की नीति के कारण देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था चरमरा जायगी। जातिगत राजनीति का उपक्रम एक न एक दिन देश के लिए घातक बनेगा। अतः सारे देशवासियों को इन बातों के परिप्रेक्ष्य में सचेत होना है, सतर्क रहना है और समन्वय एवं सामन्जस्य का कोई मार्ग निकालना है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस आकिंचन का कथन है कि कहीं तो है हमारी भूल, जिसने एक बार के देश-विभाजन के बाद पुनः हमें उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है और हम न कोई सही रास्ता निकाल पाये और न कोई समाधान ढूढ़ पाये। भरत में इस्लामिक राह पर चिन्तन करने वाले मुस्लिम एवं तुष्टीकरण के समर्थक हिन्दू वर्तमान हिन्दू-मुस्लिम समस्या का कोई समन्वित एवं सामन्जस्यपूर्ण समाधान नहीं निकाल पायेंगे। पड़ोसी इस्लामिक देश भी भारत से अच्छे एवं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की बात इस्लामिक चिन्तन के समक्ष तहे दिल से स्वीकार नहीं कर सकते। यदि कोई समझौता हो भी गया, तो वह केवल अस्थायी होगा, दीर्घकालिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान व भारत के बीच तनाव का कारण दूसरा ही है और भारत में हिन्दू-मुस्लिम समस्या दूसरे ही कारण से है, जिसका समाधान सहज नहीं है। इस जटिल समस्या पर विचारों की अभिव्यक्ति आगे की जा रही है। पाकिस्तान व बांगलादेश में रह रहे हिन्दुओं पर क्या-क्या जुल्म नहीं हो रहे हैं ? भारत के मुस्लिमों के विरुद्ध जुल्म क्यों नहीं हो रहा है ? एक ओर असहिष्णुता का मजहब है, तो दूसरी ओर शहिष्णुता का धर्म है, इस कारण दृष्टिकोण में भिन्नता है एवं परिणाम में भिन्नता है, प्रभाव में भिन्नता है, कृत्य में भिन्नता है एवं कार्यशैली व चिन्तनशैली में भिन्नता है।

इस आकिंचन का कथन है कि मुस्लिम समुदाय धर्म के नाम पर राजनीति खेलता है और हिन्दू समुदाय राजनीति के नाम पर धर्म की बलि चढ़ा देता है। यह दोनों स्थितियाँ अहितकर हैं। इन पर नियन्त्रण करने की आवश्यकता है। उसका यह भी कहना है कि विगत में हमने जो भूल की है, उससे सबक लेकर हम आगे की राणनीति बनायें, तो बेहतर होगा। उसका यह सुझाव है कि भारतवासी मुस्लिमों का चिन्तन एवं आचरण इस्लामिक देशवासी मुस्लिमों के चिन्तन एवं आचरण से भिन्न होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसने समन्वित एवं सामंजस्यपूर्ण विकल्प के रूप में सुझाव दिया कि यदि हिन्दू मुस्लिम दोनों अपनी-अपनी पूजा-पद्धतियों का अनुसरण करते हुए सर्वधर्म समभाव के साथ मिलजुल कर अमनचैन से रहने का संकल्प करें, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, अन्यथा हिन्दू-मुस्लिम समस्या चिरकाल तक विद्यमान रहेगी। इस आकिंचन का मानना है कि वास्तव में हमारा दृष्टिकोण विवादित है, कोई मुद्दा विवादित नहीं है। सब कुछ देखने के लिए, सब कुछ स्पष्ट है और सब कुछ समझने के लिए, सब कुछ साफ है। किन्तु मुस्लिमों की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है।

यह सवाल बार-बार उठाया जाता रहा है कि क्या मुसलमान इस्लामिक विश्वास के मुताबिक नमाज, रोजा जकात् और हज का अनुपालन करते रह कर भारत के अच्छे नागरिक नहीं समझे जा सकते ? इसका साफ उत्तर यह है कि नमाज, रोजा, जकात् व हज के इस्लामिक विश्वास को लेकर हिन्दू-मुस्लिम तनाव न कभी रहा और न कभी रहेगा। शैरियत के साथ स्थिति भिन्न है। मुस्लिमों का साफ़ कथन रहा है कि इस्लाम केवल विश्वास नहीं है वरन् शैरियत भी है। यदि इस आधार से देखा जाय, तो यद्यपि इस्लामिक विश्वास के सिद्धान्तों, अर्थात् नमाज, रोजा, जकात और हज, का सहअस्तित्व कतिपय गैर-इस्लामिक धारणाओं, जैसे सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय भाईचारा, के साथ हो सकता है, किन्तु शैरियत का नहीं।

शैरियत अपने आप में एक संविधान है, जो मुस्लिमों के लिए ईश्वरीय होने के कारण मानव निर्मित संविधान से ऊपर है। सारी बातों व चीजों की व्यवस्था एवं नियमन के प्राविधान शैरियत में दिये गये हैं। मुस्लिमों के लिए शैरियत के प्राविधानों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार चलने की बाधिता है और शैरियत के अनुसार चलने पर हर क्षेत्र, परिक्षेत्र एवं विषय में मुस्लिमों का टकराव गैर-मुस्लिमों से अवश्य होगा। यदि मुस्लिम शैरियत के अनुसार चलेंगे, तो वे मानव निर्मित किसी दूसरे संविधान के अनुसार चिन्तन, आचरण, कार्य व व्यवहार कर ही नहीं सकते, अर्थात् धर्मनिरपेक्ष नहीं बन सकते, सर्वधर्म समभाव के समर्थक नहीं बन सकते, गैर-मुस्लिमों के परिप्रेक्ष्य में भाईचारे का भाव नहीं रख सकते और सहिष्णुता का निर्वहन नहीं कर सकते एवं किसी गैर-इस्लामिक देश के अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। यदि मुस्लिम शैरियत को न मानें एवं उसके अनुसार न चलें, तो वे मुसलमान नहीं रह जाते। इसका तात्पर्य सैद्धान्तिक आधार से यह हुआ कि जो भारतवासी मुस्लिम शैरियत को लेकर चलेगा, वह भारत का अच्छा नागरिक नहीं हो सकता और देश के अच्छे नागरिक की भाँति चिन्तन, आचरण, कार्य, व्यवहार नहीं कर सकता, अन्य धर्मावलम्बियों एवं जातियों के साथ शान्तिपूर्वक सामन्जस्यपूर्ण ढंग से भाईचारे के भाव से मिलजुल कर नहीं रह सकता, गैर-मुस्लिमों के प्रति संवदेनशील नहीं हो सकता और इस बात की फिक्र नहीं कर सकता कि गैर-मुस्लिमों के साथ भी पक्षपात एवं अन्याय न हो तथा साम्प्रदायिक दंगा-फसाद न हो।

अतः हिन्दू-मुस्लिम तनाव का कारण शैरियत है, नमाज, रोजा, जकात व हज नहीं है। शैरियत का अनुपालन करने वाले मुस्लिमों को भले ही सारी

सुविधाएँ दे दी जाँए, किन्तु तब पर भी वे भारत के अच्छे नागरिक नहीं हो सकते, यह निश्चित है। यही रहस्य एवं तथ्य श्री बेग के ऊपर उद्धृत बयान से उद्‌घाटित हुआ है। अब कोई न समझे या न समझना चाहे, तो बात दूसरी है। इस रहस्य की ओर गाँधी-नेहरू ने भी ध्यान नहीं दिया। आज के गैर-मुस्लिम नेता व गैर-मुस्लिम लोग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मुस्लिमों के प्रति उदारवादी बन रहे हैं, जबकि शैरियत के समक्ष मुस्लिम उनके प्रति उदारवादी हो ही नहीं सकते।

अतः मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का अनुगमन केवल उनके वोट प्राप्त करने की एक तरकीब मात्र है, उससे मुस्लिमों को ठीक नहीं किया जा सकता। जब गाँधी-नेहरू मुस्लिमों का चिन्तन सही व ठीक नहीं कर पाये, तो आज के नेताओं की क्या बिसात है कि वे मुस्लिमों को कोई नवीन चिन्तन दिशा दे सकें। श्री शहाबुद्‌दीन बार-बार कहते रहे हैं कि हमारे लिए शैरियत ईश्वरीय कानून है, जिसका एक-एक शब्द पवित्र है, इसलिए उसका एक नुक्ता भी छोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम शैरियत के मार्ग से थोड़ा सा भी हटे, तो हम मुस्लिम नहीं रह जाते। इसी दृष्टिकोण के कारण उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत की विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, जो शैरियत के प्रतिकूल होगा, मुस्लिमों पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने कथन से साफ़ कर दिया कि शैरियत के आगे मुस्लिमों की नज़र में भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान की भी कोई वकत नहीं है तथा भारत की विधायिका को शैरियत के प्रतिकूल कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यही बात हिन्दू कहें कि भारत के संविधान के समक्ष शैरियत की कोई वकत नहीं है, शैरियत के कानून को किसी भी रूप में मान्यता देना गलत है तथा उसके अनुरूप कोई कानून बनाने का अधिकार भारत की विधायिका को नहीं है और यदि भारत की विधायिका कोई ऐसा कानून बनायेगी, तो उसे हिन्दुओं पर लागू नहीं किया जा सकता, तो क्या स्थिति बनेगी ? यदि हिन्दू जन-भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाय, तब तो ठीक है, किन्तु मुस्लिम जन-भावना के साथ खिलवाड़ किया जाय, तब अनुचित है, यह कैसा चिन्तन है ? यदि मुस्लिम भारत-भूमि पर बिगाड़ पैदा करें, तो ठीक और यदि भारत-भूमि पर मुस्लिमों द्वारा बिगाड़ पैदा करने का हिन्दू विरोध करें और डट कर मुकाबला करें, तो गलत, यह कैसा चिन्तन है ? यदि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के विरुद्ध कायम रहे और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी भारत-भूमि पर ताण्डव

करें, तो ठीक, परन्तु यदि भारत अपनी सुरक्षा हेतु भारत-भूमि से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एवं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के सफाये की बात करे, तो गलत, यह कैसा चिन्तन है ? यदि हिन्दुओं को हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करने व लड़ाई करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए तथा हिन्दू धर्म की मान्यता करने की बात बताई जाय, तो गलत और यदि मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म की बहबूदी के लिए संघर्ष करने व लड़ाई करने के लिए उत्प्रेरित किया जाय तथा मुस्लिम धर्म की मान्यता करने की बात बताई जाय, तो सही, यह कैसा चिन्तन है ? पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध शुरु से अब तक जो अनुचित कार्य किये और आज जो अनुचित कार्य वह कर रहा है, यदि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध वे सब अनुचित कार्य किये होते या वह अब वैसा कर रहा होता, तो क्या होता और कैसा लगता ? विशेषकर भारतीय मुस्लिमों को इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में चिन्तन करना चाहिए तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए। अतः हिन्दू-मुस्लिम के बीच वास्तविक एवं गहरे मतभेद को समझने के लिए इस्लामिक विश्वास और शैरियत में अन्तर को साफ तौर से समझना पड़ेगा।

मुस्लिम समुदाय के प्रख्यात विद्वान् श्री अबुल आला मौदूदी ने कहा था कि कुरान मानवजाति को दो पार्टियों में विभाजित करता है– मुस्लिम : "अल्लाह की पार्टी" और अन्य, चाहे उनकी धर्म-निष्ठा एवं रीति-रिवाज कुछ भी क्यों न हो, "शैतान की पार्टी"। "अल्लाह की पार्टी" वह है, जो अल्लाह के झण्डे तले खड़ी होती है तथा उसके प्रतीक (इस्लाम) को धारण करती है और शैतान की पार्टी" वह है, जिसमें हर वह समुदाय, वर्ग, लोग, जाति एवं व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो अल्लाह के झण्डे तले खड़े नहीं होते हैं तथा उसके प्रतीक (इस्लाम) को धारण नहीं करते हैं। मौलान्ना अबुल कलाम आजाद ने भी ऐसा ही कहा था कि इस्लाम मानव-जाति को अल्लाह व शैतान के दो अनन्त काल से परस्पर लड़ने वाले खेमों में बाँटता है और उसके बाद इस्लाम विश्व संस्कृति को दो भागों में विभक्त करता है। यही आजाद साहब उदारवादी मुस्लिम होने तथा गाँधीवादी होने का नाटक करते हुए भारत की छाती पर जीवन पर्यन्त मूँग दलते रहे। सैयद कुतुब के अनुसार दो प्रकार की संस्कृतियाँ हैं : "इस्लामिक संस्कृति" और "जाहिल संस्कृति"। "इस्लामिक संस्कृति" इस्लामिक दुनियाँ की दृष्टि वाले सिद्धान्तों पर आधारित है और "जाहिल संस्कृति" जाहिलियत के सिद्धान्तों पर आधारित है और अपने को विभिन्न पद्धतियों में प्रकट करती है। जाहिल पद्धतियों में वह समस्त बहुदेव पूजा पद्धतियाँ, जो भारत, जापान,

फिलीपाइन्स एवं अफ्रीका में वर्तमान हैं, सम्मिलित हैं और इसमें क्रिश्चियन एवं जेविश राष्ट्र भी सम्मिलित हैं।

डा. अम्बेदकर ने इस्लाम की सारी बातों को समझने के बाद ही हिन्दुओं को सावधान करते हुए जोर देकर कहा था कि यथार्थवादी इस तथ्य को नोट करें कि मुसलमान हिन्दुओं को काफ़िर के रूप में देखते हैं और काफिर बचाये जाने की अपेक्षा पूर्णतः नष्ट किये जाने योग्य हैं। यथार्थवादी इस तथ्य को भी नोट करें कि जबकि इस्लाम के एक फिरके का मानना है कि हर दूसरा फिरका भ्रमित है या यहाँ तक कि काफ़िर है, मूर्तिपूजकों के तथा अन्य हिन्दुओं के प्रति उनका दृष्टिकोण समान रूप से शैरियत के सिद्धान्तों के अनुसार एवं अनुरूप है। डा. अम्बेदकर उन समझदार व्यक्तियों में से एक थे, जो इस बात के पक्षधर थे कि देश के बटवारे के परिणाम स्वरूप भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान भेज दिए जाँय और पाकिस्तान के सारे हिन्दू भारत में ले लिए जाँय। जब ऐसा नहीं हो पाया और कतिपय मुस्लिमों को भारत में रहने की अनुमति दे दी गई, तब डा. अम्बेदकर ने कहा था कि यह एक बहुत बड़ी भूल हुई। जब उस समय कांग्रेसी नेता कुछ नहीं समझे, तो आज के कांग्रेसी नेता, जो इन बातों को जानते तक नहीं, इन बातों को क्या समझेंगे ? अन्य राजनैतिक दल के नेतागण, जो इन बातों को जानते तक नहीं, इन वातों को कैसे समझेंगे ? इन बातों को केवल थोड़े से वे हिन्दू विद्वान व विचारक समझते थे, जो चाहते थे कि भारत को हिन्दू-राष्ट्र घोषित किया जाय और मुस्लिमों को शेष भारत में रहने देने की अनुमति न दी जाय, कांग्रेस की नीति-रीति ठीक नहीं थी और कांग्रेस का चिन्तन हिन्दुत्व के हित में नहीं था। कई ऐसे विचारक, ज़ो हिन्दुत्व का अहित होते नहीं देख सकते थे, कांग्रेस से अलग हो गये। पण्डित मदन मोहन मालवीय जैसे महान व्यक्ति ने भी कांग्रेस छोड़ दिया था। मालवीय जी ने मरते समय हिन्दुओं को संगठित, सचेत एवं सतर्क रहने और अपने को सबल बनाने का सन्देश दिया।

वस्तुतः इस्लाम कहीं भी काफ़िरों के साथ दोस्ताना तरीके से अमन-चैन से रहने की शिक्षा मुस्लिमों को नहीं देता। इस्लाम की नसीहत तो यह है कि काफ़िरों से नफरत की जाय, उन्हें बरदाश्त न किया जाय वरन् उनका सफाया किया जाय। मुस्लिमों ने कुरान की हिदायत के अनुसार ही जबरन हिन्दुओं को मुस्लिम बनाया और जिन हिन्दुओं ने मुस्लिम बनने से इन्कार किया, उनका बध

किया, मन्दिरों का विध्वंस किया, मन्दिरों को लूटा, हिन्दुओं की चल सम्पत्ति को लूटा और उनकी बहू-बेटियों की इज्जत को लूटा, अपनी जन-संख्या बढ़ाने का विविध उपक्रम किया, जानबूझ कर हिन्दू धर्म-स्थलों पर कब्जा किया और टन्टा बराबर होता रहे, इसलिए मन्दिरों में मस्जिदों को घुसेड़ा या मन्दिरों के निकट मस्जिदों को खड़ा किया। इस सन्दर्भ में कुछ सच्ची घटना का उल्लेख नीचे किया जायगा। मुस्लिमों ने न केवल हिन्दुओं की हत्या की वरन् कुछ मुस्लिमों की हत्या भी की। यह उनकी क्रूरता का द्योतक है।

स्वामी रामतीर्थ जी महाराज को अमेरिका में जिन्दा मसीह कह कर सम्मानित किया गया था। वह व्यावहारिक वेदान्त के महारथी थे। किन्तु भारत में उन्हें एक मुस्लिम मौलवी ने हलाक करने की कोशिश की, किन्तु विफल हुआ। मुसलमान बनने से इन्कार करने वाले एक हिन्दू बालक हकीकत राय का मुस्लिमों ने कत्ल किया। महाशय राजपाल की हत्या एक मुसलमान ने की। इजिप्ट के प्रेसीडेन्ट अनवर सादत की हत्या मुस्लिमों ने की। डा. मुशीरुल हसन, जो जामिया मिलिया के नेता थे, पर मुस्लिमों ने कातिलाना हमला किया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नवाब अली यावर जंग पर मुस्लिमों ने कातिलाना हमला किया। जफरुल्ला खाँ और उनके कौम के लोग मुस्लिमों के कोप भाजक बने। नासर ने सैयद कुतुब को फाँसी पर चढ़ा दिया। सैयद अबू आला मौदूदी जैसे मुस्लिम विद्वान् को पाकिस्तान में फाँसी दी गई। नियाजी और भुट्टो को पाकिस्तान में फाँसी दी गई। शैरियत इन हत्याओं का एक तरह से पूरा जिम्मेदार है। कट्टरवादिता को बढ़ावा देने का काम बहुत से मुस्लिम संगठन कर रहे हैं। श्री बेग ने साफ कहा कि इस्लाम और हिन्दुत्व के बीच सौहार्द कायम नहीं हो सकता, हिन्दू और मुस्लिम के बीच सहअस्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम मजहब सारे और धर्मों को समाप्त करने के लिए बना ही है।

कट्टरवादी मुस्लिमों की जमात तैयार करने के लिए 1992 तक 30,000 मुस्लिम मदरसे कायम किये जा चुके थे। अब तो उनकी संख्या बहुत है। यदि मुस्लिम मदरसों में रोजगार परक एवं तकनीकी शिक्षा देने की व्यवस्था की गई होती, तो मुस्लिम समुदाय में गरीबी की और बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो गई होती। मुस्लिम मदरसों से निकलनेवाले नौजवान या तो आतंकवादी बनते हैं या मस्जिदों के मौलवी बनते हैं। अब यह बात भी सामने

आ गई है कि मुस्लिम मदरसे आतंकवादियों की शरणास्थली बनते जा रहे हैं और अवांछनीय गतिविधियों को चलाने हेतु अड्डे बनते जा रहे हैं। भारतीय मुस्लिम नेता यहां के मुस्लिम गरीबों का रोना रोते हैं, उनकी बेरोजगारी का रोना रोते हैं, किन्तु उनके लिए मुस्लिम स्वयं सेवी संगठन कोई ठोस काम नहीं करते वरन् उन्हें गलत राह पर लगाने का एवं उन्हें गुमराह करने का कुप्रयास करते हैं। यदि यह सही होता कि सारी धरती को इस्लामिक धरती बना देने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो कम से कम जो धरती दारुल-इस्लाम बन गई है, वहां कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए थी। किन्तु बात यथार्थ में ऐसी नहीं है। उक्त बात एक ख्वाब के मानिन्द है, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। जिन देशों में मुस्लिम फैले हुए हैं, वहाँ भी मुस्लिम व गैर-मुस्लिम के बीच तनाव है और दोनों के बीच समस्या है। मुस्लिम और गैर-मुस्लिम के बीच के तनाव का दिग्दर्शन किया जा सकता है। बर्मा में मुस्लिमों और बौद्धों में तनाव है, लेबनान, साइप्रस व यूगोस्लाविया में मुस्लिमों और ईसाईयों में तनाव है और फिलीपाइन्स में मुस्लिम और यहूदियों के बीच तनाव है। जहां भी मुसलमान होंगे, वहां शान्ति रह ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, ईराक, ईरान और पाकिस्तान में भी शिया और सुन्नी, सुन्नी और अहमदियों के बीच मतभेद व तनाव है। अलगाववादी एवं विघटनकारी विचारधारा इस्लामिक सिद्धान्तों, अर्थात् कुरान की हिदायतों से, ही निकाली जाती है।

एक हदीस में कहा गया है कि सारी धरती अल्लाह की व उसके रसूल की है। इससे मतलब यह निकाल लिया गया कि सारी धरती पर केवल मुस्लिमों को शासन करने का अधिकार है। गैर-मुस्लिम शासक अनाधिकारी हैं, लुटेरे व डकैत हैं, इसलिए सारी धरती मुस्लिम लोग गैर-मुस्लिमों से वापिस छीन लें और इस दिशा में अनन्तकालीन लड़ाई, अर्थात् जेहाद, करें। वास्तव में धार्मिक मंशा या धार्मिक निर्देश ऐसा हो ही नहीं सकता। जेहाद का मतलब यह हो ही नहीं सकता। यहाँ भी जाति के आधार से मुस्लिम व गैर-मुस्लिम में विभेद मान लिया गया। इसलिए चिन्तन व कार्य गलत हो गया। हिन्दू धर्म में भी मान्यता है कि सब भूमि गोपाल की है, सारी सम्पत्ति प्रभु की है। यदि इस मान्यता का मुस्लिमों की भाँति गलत अर्थ हिन्दुओ द्वारा ग्रहण कर लिया जाय, तो उन्हें भारत में मुस्लिमों को रहने नहीं देना चाहिए। फिर भारत में एक मुस्लिम को राष्ट्रपति न बनाया जाता और एक मुस्लिम सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य

न्यायाधीश न बन पाता। यदि विभीषण को कर्म के आधार से राक्षस माना गया होता, तो उसे लंका का राजा न बनाया गया होता। ज्यादा क्या कहा जाय सिवाय इसके कि कुरान को ठीक ढंग से समझा नहीं गया और अर्थ का अनर्थ किया गया। केवल शाब्दिक अर्थ ग्रहण कर लेने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। धर्म वास्तव में विपलव के लिए नहीं होता। पैगम्बर साहब ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि रोज वह बुर्राक पर बैठ कर अल्लाह से मिलने जाते हैं। यह समाधि भाषा में कही गई बात थी। जो समाधि भाषा से अनभिज्ञ हैं, चाहे जितना अर्थ करलें या व्याख्या करलें, उक्त कथन के अन्तर्निहित अर्थ एवं आशय को नहीं समझ सकते। अल्लाह सब जगह व्यापक है, उसकी इबादत करना ही धर्म का प्रमुख सिद्धान्त है। अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मानव को सदैव नेक काम ही करना चाहिए।

धरती का अर्थ क्या इस्लामिक धरती से ही है, दूसरी किसी धरती से नहीं ? और मुस्लिमों को छोड़ कर उस पर किसी दूसरे को रहने का अधिकार नहीं है, और यदि कोई दूसरा रहता है, तो क्या उसे भगा देना चाहिए या मार डालना चाहिए ? क्या उस धरती पर मुस्लिमों का अधिकार हो जाने तथा उनका शासन हो जाने से ही वह इस्लाम के रसूल व अल्लाह की धरती मानी जायगी, अन्यथा नहीं ? नेक काम क्या है ? क्या लड़ाई झगड़ा करना व मार-काट करना नेक काम है ? क्या इन बातों व कृत्यों से वास्तविक एवं व्यावहारिक धरातल पर खून खराबा नहीं होगा और कुहराम नहीं मचेगा ? क्या निरन्तर युद्ध से इस युग में सारी मानव जाति का विनाश नहीं हो जायगा, जबकि परमाणु आयुध भी लड़ाई में प्रयुक्त होने के लिए उपलब्ध हैं ? क्या परमाणु-युद्ध से सारी धरती, सारे जीव एवं सारी वनस्पति पूर्णतः विनष्ट नहीं हो जाएगी ? अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत युद्ध करना जायज हो सकता है, किन्तु क्या जातिगत युद्ध, आक्रामक युद्ध एवं धार्मिक युद्ध का औचित्य हो सकता है ? अल्लाह लड़ाई-झगड़े की बात नहीं बता सकता, धरती के लिए मारा-मारी करने का निर्देश नहीं दे सकता तथा कत्ल करने का हुक्म नहीं दे सकता। वह पार्टी बन्दी नहीं कर सकता। सारा अनुचित काम मुस्लिम समुदाय उचित समझ कर करता आया है और कर रहा है, क्योंकि अनुचित कृत्य को उचित कृत्य बताता है कुरान तथा अमानवता पूर्ण कृत्य को धार्मिक कृत्य समझ कर किया जाना सिखाता है कुरान, जैसा कि मुस्लिमों ने समझा है। जब मुस्लिमों ने कुरान को गलत सलत ढंग से समझा है, तो वैसा ही गैर-मुसलमान

क्यों नहीं समझेंगे ? यदि कुछ मुस्लिम वैसा समझने से गुरेज करेंगे, तो वे मुस्लिमों द्वारा मारडाले जाएँगे और उन्हें मुस्लिम नहीं माना जायगा। और यदि कुछ हिन्दू उन बातों का विरोध करेंगे, तो मुस्लिम उन्हें मार डालेंगे। फिर तो यही कहना पड़ेगा कि मुस्लिमों ने कुरान को जैसा समझा, वही ठीक है। उस समझ के कारण मुस्लिमों ने जो जघन्य कृत्य हिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में किए, वही ठीक था। कुरान की आयतों का सही अर्थ व आशय मुस्लिम समझना नहीं चाहते, फिर भी मानवता के हित में उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्या अल्लाह मुस्लिमों को गैर-मुस्लिमों से लड़ने के लिए तरीके बता सकता है ? नहीं। कुरान उतारे जाने के समय खुल कर तलवार से लड़ा जा सकता था, इसलिए तलवार उठाने और उससे दूसरों का सर मारने की बात बताई गई। उस समय गुरिल्ला लड़ाई लड़ने की जानकारी थी, इसलिए वही तरीका बताया गया। उस समय आतंकवाद का ईजाद नहीं हुआ था, इसलिए आतंकवाद के जरिए लड़ाई लड़ने की बात नहीं बताई जा सकी। अतः यह कहा जाता है कि आतंकवाद से इस्लाम का सम्बन्ध नहीं है। किन्तु समय बीतने के साथ-साथ लड़ाई की एक नवीन विधा आतंकवाद के रूप में उदित हो गई। फिर मुस्लिमों ने इस्लाम के लिए लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक आतंकवाद का प्रयोग शुरु कर दिया। इस प्रकार आतंकवाद इस्लाम से स्वतः जुड़ गया। एक दिन आणुविक युद्ध का तरीका भी इस्लाम से जुड़ जायगा। घातक पाउडर का पयोग तो किया ही जाने लगा है और जैविक आयुध का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है।

अब विशेष रूप से आतंकवाद की परिभाषा को विस्तृत करने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में इस्लामिक देश आतंकवाद के पक्षधर हैं और कह रहे हैं कि दूसरे लोग आतंकवादी हैं। हिन्दुओं को मन्दिर-मस्जिद के मुद्दे के सन्दर्भ में आतंकवादी बताया जा रहा है। भारत पर हुए आतंकी हमलों के सन्दर्भ में मुस्लिमों को आतंकवादी नहीं बताया जा रहा है। अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों के सन्दर्भ में मुस्लिमों को आतंकवादी नहीं बताया जा रहा है, जबकि तालिबानों को सबक सिखाने के लिए जो जंग अमेरिका द्वारा शुरू की गई, उसे आतंकवाद बताते हुए अमेरिका को आतंकवादी बताया जा रहा है। आतंकवाद के सफाये की बात के सन्दर्भ में भारत के दृष्टिकोण को आतंकवाद का दृष्टिकोण बताया जा रहा है। हनुमान जी द्वार लंका को जलाने की बात को आतंकवाद की संज्ञा दी जा रही है। आतताई राक्षसों ने क्या-क्या अनाचार

व अत्याचार किया, यहाँ तक की हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दी, इसकी बात नहीं की गई। गाँधी जी की एक हिन्दू द्वारा हत्या किए जाने के लिए उस हिन्दू को अब आतंकवादी बताया जा रहा है। किन्तु मुस्लिमों द्वारा मुस्लिम आलिमों की हत्या किए जाने के लिए हत्यारों को आतंकवादी कभी नहीं कहा गया। इस्लाम व कुरान पर ऊँगली उठाने वाले कतिपय हिन्दुओं की मुसलमानों ने हत्या की, किन्तु उन हत्यारे मुस्लिमों को आतंकवादी नहीं बताया गया। मुस्लिमों ने हिन्दुओं का जबरन धर्मान्तरण कराया तथा जिन हिन्दुओं ने मुसलमान बनने से इन्कार किया उनका मुस्लिमों ने बध किया, किन्तु उन हत्यारों को आतंकवादी नहीं बताया गया। जिन्होंने घोटाले किए, भ्रष्टाचार का ताण्डव किया, उन्हें आतंकवादी नहीं बताया जा रहा है। जो राजनैतिक हत्यायें करते व कराते आ रहे हैं, उन्हें आतंकवादी नहीं बताया जा रहा है। जनता को आक्रान्त व त्रस्त करने वालों को आतंकवादी नहीं बताया जा रहा है। हिन्दुओं से हिन्दुओ को लड़ाने के लिए राजनैतिक पैतरेबाजों को आतंकवादी नहीं बताया जा रहा है। यह सब चिन्तन का दिवालियापन है।

मुस्लिम हमें गुमराह करने व हमें आपस में लड़ाने की रणनीति व राजनीति चल रहे हैं और हम उसमें उलझते जा रहे हैं। नेतागण तो स्वार्थवश कुछ समझेंगे नहीं, किन्तु कम से कम सामान्य जनता को तो इन बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लामिक मन्सूबे को समझ पाना सरल व सहज नहीं है। स्वर्ग-नरक कोई स्थान नहीं है। सारी धरती पर शासन करना जीवन का असली मकसद नहीं है। इस्लाम को छोड़कर सारे धर्मों को निरस्त मानकर चलना सही नहीं है। कुरान को छोड़कर सारे धर्म-ग्रन्थों को मिलावटी व अशुद्ध तथा निरस्त मानकर चलना सही नहीं है। इस्लामिक मजहब की पूजा-पद्धति को छोड़कर अन्य पूजा-पद्धतियों को गलत मानकर चलना गलत है। मुस्लिमों को छोड़ कर सारे गैर-मुस्लिमों को काफ़िर मानना गलत है। अल्लाह सब का हितैषी है, किसी का दुश्मन नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने आप का दुश्मन भी है और मित्र भी है। अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता। कोई किसी का सुखदाता या दुखदाता नहीं है। जाति के आधार से किसी को मुसलमान और किसी को गैर-मुसलमान मान कर चलना गलत है। भेद-भाव की दृष्टि मानवता की दृष्टि नहीं है। अल्लाह भेद-भाव नहीं कर सकता। सच्चा मानव गैरियत की बू नहीं छोड़ता। अल्लाह गैरियत की बात नहीं कर सकता। अल्लाह किसी को गुमराह नहीं कर सकता और मानव के विवेक पर ताला नहीं लगा

सकता। मानव पाखण्ड कर सकता है, अल्लाह नहीं। धर्म शाश्वत होता है। किसी धर्म को विनष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म दिव्य सुगन्ध है। अल्लाह ने ही सारे धर्मों के माध्यम से दिव्य सुगन्ध फैलाया। वह उस सुगन्ध को समाप्त नहीं कर सकता। अतः यह मानकर चलना कि इस्लाम के अतिरिक्त कोई दूसरा अच्छा धर्म नहीं है और कुरान के अतिरिक्त कोई दूसरा अच्छा धर्म-ग्रन्थ नहीं है, बिल्कुल गलत है। वृहद वेदों व शास्त्रों के समक्ष कुरान बहुत छोटी किताब है। वेदों में जीवन के हर पहलू पर विभिन्न दृष्टिकोण से खूब विचार किया गया है, उसमें से जो जितना चाहे, उतना ले सकता है। वेद का ज्ञान अथाह है। किसी पर कोई बाधिता नहीं हैं कि वह हर बात को माने। यह छूट दी गई है कि अपने विवेकानुसार जो जिस बात को अच्छा समझे, उसे माने तथा उस पर आचरण करे। कुरान में ऐसी छूट नहीं दी गई है। इसी से हिन्दू किसी धर्म-ग्रन्थ से बँधे हुए नहीं हैं। मुस्लिम अपने को सौ फीसदी कुरान से बँधा हुआ मानते हैं। इसलिए कुरान की आयतों के जो अर्थ व आशय उन्हें बताये गये, उसी को लेकर वे चल पड़े आँख मूँद कर मार-काट करने तथा मानवता को हताहत करने।

कोई धर्म गैर-मुस्लिमों के विनाश की शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि कोई धर्म विपलव के लिए नहीं होता। व्यक्ति स्वयं को भी चिन्तन व आचरण के धरातल पर गन्दा कर सकता है और धर्म व धर्म-ग्रन्थ को भी अपने गन्दे विचारों व भ्रष्ट आचरण एवं गन्दे मनोभाव व दूषित मनोवृत्ति से कलंकित, अशुद्ध एवं बदसूरत बना सकता है। बन्दा ही गन्दा बनता है। अल्लाह काफ़िरों का भी उत्पत्तिकर्ता है और पालनकर्ता है। भला वह उनके विनाश की बात कैसे-सोच सकता है ? यदि उनको विनष्ट करने की उसकी मंशा होती, तो कुरान उतारने के साथ-साथ वह काफ़िरों को उत्पन्न करना ही बन्द कर देता, ताकि आगे तो उनके प्रति अत्याचार की कार्यवाही न हो पाती और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा व जुल्म एवं ज्यादती न होती। अल्लाह का कथन रहस्यपूर्ण होता है। इतना सरल नहीं होता कि सब उसे सहजता से समझ लें। धर्म तो गूढ़ होता ही है और धर्म-ग्रन्थ भी गूढ़ ही होता है। जीवन भी तो सरल नहीं है, बहुत जटिल है। नमाज़ का अर्थ, रोजे का अर्थ, जकात का अर्थ और हज का अर्थ भी ठीक-ठीक समझ पाना कठिन है। वास्तव में अल्लाह में पूर्ण विश्वास रखने की बात बहुत ऊँची है। उस ऊँचाई तक पहुँच पाना साधारण व्यक्ति के लिए अत्यन्त दुरुह है। धर्म जीवन की एक दिशा है, अध्यात्म तो पूरा जीवन है।

धर्म मानव को मानवीय जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म असहिष्णुता का प्रतिपादन नहीं कर सकता। ध्यान करते-करते जब ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है, तो उसी को समाधि कहा जाता है। उस अवस्था में पहुँचने पर ही अल्लाह की वास्तविक रूप में अनुभूति हो सकती है। अल्लाह को ढूढने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता वरन् भीतर झांकने व लौटने की आवश्यकता होती है। यही है अल्लाह की ओर पलटने का तात्पर्य। अल्लाह की राह में जेहाद, अर्थात जी तोड़ कोशिश, करने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति बाहर से अन्दर चलने की सतत् कोशिश, अर्थात् 'साधना', करे। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अन्तर्मुखी होने की कोशिश करे। अधिकांश लोग बर्हिमुखी होते हैं, उन्हें अन्तर्मुखी होने की आवश्यकता बताई गई तथा इसके लिए साधना भी बताई गई और जी तोड़ चेष्टा करने की बात भी बताई गई। जिसकी चेतना बाहर की ओर, अर्थात् संसार की ओर, बह रही है, वह वहिर्मुखी है और जिसकी चेतना अपने अन्तस की ओर प्रवाहित हो रही है, उसे अन्तर्मुखी कहा जाता है। दोनों स्थितियों में बहुत अन्तर है। कुरान में भी समाधि भाषा में यही बातें कहीं गई हैं। किन्तु उस रहस्य को समझने की कोशिश नहीं की गई, जिससे इस्लाम विपलवकारी हो गया। ऐसी मंशा अल्लाह की नहीं थी। उन्होंने कहा कुछ और समझा गया कुछ।

अल्लाह को हाज़िर नाज़िर मानकर पैगम्बर साहब ने कहा कि सभी इन्सान आपस में भाई-भाई हैं और हुक्म दिया कि सभी एक दूसरे को भाई कहें। इस बात को भी सही तरीके से नहीं समझा गया। इस सन्दर्भ में पूर्व में पैगम्बर साहब यह कह आये थे कि हमारा मजहब हमारे लिए और तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के उपास्य को बुरा न कहो। जब हमारा मजहब हमारे लिए होगा, तो हमारा उपास्य भी होगा, पूजा-पद्धति भी होगी। अतः मुस्लिमों के लिए इस्लाम मजहब है, उनका उपास्य निराकार अल्लाह है और उनकी पूजा-पद्धति में उसी की उपासना बताई गई तथा नमाज रोजा, जकात और हज की विधि के माध्यम से उपासना की बात समझाई गई। दूसरों के लिए भी धर्म बनाया गया, उपास्य बताया गया और समझाया गया कि ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। उसकी पूजा करने हेतु कई विधियाँ बताई गईं। कथित बातों का तात्पर्य था कि मुस्लिम समुदाय अपनी पूजा-पद्धति के अनुसार अपने मजहब में रह कर अल्लाह की उपासना करें और दूसरे

समुदाय अपने मजहब में रहते हुए अपनी पूजा-पद्धति के अनुसार अपने उपास्य की उपासना करें। किन्तु दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को अपना भाई समझें। खेद की बात तो यह है कि इस कथन को ठीक तरह से मुस्लिमों ने समझा नहीं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया और भेद-भाव का अनुगमन होने लगा। यदि मुस्लिमों के चिन्तन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय, तो वही बात दूसरी तरह से उभरेगी। यदि जाति के आधार से गैर-मुसलमानों को काफिर माना जायगा, तो उन्हें इन्सान ही नहीं माना जा सकता वरन् उन्हें दण्ड का पात्र माना जायगा, दोस्ती के काबिल नहीं समझा जायगा, अशुद्ध माना जायगा, पतित व भ्रष्ट समझा जायगा, उन्हें घृणा का पात्र समझा जायगा और उनके सफाये की बात की जायगी तथा उनसे लड़ाई लड़ते रहने की बात होगी, तो भला मुस्लिम उन्हें भाई क्योंकर मानेंगे एवं उनके साथ भाई-चारा कैसे रक्खेंगे ?

अतः आपस में भाई-चारा रखने और दूसरे को भाई कहने की बात केवल मुस्लिम-मुस्लिम के बीच लागू हो सकती है, मुस्लिम व गैर-मुस्लिम के बीच लागू नहीं की जा सकती, अन्यथा सारी इस्लामिक व्यवस्था, जिस रूप में मुस्लिमों ने उसे समझा है, छिन्न भिन्न हो जायगी। गैर-मुस्लिमों को शैतान की पार्टी का सदस्य माना गया है और मुस्लिमों को अल्लाह की पार्टी का सदस्य माना गया है अर्थात् मुस्लिमों का उपास्य अल्लाह है और गैर-मुस्लिमों का उपास्य शैतान है। तब दोनों में भाईचारा कैसे होगा और दोनों एक दूसरे को अपना भाई क्यों मानेंगे ? इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि गैर-मुस्लिमों के परिप्रेक्ष्य में उक्त कथन निष्प्रभावी हो जाता है तथा हांथी की दाँत की तरह उसका मात्र प्रदर्शन हो सकता है। इसी से उसका केवल गाना गाया जा रहा है। यदि उक्त बचन को सही तरीके से समझा गया होता, तो हिन्दू-मुस्लिम के बीच का तनाव कब का खत्म हो गया होता। मुंस्लिमों ने नासमझी के कारण सब कुछ विषाक्त कर दिया तथा स्वयं तनाव को बनाये रक्खा। इस परिप्रेक्ष्य में हिन्दुओं पर दोष मढ़ने की कोशिश करना निरर्थक है। हिन्दुओं ने तो वही अर्थ जाना जो मुस्लिमों ने प्रतिपादित किया, फिर उनका क्या दोष ? यह मुस्लिमों की मजबूरी है कि यथार्थ में वे गैर-मुस्लिमों को अपना भाई नहीं मान सकते और उनके साथ भाईचारे का वस्तुतः निर्वहन नहीं कर सकते। यदि उन्होंने इस्लामिक मत को नहीं माना, तो सब गड़बड़ हो जायगा।

जब कुरान में आगे यह कह दिया गया कि सारे गैर-मुस्लिम काफ़िर हैं, तो स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिमों की नजरों में केवल कुरान मान्य रह गया, केवल इस्लाम मजहब रह गया, बाकी धर्म निरस्त हो गये तथा सारे धर्म-ग्रन्थ रद्द हो गये। जब काफ़िरों को समाप्त करने की बात आ गई, तब सर्वधर्म समभाव की कोई बात ही नहीं रह गई, दूसरे उपास्यों की भी बात नहीं रह गई और दसरे मजहब का सवाल नहीं रह गया। अतः उक्त दोनों बातों की सार्थकता नहीं रही। वे बातें भी हाथी क़े दाँत के समान प्रदर्शन हेतु ही रह गई। इसी कारण मुस्लिम सर्वधर्म समभाव की वस्तुतः मान्यता नहीं कर सकते, केवल उसका वे गाना गाते हैं। मुस्लिमों का इस सन्दर्भ में सारा प्रदर्शन दूसरों को गुमराह करने के लिए है। मुस्लिम आलिमों ने सब कुछ साफ तौर से कह दिया। फिर हम भ्रम में क्यों रहें ? उनकी ही बात हम सही मानते हैं, इसीलिए हम पर दोष मढ़ने का कोई ओचित्य या आधार नहीं है। यदि उक्त आयतों को ठीक तरीके से समझा गया होता, तो सर्वधर्म समभाव एवं भाईचारे का भाव विकसित होता और हिन्दू-मुस्लिम के बीच भेद-भाव खत्म हो जाता एवं हिन्दू-मुस्लिम समस्या न रहती। त्रुटिपूर्ण मुस्लिम मत हिन्दू-मुस्लिम तनाव एवं समस्या का जन्मदाता है। इसी कारण चिन्तन में परिमार्जन मुस्लिमों को करना है, हिन्दुओं को नहीं। मूल रूप से हिन्दुओं का चिन्तन सही है और जैसे ही मुस्लिम चिन्तन में परिवर्तन होगा, वैसे ही दोनों समुदायों में स्वतः सौहार्द बन जायगा। अन्यथा सब नाटक सिद्ध होगा। एक ओर मुस्लिम नाटक कर रहे हैं और दूसरी ओर तुष्टीकर की नीति के अनुगामी नेता नाटक कर रहे हैं।

मजहबों या धर्मों से लड़ा नहीं जा सकता और उपास्यों से भी लड़ा नहीं जा सकता। हाँ, उपास्यों को बुरा कहा जा सकता है, महजबों को बुरा कहा जा सकता है, धर्म-ग्रन्थ को बुरा कहा जा सकता है, अल्लाह से नहीं लड़ा जा सकता, किन्तु बुरे इन्सानों को बुरा कहा जा सकता है। विभिन्न धर्मावलम्बी आपस में लड़ सकते है, विभिन्न इन्सान आपस में लड़ सकते है, विभिन्न देशवासी आपस में लड़ सकते हैं और शान्तिमय लोगों एवं अशान्तिप्रिय लोगों में लड़ाई हो सकती है। आस्तिक एवं नास्तिक के बीच लड़ाई हो सकती हैं। सदाचारियों और दुराचारियों क़े बीच लड़ाई हो सकती है, मुस्लिम व गैर-मुस्लिम, अर्थात् काफिर, के बीच लड़ाई हो सकती है। फिर भी किसी धर्म का यह धर्म

नहीं है कि वह लड़ाई की बात सिखाये या लड़ाई के लिए उभारने हेतु बात बतावे और सरमारने की बात करे। इस सन्दर्भ में कुरान की बातों को गलत ढंग से समझा गया और मुस्लिमों को गलत ढंग से समझाया गया। अर्थ का अनर्थ हुआ। सारा दोष मुस्लिमों का है। जैसी गलत समझ मुस्लिमों ने दिखाई, वैसा दूसरों ने माना। धर्म मूलतः शान्ति, प्रेम, अहिंसा, समता, सहिष्णुता सौहार्द आदि का समर्थक एवं प्रतिपादक होता है। अतः धर्म-ग्रन्थों में भी ऐसा ही होता हैं। उसमें कोई फेर-बदल नहीं होता। यह तो इन्सानों की भूल है कि वे अन्यथा समझ लेते हैं और धर्म के नाम पर लड़ने-भिड़ने लगते हैं। वे नासमझ लोग धर्म-ग्रन्थ से लड़ाई भिड़ाई की बात निकाल लेते हैं। इस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसका कारण यह है कि धर्म-ग्रन्थ में समाधि भाषा में कही गई बातों का वास्तविक अर्थ एवं आशय जब समझ में नहीं आता, तब मात्र शाब्दिक अर्थ को पकड़ कर मारकाट शुरु कर दी जाती है। यदि सही अर्थ व आशय समझाया जाता है या समझाने का प्रयास किया जाता है, तो कोई समझना नहीं चाहता, इसलिए समझता नहीं। यही हाल मुस्लिमों का है।

किस बुराई को दूर करने की बात है, किस बुराई को दूर करने हेतु लड़ाई करने का औचित्य है, इन बातों को भी लोग ठीक-ठीक नहीं समझ पाते। इस परिप्रेक्ष्य में भी लोग अपनी मनमानी चलाते हैं। इसी कारण धार्मिक उन्माद के तहत लड़ाई होने लगती है, जिसे साम्प्रदायिक दंगा-फसाद भी कहा जाता है। जोर-ज़बरदस्ती से दीन को लागू करने एवं मनवाने के लिए लोग जुल्म-ज्यादती करने तथा लड़ाई करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण भी दंगा-फसाद होता है। धार्मिक युद्ध का अल्लाह को बहुत अनुभव था और वह जानते थे कि दीन को जोर जबरदस्ती से लागू नहीं किया जा सकता और दीन को जोर जबरदस्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसी से अल्लाह ने रसूल से यह कहलवाया कि दीन पर जोर जबरदस्ती नहीं है। किन्तु मुस्लिम इस रहस्यपूर्ण कथन को समझे नहीं। कोई धर्म को समझना न चाहे, तो उसे धर्म समझाया नहीं जा सकता। कोई धर्म पर चलना न चाहे, तो उसे धर्मानुसार चलाया नहीं जा सकता। कोई धर्माचरण करना न चाहे, तो उससे धर्माचरण नहीं कराया जा सकता। कोई ज्ञान न लेना चाहे, तो उसे कोई ज्ञान दे नहीं सकत्ता। इसीलिए जिज्ञासु को ही धर्म समझाया जा सकता है और ज्ञान दिया जा सकता है। धर्म-ग्रन्थ भी जिज्ञासु एवं विश्वास वाले को ही सुनाया जाना चाहिए। पहले

किस्म का भक्त वह होता है, जिसके कान समुद्र के समान हों। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे समुद्र में कितना भी जल क्यों न पहुंचे, समुद्र अपने में सारा जल रख लेता है और जल लेने से अघाता नहीं, उसी प्रकार का कान रखने वाला भक्त भगवान का गुणगान सुनता जाता है, किन्तु अघाता नहीं।

दीन को बलपूर्वक लागू करने का परिणाम अल्लाह देख चुके थे, इसलिए रसूल से वह कथन कराया गया। उस समय के कालखण्ड में भी दीन के लिए जोर जबरदस्ती हो रही थी, दीन को लागू करने व जबरन मनवाने का कुकृत्य हो रहा था तथा लड़ाई-भिड़ाई हो रही थी। दीन के लिए लड़ाई-भिड़ाई न हो, जोर-जबरदस्ती न हो और कुहराम न मचे, इसलिए वह बात कही गई। पूर्व में ठीक से धर्म की बात समझी न गई होगी, इसलिए पुनः कहा गया कि दीन को लागू करने या मनवाने के लिए कोई जोर जबरदस्ती न की जाय। किन्तु भारत पर राज करने के परिप्रेक्ष्य में जबरन हिन्दुओं का धर्मान्तरण कराया गया और मुसलमान बनने से इन्कार करने वाले हिन्दुओं पर खूब जुल्म ढाया गया। यह दीन को जबरन लागू करने व बलपूर्वक मनवाने की ही बात थी, जो कुरान की एक आयत के अनुसार गलत बात थी, फिर भी कतिपय मुस्लिम नहीं माने। इसके लिए कुरान की उक्त आयत का सही अर्थ न समझने वाले बहुत से मुस्लिम दोषी थे। इस्लामिक राज कायम करने की हिदायत के समक्ष जबरन धर्मान्तरण कराने के गलत कृत्य को इस्लाम के लिए धार्मिक कृत्य मान लिया गया। यह नासमझी मुस्लिमों ने की। इसी तरह हिन्दू धर्म-स्थलों का विध्वंस करने के कुकृत्य को भी धर्म का कार्य मान लिया गया। जो जितनी अधिक हत्या हिन्दुओं की करता था, उसे उतना ही बड़ा गाजी माना जाने लगा। एक मुस्लिम आलिम ने कहा था कि धर्मान्तरण कराने के लिए हिन्दू कच्चा माल है एवं उपयुक्त क्षेत्र है। स्वेच्छा की बात असंगत है, क्योंकि उस आलिम ने धर्मान्तरण कराने का संकेत किया, करने का नहीं। कच्चे माल को पके माल में बदलने के लिए कोई विधि अपनानी पड़ती है। हिन्दुओं को मुस्लिम बनाने की विधि जोर जबरदस्ती ही वह विधि थी। कुछ आधुनिक मुस्लिम कहते हैं कि हिन्दू लोग स्वेच्छा से मुस्लिम बने थे। भला इतना तो उन्होंने माना कि हिन्दुओं का धर्मान्तरण हुआ था, यद्यपि उनका कथन है कि उनका धर्मान्तरण स्वेच्छा से हुआ था। अब रही जोर-जबरदस्ती की बात, तो इतिहास ऐसे तथ्यों से भरा पड़ा है कि हिन्दुओं का जबरन धर्मान्तरण कराया गया था तथा उस क्रम में

हिन्दुओं पर खूब जुल्म ढाया गया था। मुस्लिम किसी भी युक्ति या तर्क से उक्त ऐतिहासिक तथ्यों को झुठला नहीं सकते। गजनी के सुल्तान महमूद और भारत के मुस्लिम बादशाह औरंगजेब द्वारा यही सब अच्छा काम शुरु किया गया था और उन्हीं कार्यों को जारी रखने की अपेक्षा भारत देश के मुस्लिमों से की गई थी। कुरान की आगे की आयतों में कही गई बातो के परिप्रेक्ष्य में तो अर्थ का अनर्थ करने की हद कर दी गई। अल्लाह, इस्लाम व कुरान को न पहले मुस्लिम ठीक से समझ पाये और न आज ठीक से समझ रहे हैं। अतः कुरान की उक्त कथित बातें भी हांथी के दाँत की तरह दिखाने भर के लिए हैं और बहबूदी गाने भर के लिए हैं।

कुरान में शायद इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि 23 वर्षों में पूरा कुरान उतारा गया था, वह भी एक बार में नहीं, पारिस्थतियों को देख-देख कर थोड़ा-थोड़ा करके कई बार मे। मौलाना गुलाम हैदर ने इंगित किया कि कुरान केवल अरबी भाषा में नहीं उतरा वरन् सात भाषाओं में उतरा। कुरान में प्रयुक्त शब्दावली को देखने से पता चलता है कि कुरान में अनेक भाषाओं का प्रयोग है। कुरान के शुरुआती भागों में कुछ अच्छी-अच्छी बातें कही गईं, फिर जेहाद और लड़ाई की बातें कही जाने लगीं। कुछ मुस्लिमों ने मान लिया कि जेहाद सम्बन्धी आयत द्वारा कुछ आयतें निष्प्रभावी हो गईं। अबू बकर इब्न अल-अरब ने कहा कि जेहाद की आयत द्वारा 124 वैसी आयतों को, जो काफ़िरों के प्रति भी धैर्य रखने की शिक्षा देती थीं, रद्द कर दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि जेहाद की आयत आ जाने से मुस्लिमों ने पूर्व की 124 अच्छी आयतों को मन से उतार दिया, अर्थात् रद्द व निष्प्रभावी मान लिया। अतः उनपर अमल करने का सवाल नहीं रह गया। जेहाद की आयत पर अमल होने लगा। जेहाद की आयत के मर्म को भी सही ढंग से नहीं समझा गया। इसलिए जुल्म व ज्यादती और बढ़ गई। कथित 124 अच्छी आयतें केवल हाँथी के दाँत की भाँति दिखाने भर के लिए रह गईं। उन्हीं का उल्लेख बारम्बार करते हुए आज आधुनिक मुस्लिम भी पूर्व की भाँति कुरान की बहबूदी बघारते हैं, किन्तु कोई उन पर अमल नहीं करता। यदि उन 124 अच्छी आयतों पर अमल किया जाय, तो हिन्दू-मुस्लिम तनाव वास्तव में कम हो जाय। किन्तु कठिनाई यह है कि यदि उन 124 आयतों को अमल में लाया जाने लगा, तो जेहाद की आयत निष्प्रभावी होगी और उस स्थिति में आगे की व्यवस्था चरमराने लगेगी। इसी कारण यहाँ

के मुस्लिम भी ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं कि वास्तव में क्या किया जाय और क्या न किया जाय। सरल यही समझा गया कि उन 124 आयतों का वाचित रूप से गाना गाया जाता रहे, कुरान की अन्य हिदायतों को फिलहाल पेशीदा रक्खा जाय, क्योंकि परिस्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं हैं और खुल कर भारत के शासन में मुस्लिम वर्चस्व की बात करने का एवं भारत में इस्लामिक राज कायम करने का मन्सूबा जाहिर करना ठीक नहीं है वरन् मुस्लिमों के लिए अधिकाधिक अधिकारों व सुविधाओं की माँग की जाती रहे, अपनी जनसंख्या बढ़ाई जाती रहे और अवांछित तत्व एवं आतंकवादी बाहर से व भीतर से जो कार्यवाही इस्लाम के लिए भारत के विरुद्ध चला रहे हैं, उनका खुल कर समर्थन भी न किया जाय और विरोध भी न किया जाय वरन् सरकार की आलोचना की जाती रहे। यही है यहाँ के मुस्लिमों की वर्तमान कार्य-योजना एवं कार्यविधि। वे हिन्दू नेताओं को ठग रहे है और हिन्दू नेता उन्हें ठग रहे हैं। मुस्लिमों को लुभाने का काम उनका वोट पाने हेतु नेतागण कर रहे हैं और मुस्लिम उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं, ताकि वे सबल होते जाँय। वोट की राजनीति, जातिगत राजनीति और तुष्टीकरण की नीति इस सन्दर्भ में बहुत घातक है, यह बात स्वार्थ से ग्रसित होने के कारण कोई नहीं समझ रहा है। समय सब को समझाएगा, तब सुधार के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। यदि बिगड़े नवाब स्वेच्छा से सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो प्रकृति उन्हें घसीट-घसीट कर सही मार्ग पर ले जायगी। पारमार्थिक मार्ग ही सही मार्ग है। स्वेच्छा से बहुत कम ही लोग उस मार्ग पर चलने का संकल्प एवं प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग सांसारिक भोगों में ही लिप्त रहते हैं। सांसारिक सुख-भोग ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। उनकी बुद्धि बहुशाखीय होती है, एक शाखीय नहीं। ऐसे लोग दिखावे के लिए पूजा करते हैं, जब कि उनका मन पूजा के समय भी सांसारिक विषयों में रमण करता रहता है। मानव मन एक बार सांसारिक विषयों में बिखर जाय, तो उसे समेट कर अल्लाह में एकाग्र कर पाना कठिन होता है। फिर जिसका मन बार-बार सांसारिक विषयों में बिखरता रहे, उसे एकाग्र कर के अल्लाह में नियोजित कर पाना तो अति कठिन होगा। पैगम्बर साहब ने ऐसे ही लोगों के सन्दर्भ में कहा कि सांसारिक जीवन के सिवा जिसे कुछ अभीष्ट नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। एक दिन सब को अल्लाह की ओर पलटना है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि एक दिन सब को जाति से मुसलमान बन जाना है। यहाँ

पर यह इंगित करना है कि मुस्लिम आलिमों द्वारा विभिन्न मत व्यक्त किए गए है, जिसका सारांश मौलाना गुलाम हैदर के अनुसार यह है कि कुरान में लगभग 500 बातें ऐसी हैं कि जिनको कुरान कर्ता ने स्वयं परिवर्तित कर दिया। यह बात ईश्वरीय ज्ञान के विपरीत है, क्योंकि ईश्वर एक रस है, अतः उसका ज्ञान भी एक रस होना चाहिए, जबकि कुरान में ऐसा नहीं है। लगता है कि चूंकि मुहम्मद साहब का बहुत विरोध हो रहा था, इसलिए विरोधियों को समाप्त करने हेतु लड़ाई-झगड़े की युक्ति का प्रतिपादन किया गया।

मुहम्मद साहब ने एक जगह कह तो दिया कि यह सांसारिक जीवन कुछ नहीं है, महज एक खेल और दिल का बहलावा है, वास्तविक जीवन का घर तो पारलौकिक घर है। यही बात अन्य धर्म-ग्रन्थों में भी कही गई है। "बहुत मजबूत घर है आकिबत का दारे-दुनियाँ से, उठा लेना यहाँ से अपनी दौलत और वहां रखना।" किन्तु कितने लोग इस बात को समझ कर तद्नुसार जीवन जीने की कोशिश करेंगे ? नगण्य। यदि जीवन का लक्ष्य ऐसा हो, तो सारा झंझट ही खत्म हो जाय। किन्तु बिरला ही इस ओर चल सकेगा। जो चलेगा, उसका संसार के प्रति आकर्षण बिखर जाएगा। "मुझसे चलने में न होगा कोई गाफिल बढ़ कर, गिर पड़े हैं मेरे दामन की गिरह खुल के गुहर।" इसी से रसूल ने कहा कि क्या ही अच्छा होता कि सब लोग उक्त कथन को जानते और मानते ! लोग सूचना के तौर पर उक्त कथन से अवगत हैं और उसे दोहराते हैं, किन्तु प्रश्न तो यह है कि जीवन में इस बात को कितने लोग उतार पाये और कितने लोग उतार पायेंगे ? अधिकांश लोग सांसारिक जीवन की ओर ही उन्मुख रहे हैं, उन्मुख हैं और उन्मुख रहेंगे। वे ही धरती के लिए एवं सांसारिक सुख के लिए मारा-मारी करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे लोगों ने कुरान को वदसूरत बनाया है और धर्म के नाम पर राजनीति खेला है व खेल रहे हैं, जबकि धर्म में राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति खेलने में लोगों की बहुत रुचि रही, जिससे तकरार और बढ़ गया। मुस्लिम आलिमों ने आग में घी डालने की कोशिश की और कहा कि इस्लाम व राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों में ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। पारलौकिक जीवन की ओर उन्मुख होना अत्यन्त कठिन व दुरुह है, जबकि सांसारिक जीवन की ओर उन्मुख होना बहुत सरल है। इसी कारण अधिकांश लोग सरल मार्ग ही अपनाते हैं। ऐसे लोग धर्म को ठीक-ठीक न समझ सकते, न जान

सकते। अधिक से अधिक वे वाचित ज्ञानी बन सकते हैं। पारलौकिक जीवन की पहले प्रबल चाह हो एवं प्रबल प्यास हो, फिर उसके लिए सतत् साधना और अभ्यास किया जाय। सिद्धि पाने व सफल होने के लिए सामान्यतः एक जीवन पर्याप्त नहीं होगा। प्रयास को जारी रखने के लिए पुनर्जीवन पाने की आशा जगाती है हिन्दू धर्म की पुनर्जन्म की मान्यता। किन्तु इस्लाम में पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं है। पारलौकिक जीवन की ओर कुछ गति हो सकती है, यदि इस बात का अभ्यास किया जाय कि आराम व आराइश पूर्ण सांसारिक जीवन जीते समय भी वस्तुतः अल्लाह की याद बनी रहे और क्रोध व अहंकार करते समय वस्तुतः अल्लाह का डर बना रहे। केवल स्वर्ग के सुख का स्वप्न देखते रहने और मारा-मारी करते रहने से काम नहीं चलेगा।

स्वर्ग की चाहना करना और धरती के लिए मारा-मारी करना, यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। मुस्लिमों को यह बताया गया कि जो काफ़िरों की जितनी अधिक हत्या करेगा, वह उतना बड़ा गाज़ी कहलायेगा। यह बेहद गलत बात थी। काफ़िरों की हत्या करना नेक काम मान लिया गया, जिससे मानवता को बहुत पीड़ा पहुँची। समाज को आतंकित करना, आक्रान्त करना एवं त्रस्त करना सामाजिक सेवा का नेक काम नहीं है वरन् यदि समाज को आक्रान्त व त्रस्त करने में हमारा कोई हाथ है, तो उस हाथ को खींच लेना सबसे बड़ी सामाजिक सेवा है और सबसे अच्छा व नेक काम है। ऐसा समझने व करने वाला अल्लाह में ईमान रखनेवाला कहा जा सकता है। अतः अल्लाह में विश्वास रखते हुए और उनसे डरते हुए सदा नेक काम करना होगा अर्थात् मानवतापूर्ण कृत्य करना पड़ेगा तथा धीरे-धीरे सांसारिक जीवन के आकर्षण से मुक्त होना पड़ेगा, जीवन का कायापलट करना पड़ेगा। मात्र वाचित ज्ञान से कोई मुस्लिम नहीं बन सकता। मानवताविहीन कृत्य नेक काम नहीं है। जिस व्यक्ति की चिन्तनशैली व कार्यशैली ऐसी हो, वही सही अर्थों में मुस्लिम है। यथा –

"दिया अपनी खुदी को जो हमने उठा।
वह जो परदा सा बीच में था न रहा।।
रहे परदे में अब न वह परदा नशीं।
कोई दूसरा उसके सिवा न रहा ।।"

"दरे-दिल को हिला कर दर्शन आ।
कहीं करना तो पड़ता सफ़र ही नहीं।।"

यह समझना भूल है कि अल्लाह की मर्जी है कि सारी धरती पर वाह्य रूप से इस्लामिक शासन हो जाय और जाति के आधार से सब लोग मुस्लिम बन जाँय। जेहाद का भी इससे कोई मतलब नहीं है। यह अल्लाह की राह नहीं है। समाधि भाषा के आधार से देखा जाय, तो धरती से आशय सांसारिक धरती से नहीं है वरन् दिलरूपी धरती से है और काफ़िर का तात्पर्य दिलमें वसी शैतानी बुरी वृत्तियों से है। काफिर से लड़ाई लड़ने का तात्पर्य है कुवृत्तियों से लड़ाई लड़ना। कुवृत्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं। उनके प्रभाव के आगे मनोबल कमजोर पड़ जाता है। उसी कमजोरी को दूर करने की बात बताई गई है। इसी तरह अन्य बातों का तात्पर्य कुछ और है। सब लोग दिल की धरती पर अल्लाह का राज़ कायम करें, क्योंकि शैतानी प्रवृत्तियों ने वहाँ अपना शासन जमा रक्खा है। बाहर का रकबा महत्त्वपूर्ण नहीं होता, दिल का रकबा महत्त्वपूर्ण होता है। दिल की धरती पर धर्म का राज तो होना ही चाहिए। कुवृत्तियों को वहां से मार के भगाना ही होगा। "रकबा तुम्हारे गाँव का दो मील है तो क्या, रकबा तुम्हारे दिल का दो इंच भी नहीं।" यह है अल्लाह की राह और इस में जी तोड़ कोशिश की जाय अर्थात् जेहाद किया जाय। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, वही स्वर्ग का अधिकारी होगा, अर्थात् अल्लाह का अच्छा व प्यारा बन्दा कहलायेगा और सुख भोग करेगा। ऐसा ही व्यक्ति सही अर्थों में मुस्लिम होगा और उसका जीवन सार्थक एवं धन्य होगा। इस राह में बाधायें भी आयेंगी, जिनको वैचारिक तलवार से समाप्त करना होगा, कमजोर नहीं बनना होगा, शैतानी प्रवृत्तियों व उनके प्रकोप पर विजय पाने के लिए उनसे उनकी समाप्ति तक लड़ना पड़ेगा।

गोस्वामी तुलसी दास ने भगवान से विनय-पत्रिका में निवेदन किया कि मैं अपने अन्दर आपके लिए एक गाँव वसाना चाहता हूँ, किन्तु जब मैं आप के गाँव में सुन्दर-सुन्दर विचार व भाव रूपी सज्जन लोगों को लाकर बसाता हूँ, तो काम, क्रोध लोभ, अहंकार रूपी चोर उचक्के एवं शैतान रूपी दुश्मन उन्हें हठात वहाँ से मार भगाते हैं। इस क्रम में मैं बराबर उनसे हारता आ रहा हूँ तथा आप का गाँव नहीं बस पा रहा है। वे शैतान आप से ही शक्ति पाकर उत्पात मचाते हैं, उनकी मृत्यु भी आपके हाथ है, अतः यदि आप उन्हें थोडा डाँट लगा दें, तो मैं अपने अन्दर आपके लिए एक सुन्दर गाँव बसाने में सफल हो सकता हूँ। क्या कृपा करके आप एक बार मुझे उनसे जिता देंगे ? यही धर्म की बात है, इस्लाम की बात है, वेदान्त की बात है, और अल्लाह का हुक्म है।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस जीवन के अन्तिम समय में बड़ी छटपटाहट अनुभव कर रहे थे, उन्हें शाश्वत आनन्द व शाश्वत शान्ति की अनुभूति नहीं हो पा रही थी, यह प्रश्न बार-बार उनके मन में उठ रहा था कि वह आनन्द कहाँ है, वह दिव्य आनन्द कहाँ है, क्या वह आनन्द मुझे नहीं मिलेगा ? क्या मैं ऐसे ही छटपटाता रह कर मर जाऊँगा ? उन्हें देवी के दर्शन तो मिल जाते थे, किन्तु उससे वह पूर्ण सन्तुष्ट नहीं हुए। फिर वह अपने गुरु के पास गये, उन्हें अपनी हालत से अवगत कराया और उनसे उपाय पूछा। सद्‌गुरु ने कहा कि एक ही उपाय है कि ज़ब पूजा के समय देवी प्रकट हों, तो वैचारिक तलवार से उनका सर उड़ा देना। स्वामी जी बहुत भावुक देवी-भक्त थे। दो बार उन्होंने गुरू द्वारा बताई गई युक्ति का अनुसरण करने की कोशिश की, किन्तु सफल नहीं हुए। उनकी छटपटाहट बढ़ती गई। तदन्तर वह फिर गुरू के पास गये और कहा कि जो युक्ति आपने बताई, उसे मैं कार्यान्वित नहीं कर सकता, कोई दूसरी युक्ति बताइये। गुरू ने उत्तर दिया कि कोई दूसरी युक्ति नहीं है। अपनी मुक्ति हेतु तुम्हें वही युक्ति अपनानी पड़ेगी। वह लौट आये। तीसरी बार वह अपनी कोशिश में सफल हुए। जैसे ही देवी प्रकट हुईं, स्वामी जी ने वैचारिक तलवार से उनका सर काट दिया। देवी जी एक दिव्य प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गई, वह प्रकाश स्वामी जी के रोम-रोम में व्याप्त हो गया और वह आत्मविभोर हो गये। उन्हें शाश्वत आनन्द एवं शान्ति की दिव्य अनुभूति हुई और वह देवी के मोह से भी मुक्त हो गये।

इसी प्रकार स्वामी रामतीर्थ यह चिल्लाते हुए कि क्या मुझे तुरीय अवस्था की अनुभूति नहीं होगी, क्या तुरीय अवस्था का ज्ञान केवल किताबों में लिखने भर के लिए है, क्या वह ज्ञान मुझे नहीं मिलेगा, अपना जीवन व्यर्थ समझ कर वह पहाड़ी पर से नदी में फाट पड़े। लहरों ने उन्हें लेजाकर एक शिला पर पटक दिया। वह कई घंटे अचेत पड़े रहे। उसी अचेतन दशा में तुरीय अवस्था का उन्हें ज्ञान हुआ अर्थात उस प्रकाश पुंज की अनुभूति हुई। इसी तरह गौतम बुद्ध जी राज-पाट छोड़-छाड़ कर तप करने चले गये, किन्तु उन्हें हर कोशिश के बावजूद उस दिव्य ज्ञान, शान्ति एवं आनन्द की अनुभूति नहीं हुई। वह थक हार कर एक पीपल के पेड़ के नीचे अचेत पड़ गये और उसी अचेतन अवस्था में उन्हें उस दिव्य प्रकाश पुँज की अनुभूति हुई। भला वह उस अनुभूति को शब्दों के माध्यम से लोगों को कैसे बता सकते थे ? अतः ईश्वर के विषय में उनसे जब

कोई प्रश्न किया जाता था, तो या तो वह मौन रह जाते थे या कह देते थे कि ईश्वर कुछ नहीं है, शून्य है। उन्होंने ईश्वरीय गुणों को जीवन में आचरण द्वारा चरितार्थ करने का धर्म प्रतिपादित किया। इसी से उन्हें अनीश्वरवादी एवं शून्यवादी मान लिया गया और बौद्धों तथा हिन्दू धर्मावलम्बियों में यद्ध छिड़ गया। यह आकिंचन नहीं मानता कि गौतम बुद्ध अनीश्वरवादी या शून्यवादी थे।

इस प्रकार कुरान की एक-एक आयत की उचित व्याख्या समाधि भाषा के आधार से की जा सकती है। वह सब अर्थ जो समझा व समझाया गया, वह सब अर्थ का अनर्थ है और अज्ञान है। क्या ईश्वर मानव-मानव के बीच वैसा चिरकालिक युद्ध कराने का बीज बो सकता है ? नहीं। यदि उसको वैसा करना होता, तो वह काफ़िरों की उत्पत्ति ही बन्द कर देता। वह कोई ऐसा धर्म न उतारता जिससे कि किसी भी रूप में अमानवता बढ़े एवं लड़ाई झगड़े को बढ़ावा मिले। रसूल रोज मन के वाहन पर बैठ कर अल्लाह से मिलने जाते थे, अर्थात अल्लाह की इबादत और ध्यान करते थे। यह कथन ध्यान व समाधि की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। ध्यानस्थ होने पर ही कुरान का ज्ञान उनपर उतरा। इसीलिए उसे आसमानी किताब कहा गया। इसी प्रकार सारे धर्म-ग्रन्थ ध्यान व समाधि की अवस्था में उतरे थे, अतः उन्हें भी आसमानी किताब ही कहना चाहिए।

यह कथन सही नहीं है कि कुरान में कोई फेर बदल नहीं हुआ, उसमें कोई मिलावट नहीं हुई और वह पूर्णतः शुद्ध है, जबकि सारे पूर्व धर्म-ग्रन्थों में फेर बदल हो गया, मिलावट हो गई और वे अशुद्ध हो गये। तात्पर्य यह है कि लोगों ने नासमझी पूर्ण ढंग से धर्म-ग्रन्थों से मनमाना अर्थ निकाला। इस प्रकार एक तरह से लोगों ने अपनी नासमझी का समावेश धर्म-ग्रन्थों में कर दिया। इसीलिए फेर-बदल, मिलावट एवं अशुद्धता की बात की गई। मुस्लिमों ने नासमझीं पूर्ण ढंग से कुरान से मनमाना अर्थ निकाला। एक तरह से लोगों ने अपनी नासमझी का समावेश कुरान में भी कर दिया। इसलिए कहा जा सकता है कि कुरान में भी फेरबदल हो गया, मिलावट हो गई और वह भी अशुद्ध हो गया। मौलाना गुलाम हैदर ने सिद्ध किया कि कुरान में बहुत कुछ उलट फेर हो गया। यह आकिंचन कह चुका है कि आलिमों ने कुरान को कलंकित किया एवं बदसूरत बनाया। ये बातें जल्दी समझ में नहीं आयेंगी। रसूल ने स्वयं कहा कि वह कुरान रूपी कोई नई चीज़ लेकर नहीं आये हैं वरन् पूर्व की आसमानी किताबों में कही गयी बातों की वह पुष्टि करते हैं। कहा जाता है कि चूंकि लोग पथ-भ्रष्ट हो गये थे, इसलिए बुराइयों को दूर करने के लिए अल्लाह ने कुरान

उतारा। किन्तु ऐसी किसी विशिष्ट बुराई का उल्लेख कुरान में नहीं है कि जिसको दूर करने के लिए धर्म-युद्ध करने या लड़ाई लड़ने का औचित्य हो। यहूदियों, ईसाइयों, बहुदेववादियों एवं मूर्ति पूजकों को निशाने पर रखकर कुरान में लड़ाई-झगड़े की बातें बातई गई हैं। ये सब जातिगत लड़ाई की बातें हैं, धर्म-युद्ध की बातें नहीं हैं। एक धर्मावलम्बी का दूसरे धर्मावलम्बी से युद्ध करना धर्म की अच्छी बात नहीं कही व मानी जा सकती।

कुरादन में कहा गया है कि जिस किसी ने एक इन्सान का कत्ल किया, उसने पूरी इन्सानियत का कत्ल किया और जिसने एक इन्सान की जान बचाई, उसने पूरी इन्सानियत की जान बचाई। यह रहस्यपूर्ण कथन है। वास्तव में सच्चा, अच्छा व भला इन्सान इतना कीमती होता है कि उसका बध करना महा पाप है और उसे बचाना परम् पुण्य है। कर्म-गुण-स्वभाव से वास्तव में जो ब्राह्मण है, उसे दण्डित न करने की बात हिन्दू धर्म में भी आई है। उक्त कथन में जाति से मुस्लिम य़ा गैर-मुस्लिम को इन्सान नहीं कहा गया है वरन् सही अर्थों में जो सच्चा, अच्छा व भला इन्सान है, उसकी ओर इशारा किया गया है। क़ाफिरों को बचाने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि कुरान में उन्हें समाप्त किये जाने की हिदायत दी गई है। काफ़िरों को इन्सान मानने की बात भी नहीं है। यदि उन्हें इन्सान माना जाता, तो उन्हें मारने की बात न की गई होती। जो कर्म एवं आचरण के आधार से वास्तव में सच्चा, अच्छा व भला इन्सान है, वह दुर्लभ होता है, अस्तु उसे सुरक्षित रखना वांछित है। उक्त कथन में यदि सभी तरह के इन्सानों से तात्पर्य होता, तो काफ़िरों से लड़ने तथा उन्हें समाप्त करने की बात ही पैदा न होती। यदि केवल जाति से मुस्लिम कहे जाने वाले लोगों को इन्सान मानने का अभिप्राय इस कथन में निहित है, तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि यह बात भी मुस्लिम व मुस्लिम के बीच की है, मुस्लिम व गैर-मुस्लिम के बीच की नहीं है। काश ! इस कथन का तात्पर्य सभी इन्सानों से माना गया होता, तो आपस में लड़ने तथा काफ़िरों को मारने की बात ही पैदा न होती। जेहाद की आयत ने उक्त कथन से सम्बन्धित आयत को भी निष्प्रभावी कर दिया। अब कथित अच्छी आयत भी हाथी की दाँत की भांति दिखाने भर के लिए रह गई है। यदि उसपर अमल किया जाय, तो कुरान की सारी अग्रिम व्यवस्था चरमरा जाएगी। अतः उक्त कथन का केवल गाना गाया जा रहा है।

आतताइयों एवं दुराचारियों से धर्मयुद्ध करने की बात गीता में कहीं गई है, जातिगत लड़ाई लड़ने की बात नहीं कहीं गई है, जैसी कि कुरान में कहीं

गई है। महाभारत काल में एक स्त्री का घोर अपमान किया गया और उसे सरेआम नंगा करने का धृणित प्रयास किया गया। यह बुराई पर्याप्त थी धर्मयुद्ध के लिए। कौरवों ने पाण्डवों पर भीषण जुल्म किये एवं अन्याय किया। समझौते के लिए पूरी कोशिश की गई। युद्ध टालने की पूरी कोशिश की गई। किन्तु कौरवों की हठधर्मी के कारण युद्ध अपरिहार्य हो गया। कुरान में ऐसी किसी बुराई का जिक्र नहीं है। कुरान में तो बस गैर-मुस्लिमों से जातिगत आधार पर लड़ाई करने की बात कहीं गई है, जोकि धर्म-युद्ध की बात नहीं है वरन् अत्याचारपूर्ण अथवा अन्यायपूर्ण युद्ध की बात है।

भारत ऋषियों का देश था, है और रहेगा। भारत का बटवारा करा दिया गया तथा इस्लामिक देश पाकिस्तान बना। क्या वहाँ सब स्थितियाँ ठीक हो गईं और ठीक चल रही हैं ? नहीं। फिर इस्लामिक देश बनाने से क्या लाभ हुआ ? कुछ भी नहीं। तनाव विद्यमान है और समस्यायें बनी हुई हैं। पक्का सूत्र यही है कि हम सुधरेंगे, तो जग सुधरेगा। वैसे 'जियो और जीने दो' का सिद्धान्त अपनाया जाय, तो काम चल सकता है। न पाकिस्तान में इस्लामिक व्यवस्था कामयाब है और न भारत में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था कामयाब है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद ने सब कुछ निगल लिया है। जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, तब तक समाज नहीं सुधरेगा और जब तक समाज नहीं सुधरेगा, तब तक देश नहीं सुधरेगा। वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है अर्थात् हिन्दू धर्म है, जो अनन्त काल के लिए है। इस्लाम मजहब कयामत तक के लिए है। अतः दोनों विचारधाराएँ चिरकाल तक चलेंगी। दोनों की चिन्तनशैली एवं कार्यशैली चिरकाल तक विद्यमान रहेगी। वर्तमान अर्थ के अनुसार दोनों में जमीन-आसमान का अन्तर है। अतः दोनों में तनाव व टकराव चिरकाल तक चलेगा। शासन-प्रणाली कोई भी व कैसी भी हो, शासन किसी का भी हो और व्यवस्था चाहे जैसी हो, तनाव व टकराव की समस्या का कोई चिरकालिक समाधान नहीं होगा। जब तक कि सभी मानव, चाहे उनका कोई भी धर्म या मजहब क्यों न हो, सर्वधर्म समभाव का अनुपालन नहीं करेंगे और मानवतापूर्ण चिन्तनशैली व तद्रूप कार्यशैली का ईमानदारी से अनुगमन नहीं करेंगे, तब तक कुछ सुधरेगा नहीं। गुण-कर्म-स्वभाव के आधार से भिन्न-भिन्न प्रकार के मानव होंगे, अर्थात् अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे। अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति के चिन्तन एवं आचरण में जमीन-आसमान का अन्तर होता है। इस दृष्टि से भी तनाव व टकराव की स्थिति रहेगी। इस स्थिति में तब तक बदलाव व सुधार नहीं होगा, जब तक कि व्यक्ति अपना चिन्तन व आचरण परिमार्जित एवं परिष्कृत नहीं करेगा।

शासन चलाने वालों में हर तरह के लोग होंगे, ईमानदार लोग भी होंगे, बेईमान लोग भी होंगे। स्वार्थपूर्ण विचारधारा व भाव में और निः स्वार्थपूर्ण विचारधारा व भाव में एवं ईमानदारी व बेईमानी में जमीन-आसमान का अन्तर होता है। इस दृष्टि से भी तनाव व टकराव की स्थिति रहेगी। इस स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होगा, जब तक कि नेतागण स्वार्थ का त्याग नहीं करेंगे और ईमानदारी का वरण नहीं करेंगे। विभिन्न राजनैतिक दलों में मतभेद होगा, एक दूसरे का विरोध होगा, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव एवं यत्न होगा, सत्ता पाने व सत्ता में बने रहने की महत्वाकांक्षा होगी, नेतागिरी हेतु प्रतिस्पर्धा होगी, राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता होगी, विरोधी को रास्ते से हटाने की प्रक्रिया होगी, सत्ता की भूख होगी और सत्ता को हथियानें की होड़ होगी। अतः इन बातों के कारण तनाव व टकराव की स्थिति बनी रहेगी। इस स्थिति में तब तक सुधार नहीं होगा, जब तक कि बदले की भावना का त्याग नहीं होगा, स्वस्थ राजनीति नहीं होगी, विरोध के लिए विरोध करना बन्द नहीं होगा, राजनीति का अपराधीकरण रोका नहीं जायगा, सहनशीलता, संवेदनशीलता, शालीनता, सद्भावना एवं इन्सानियत की सीमा में रहते हुए राजनीतिक व्यवहार नहीं होगा, जनकल्याण की भावना से कल्याणकारी कार्य नहीं होगा, विकास का अच्छा कार्य नहीं होगा, राष्ट्रीय भावना से अविभूत होकर देश-हित को सर्वोपरि नहीं माना जायगा, जनहित में सेवाभाव से कार्य नहीं किया जायगा और नैतिकता व मानवता का वरण नहीं किया जायगा। सारे धर्म व मजहब मानव को सुधारने के लिए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। आदमी को वास्तव में सच्चा, अच्छा व भला इन्सान बनाना ही धर्म का लक्ष्य होता है। मार-काट का कोई अभिप्राय धर्म का नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति द्वारा तो मारकाट की बात की जा सकती है, किन्तु ईश्वर द्वारा ऐसी बात नहीं की जा सकती।

एक मजहब की एवं एक पूजा पद्धति की बात बहुत रहस्यमय और बहुत ऊँची है। उसका तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने उपास्य की विश्वासपूर्वक पूजा करे, ईश्वर-विश्वासी बने, अच्छा इन्सान बने तथा अच्छा काम करे और ईश्वर का सच्चा व प्यारा बन्दा बने। पूजा-पद्धति महत्त्वपूर्ण नहीं है वरन् पूजन महत्त्वपूर्ण है, चाहे जिस भी रीति से की जाय, किन्तु सच्चे मन से की जाय। जाति-पाँति का भेद-भाव न रक्खा जाय और ईश्र के नामों पर कोई विवाद न किया जाय। सच्चा साधक धर्म-निष्ठा व विश्वास पर बल देता है, पूजा पद्धति एवं ईश्वर के नाम पर नहीं। जब रोजे के दिनों में स्त्री-सहवास वर्जित था, तब लोग चोरी-चोरी, चुपके-चुपके स्त्री-सहवास करते थे यह समझ कर कि अल्लाह देख नहीं रहा है,

इसलिए अल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, जैसे भी हो अपनी वासना की पूर्ति की जाय एवं शुद्धता-अशुद्धता के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यह कितनी गलत बात थी ! इस तरह से रोजा रखना ही गलत हो जाता है और रोजा रखना ढोंग व दिखावा मात्र रह जाता है। इस प्रकार के रोजे से कोई वास्तविक लाभ नहीं हो सकता। विषयों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति, वासना से ग्रसित व्यक्ति, धर्म में चोरी करने वाला व्यक्ति, अल्लाह को सर्वव्यापी एवं सर्वदृष्टा न समझने वाला व्यक्ति और अल्लाह से न डरने वाला व्यक्ति अल्लाह में ईमानवाला मुसलमान नहीं हो सकता, फिर भी वह अपने को मुसलमान कहता है और अपने को अल्लाह—विश्वासी मानता है। ऐसे व्यक्ति को केवल जाति से मुसलमान कहा जायगा, ईमान के आधार से नहीं। ऐसा झूठा रोजेदार भी अपने को निराकार अल्लाह को समझने व जानने वाला मानने लगता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में इस आकिंचन ने कहा कि ईमान से मुसलमान बनना बहुत कठिन है और निराकार अल्लाह की अवधारणा करना अत्यन्त दुरूह है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे बहुत आसान समझ बैठा है। उसने इंगित किया था कि जाति से अपने को मुसलमान मानना व कहना आसान था। इसलिए अधिकांश मुस्लिम केवल जाति से मुसलमान होते हैं। वे भला इस्लाम, कुरान एवं निराकार अल्लाह को क्या समझेंगे ! फिर भी जाति से मुसलमान चल पड़े सब कुछ समझने। अतः उन्हें न निराकार अल्लाह समझ में आ सकता, न कुरान समझ में आ सकता और न इस्लाम समझ में आ सकता। कुरान ने जाति से किसी को मुस्लिम कहलाने का हक नहीं दिया है। देखा जाय, तो कुरान की दृष्टि से अधिकांश मुस्लिम मुसलमान हैं ही नहीं, वे केवल जाति से मुस्लिम हैं। इस दृष्टि से वे भी गैर-मुसलमान हैं और इसलिए काफ़िर हैं। जुबानी मात्र यह कहने से कि वे कुरान, अल्लाह, रसूल और इस्लाम में सौ फीसदी विश्वास रखते हैं काम नहीं चलेगा वरन् इससे वास्तव में उन्हीं का नुकसान होगा। वस्तुतः उन्हें अपने को ढोंगी एवं अन्धविश्वासी मानना चाहिए। जब तक वे इस सत्य का बोध नहीं करते, तब तक वे अच्छे साधक नहीं बन सकेंगे और गम्भीर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ पाना उनके लिए लगभग असम्भव हो जायगा। अल्लाह अन्धा नहीं है, वह सब जानता है। अतः उन्हें वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनायेगा। केवल जाति से जो मुस्लिम होंगे, वे अल्लाह के सच्चे व प्यारे बन्दे नहीं कहे जाएंगे। अतः पहले त्रुटियों को स्वीकार करना वांछित है, फिर कहीं सुधार का मार्ग मिल सकेगा।

उक्त एक आयत से पता लग जायगा कि रोजेदारों की चोरी की बात से अल्लाह अवगत थे। फिर वह कैसे नहीं जानेंगे कि कुरान को समझने में मुस्लिमों ने भूल की और कुरान को बदसूरत बनाया। अल्लाह ने रोजे के दिनों में भी स्त्री-सहवाह की छूट दे दी। यह कथन भी रहस्यपूर्ण है। रोजा शुद्धता से रखना चाहिए। इसलिए रोज़े के दिनों में स्त्री-सहवाह प्रतिबन्धित किया गया था, किन्तु लोग चोरी करने से बाज़ नहीं आए। ऐसे लोगों को सांसारिक जीवन के सिवा कुछ अभीष्ट नहीं होता। ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अतः रोज़े के दिनों में भी स्त्री-सहवाह की छूट देकर अल्लाह नें वस्तुतः उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, यह कह कर कि पूर्व के उनके गुनाह माफ कर दिये गये। अल्लाह ने रोज़ेदारों के विवेक पर आगे की बात छोड़ दी और एक तरह से संकेत दिया कि जब एक माह के रोजे के बीच भी संयम नहीं बरत सके, तो आगे का मार्ग तो बहुत दुरुह है। कैसे उम्मीद की जा सकती है कि तुम आगे सत्य के मार्ग पर बढ़ सकोगे ? अतः तुम सांसारिक वासना में पड़े रहो। अल्लाह ने संकेत दिया कि ऐसे लोग कभी नहीं समझ सकेंगे कि यह सांसारिक जीवन कुछ नहीं है, मात्र एक खेल है, पारमार्थिक जीवन ही असली घर है। यह संक्षिप्त विवेचन रोजे के संदर्भ में मुस्लिमों के समझने के लिए है और व्रत के सन्दर्भ में हिन्दुओं के समझने के लिए भी है। मुख्य बात यह है कि शुद्धता से एवं शुद्ध मन से रोजा रक्खा जाय और अल्लाह की इबादत की जाय। क्या उचित है और क्या अनुचित है, यह सभी जानते हैं। सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है, सदाचार क्या है, दुराचार क्या है, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, ईमानदारी क्या है, बुरा कार्य क्या है, अच्छा कार्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शुद्धता क्या है, अशुद्धता क्या है, इन्सानियत क्या है, हैवानियत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, मानवता क्या है, अमानवता क्या है और सद्भाव क्या है, दुर्भाव क्या है। केवल अच्छी-अच्छी बातों को लेकर उनपर अमल करने की कोशिश करने की बात रह जाती है। खराब बातों में जीवन मूल्यों की तलाश करना गलत एवं अनुचित है और अच्छी बातों में जीवन मूल्यों की तलाश करना सही एवं उचित है। सिद्धान्तों एवं आदर्शों की बातें और होती हैं, व्यावहारिक धरातल पर बातें कुछ और हो जाती हैं। यही विडम्बना है और पाखण्ड है। अच्छी बातें आचरण में उतरें, तब बात बनती है और जीवन सुधरता है। यदि धर्म के ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त एवं आदर्श जीवन में नहीं उतर पा रहे हैं, तो कम-से-कम इन्सानी फरायज की छोटी-छोटी बातों

पर तो अमल करना ही चाहिए। छोटे-छोटे पग बढ़ाते हुए ही व्यक्ति ऊँची मंजिल तक पहुंच सकता है।

इस्लाम को समझने में कैसी-कैसी भूल हुई और इस्लामित हिदायतों को किस-किस गलत तरीके से अमल में लाया गया, उसका उपर्युक्त वर्णन के अतिरिक्त थोड़ा और दिग्दर्शन कराने के लिए दृष्टान्त स्वरूप एक सच्ची कहानी का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। पाकिस्तान के भूतपूर्व सदर अयूब खाँ 'कलानौर' के रहने वाले थे। यवनों के शासनकाल में उनके पूर्वजों की यह रियासत हुआ करती थी। वहाँ के मुस्लिम शासकों ने "कौलापूजन" के नाम से एक शर्मनाक रस्म लागू कर रक्खी थी। केवल हिन्दूओं को "कौलापूजन" की शर्मनाक रस्म का निर्वहन करने के लिए विवश कर रक्खा गया था। इस रस्म के अनुसार किसी भी हिन्दू परिवार में कोई नवबधू जब विवाहित होकर पहली बार अपनी ससुराल में आती थी, तब उसे सुहागरात अपने पति के साथ मनाने का अवसर नहीं मिलता था। उसे अनिच्छापूर्वक "कौलापूजन" की रस्म पूरी करने के लिए "कलानौर" के नवाब की हवेली पर हाजिर होना पड़ता था। यह नवाब की मर्जी पर निर्भर था कि वह कितने दिन व कितनी रातें उस हिन्दू नवबधू को "कौलापूजन" का पुण्य-लाभ अर्जित करने का मौका दे। इसके पश्चात ही अपनी अस्मत यवनों के हाथों लुटवा कर वह अपने पति के पास पहुँचने का अधिकार प्राप्त कर सकती थी। इस कुप्रथा से मुस्लिमों को जहाँ अपनी अय्याशी का साधन मुफ्त मिल जाता था, वहीं वे हिन्दू औरतें अपनी कोख में मुस्लिमों का खून लेकर लौटती थीं। इस प्रकार उत्पन्न हुए हिन्दू, हिन्दू हो कर भी वास्तव में हिन्दू नहीं होते थे। फिर उनकी स्वामीभक्ति और सहानुभूति स्वाभाविक रूप से मुसलमानों के प्रति समर्पित रहती थी। वे हिन्दू, जिन्होंने अपनी इज्जत मुस्लिमों के हांथों गिरवी रख दी थी, जीवन भर आँख उठा कर उनके साथ बात करने का साहस नहीं कर सकते थे।

उस समय ही बहुसंख्यक मुस्लिमों के बड़े गाँव ढोल बजाकर हिन्दुओं के गाँव पर चढ़ जाते थे, जिसे तब "दहाड़" कहा जाता था। मुसलमान बलपूर्वक हिन्दुओं की चल सम्पत्ति ही लूट कर नहीं ले जाते थे, बल्कि उनकी खूबसूरत व जवान बहू-बेटियों को भी उठा ले जाते थे। यह सब काम यवन शासकों के मौन समर्थन पर होता था, जिसके कारण यह अत्याचार देख कर भी वे नहीं देखते थे।

क्या "कौलापूजन", "दहाड़", धर्मान्तरण, मन्दिरों की लूट, मन्दिरों का विध्वंस, औरतों की इज्जत की लूट, धरती की लूट, धरती पर बिगाड़, आतंकवाद आदि इस्लाम है ? हाँ, यह सब इस्लाम है, जैसा कि विभिन्न समयों

में विभिन्न मुस्लिमों ने समझा। क्या जो-जो अनुचित बातें मुस्लिम आलिमों के ऊपर उद्धृत बयानों से ज्ञात होती हैं, वह सब इस्लाम है ? हाँ, इस्लाम है, जैसा कि समय-समय पर कतिपय मुस्लिम आलिमों ने समझा। क्या हिन्दुओं और मुस्लिमों का कत्ल, जिसका नमूने के तौर पर ऊपर उल्लेख किया गया है, इस्लाम है ? हाँ, इस्लाम है, जैसा कि कत्ल करने वाले मुस्लिमों ने तथा फाँसी पर चढ़ाने का अथवा कातिलाना हमले करवाने का हुक्म देने वाले मुस्लिमों व मुस्लिम हुक्मरानों ने समझा। क्या जो कुछ अनुचित कार्य, जैसे हिन्दुओं को अलग तरह के वस्त्र पहनने, अपने मकानों की अलग ढंग से रंगाई-पोताई कराने की व्यवस्था देना, बौद्ध प्रतिमाओं का विध्वंस करना, आतंकी हमले करना, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देना, आतंकवाद व आतंकवादियों का समर्थन करना, लादेन व अलकायदा का साथ देना, आतंकवादियों को शरण देना, आदि, इस्लाम है ? हाँ, इस्लाम है, जैसा कि तालिबानों, आतंकवादियों, उमर, लादेन एवं कतिपय मुस्लिमों आदि ने समझा। जो कुछ दूसरों के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम आतंकवादी संगठनों ने किया व कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किया व कर रहा है, बांगलादेश ने भारतीय कैदी जवानों का अंगभंग करके बरबरता की और हिन्दुओं पर जो अत्याचार इस्लामिक देश पाकिस्तान व बांगलादेश ने किया एवं कर रहे हैं, क्या वह सब इस्लाम है ? हाँ, इस्लाम है, जैसा कि उन लोगों, संगठनों और देशों ने समझा। क्या ऐसा ही इस्लाम फैलाने की बात रसूल ने बताई थी और क्या इन्हीं सब तरीकों से इस्लाम को बदसूरत बनाने का उपदेश उन्होंने दिया था ? हाँ, वैसी ही बातें रसूल ने बताई थीं और वैसा ही उपदेश दिया था, जैसा कि उन मुस्लिमों, आदि ने समझा। आज भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के विरुद्ध जारी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एवं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की अनुचित कार्यवाहियाँ, सी.आई. एवं घुसपैठियों तथा अवांछनीय तत्वों और सिमी जैसे मुस्लिम संगठनों की देश-विरोधी गतिविधियां एवं देश के विरुद्ध षडयन्त्र रचने के विषय में भारतीय मुस्लिमों की सोच क्या व कैसी है, यह सवाल गम्भीर व महत्वपूर्ण है। यहाँ के मुस्लिम क्या चाहते हैं, यह बात विचारणाय है और उनकी गतिविधियाँ क्या व कैसी हैं, यह जानना व समझना आवश्यक है। यदि यहाँ के मुस्लिमों की सोच वैसी है, जैसी कि पूर्व में मुस्लिमों की थी, तो उनकी सोच देश के लिए घातक है और भविष्य में भी घातक होगी। वे उस दशा में भारत के अच्छे नागरिक हो ही नहीं सकते। दूसरे लोग तो मुस्लिमों का चिन्तन व कृत्य जैसा देखेंगे, वैसा ही समझेंगे। यदि वे हिन्दू-मुस्लिम तनाव व समस्या को हल किए जाने के पक्षधर हैं, तो समन्वित समाधान निकालने की दिशा में चिन्तन करें

एवं पहल करें। यहाँ पर इतना और इंगित करना है कि विगत में मुस्लिमों ने जो जुल्म किए एवं ज्यादतियाँ कीं, उनका आँखों देखा हाल सांकेतिक रूप से "गुरु-ग्रन्थ साहब" में भी अंकित है।

अब थोड़ा विचार नमाज के परिप्रेक्ष्य में करें। इजिप्ट में घूमते-घामते एक दिन स्वामी रामतीर्थ वहाँ की एक मुस्लिम मस्जिद में चले गये। उस समय मौलवी साहब नमाज़ियों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। स्वामी जी कतार के पीछे जा कर चुप-चाप खड़े हो गये। जब नमाज़ खत्म हो गई, तब लपक कर मौलवी साहब स्वामी जी के समक्ष पहुँचे और उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आये और खड़े क्या कर रहे थे ? स्वामी जी ने तपाक से उत्तर दिया कि मैं. नमाज़ पढ़ने आया था और मैंने नमाज़ अता कर दी। मौलवी साहब बोले कि मैं देख रहा था कि आप चुपचाप खड़े थे, नमाज़ की क्रिया नहीं कर रहे थे और नमाज नहीं पढ़ रहे थे। स्वामी जी धैर्य से बोले कि मैं तो खड़े-खड़े चुपचाप नमाज ही पढ़ रहा था, किन्तु आप तो केवल उठने बैठने की कवायद कर रहे थे। मौलवी साहब भड़क उठे और पूछा कि यह आप कैसे कहते हैं कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा था, जबकि यहाँ उपस्थित सब नमाजी देख रहे थे कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था और पढ़ा रहा था ? स्वामी जी शान्तिपूर्वक बोले कि मैं जानता हूँ कि आप वस्तुतः नमाज नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि आप तो उस समय काबुल में थे और घोड़ा खरीद रहे थे। मौलवी साहब अवाक् रह गये और फिर बोले कि आप सही कहते हैं, मैं शर्मिन्दा हूँ, आगे ख्याल रक्खूंगा, कृपया हमें और कुछ बताइये। वहाँ स्वामी जी ने कुरान की कुछ बातों के विषय में प्रवचन दिया। सब वाह ! वाह ! कर उठे और 'ॐ' कह कर प्रणाम किया। वास्तव में नमाज़ तो स्वामी जी ने पढ़ी।

एक मुसलमान अपने पुत्र से इस कारण खिन्न रहता था कि उसके कहने पर भी उसका लड़का नमाज़ पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता था और कह देता था कि मैं घर पर ही नमाज अता कर देता हूँ। घर वालों ने उसे नमाज़ पढ़ते कभी नहीं देखा। एक दिन उसके पिता जिद करने लगे और कहा कि आज तो हर हालत में तुझे मेरे साथ नमाज पढ़ने मस्जिद चलना पड़ेगा, क्योंकि आज ईद है। वह लड़का न चाहते हुए भी वालिद के साथ नमाज अता करने मस्जिद में गया। नमाज़ शुरु हुई, तो पहली बार वह लड़का झुका, तो झुका रह गया, उठा नहीं। यह देखकर बाप अन्दर ही अन्दर नाराज हुआ और सोचता रहा कि नमाज़ खत्म हो, तो इसकी खबर लेता हूँ। नमाज़ खत्म हुई, तो पिता झपटा और लड़के को कन्धे से पकड़ कर उठाने लगा, क्योंकि वह उस समय भी झुकी हुई मुद्रा में पूर्ववत् झुका हुआ था। जैसे ही उसके कन्धे पर बाप ने हाथ से

थोड़ा दबाव डाला, वैसे ही लड़का लुढ़क गया और फर्श पर बिछ गया। वह मर चुका था।

यह आकिंचन यही मानता व समझता है कि वास्तव में उस लड़के के पिता ने नमाज़ का अर्थ ग्रहण नहीं किया, कवायद करता रहा, वास्तव में उसने नमाज़ कभी नहीं पढ़ी। वस्तुतः वह लड़का ध्यान की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध मन से रोज़ नमाज़ पढ़ता रहा, जैसे कि पैगम्बर साहब ध्यान के माध्यम से मन के घोड़े पर बैठ कर रोज़ अल्लाह से मिलने जाते थे। उस दिन उस लड़के की नमाज पूरी हो गई और उसकी रूह स्वर्ग में चिरशान्ति एवं शाश्वत आनन्द पाने की हकदार हो गई। वह लड़का मर कर संकेत व सन्देश दे गया कि साफ व सच्चे मन से विश्वास सहित एक बार अल्लाह के सामने झुक जाने से नमाज हो जाती है और इतना पर्याप्त होता है, अन्यथा पूरे जीवन नमाज पढ़ते रहने से भी कुछ नहीं हो सकता। यही है सच्ची नमाज एवं आराधना व उपासना का रहस्य, जिसे हर समुदाय के धर्मावलम्बियों को हृदयंगम करना चाहिए। यथा –

"जो दिल को तुम पर लुटा चुके हैं।
मज़ाके उल्फत उठा चुके हैं।।
वह अपनी हस्ती मिटा चुके हैं।
खुदा को खुद में ही पा चुके हैं।।
न सूये – काबा झुकाते हैं सर।
न जाते हैं बुतक़दे के दर पर।।
उन्हें है दैरो – हरम बराबर।
जो तुमको किबला बना चुके हैं।।"

यदि बार-बार संकल्प करके उसे बार-बार तोड़ना हो, तो संकल्प करना ही नहीं चाहिए। यदि एक बार प्रतिज्ञा कर ली कि अल्लाह के मार्ग पर चलूँगा, अर्थात् एक बार तय कर लिया कि इन्सानियत के रास्ते पर, सत्य, प्रेम, भाई-चारे के रास्ते पर, सच्चाई, भलाई, अच्छाई और शान्ति व अहिंसा के मार्ग पर चलूँगा, सब के साथ मिलकर रहूँगा, तो इस संकल्प को तोड़ूंगा नहीं, उस मार्ग को छोड़ूंगा नहीं , चाहे कितनी भी दिक्कतें रास्ते में क्यों न आवें, संघर्ष करता रहूंगा, किसी को गैर नहीं मानूँगा। यही है अल्लाह का मार्ग, प्रतिज्ञा का मतलब और जेहाद का अर्थ। इसके बजाय जो कुछ समझा व समझाया गया, वह सब जिहालत है, अज्ञान है, नासमझी है और अर्थ का अनर्थ है। इस सन्दर्भ में यह समझना होगा कि सत्य ही अल्लाह है और अल्लाह ही सत्य है, इसलिए व्यवहार में सत्य को नहीं छोड़ना है, अर्थात् कथनी करनी व रहनी में एकरूपता लाने की कोशिश करनी है। प्रेम ही अल्लाह है और अल्लाह ही प्रेम है, इसलिए व्यवहार में बिना

भेद-भाव के सभी से प्रेम करना है तथा अपने अहंकार को कम करने की कोशिश करनी है। इन्सानियत का मार्ग ही अल्लाह का मार्ग है और अल्लाह का मार्ग ही इन्सानियत का मार्ग है, इसलिए इन्सानियत का मार्ग अपनाना है एवं उससे विचलित नहीं होना है, चाहे जितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। सच्चाई, अच्छाई, भलाई ही अल्लाह का मार्ग है और अल्लाह ही सच्चाई, अच्छाई भलाई का अधिष्ठान एवं अधिष्ठाता है, इसलिए सच्चाई, अच्छाई, भलाई का दामन पकड़ना है और उसे छोड़ना नहीं है, चाहे जितना भी कष्ट क्यों न झेलना पड़े।

इस सन्दर्भ में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वाह्य जगत में सब को मुस्लिम बनाने, सबको इस्लाम मज़हब कुबूल कराने और सारी वाह्य दुनियाँ में इस्लामिक शासन कायम कराने का कोई उद्देश्य इस्लाम व कुरान का नहीं है और इस विषय में जो कुछ समझा व समझाया गया है, वह सब गलत है, भ्रम मात्र है। कुरान का सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो जहाँ हो वहीं अपने-अपने मजहब में रहते हुए अपनी-अपनी पूजा पद्धति का अनुसरण करते हुए अल्लाह की इबादत करे, अच्छा इन्सान बने और अल्लाह का सच्चा व प्यारा बन्दा बने। जाति-पाँति का कोई भेद-भाव न रक्खा जाय और किसी के साथ ज्यादती एवं जुल्म न किया जाय तथा अल्लाह में विश्वास रखते हुए सदैव मानवतापूर्ण ढंग से नेक काम किया जाय और सद्व्यवहार किया जाय। जाति से नहीं वरन् कर्म से जो लोग दुराचारी हैं, आतताई हैं, भ्रष्ट हैं, अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, इन्सानियत के दुश्मन हैं, समाज व देश के दुश्मन हैं, उनसे संघर्ष किया जाय तथा धरती पर बिगाड़ करनेवाले नास्तिकों, आततायियों, दुष्टों, जालिमों, अपराधियों व आतंकवादियों से लड़ा जाय। समूचे तौर से किसी कौम से लड़ना शैतानियत है। इस प्रकार खौफ से खाली होकर इस जहान में डट कर खड़ा रहा जाय।

अब जकात (दान) के विषय में कुछ विचार करें। इस सन्दर्भ में अपरिग्रह का मतलब समझना पड़ेगा, फिर दान की बात समझ में आयेगी। एक दृष्टान्त है कि मुहम्मद साहब को जो कुछ वस्तु, धनादि मिल जाता था, उसमें से एक दिन का काम चलाने के लिए वस्तु व पैसा रखकर, शेष प्राप्त चीजों व पैसे को वह मजलूमों में बाँट देते थे, कल के लिए बचा कर कुछ भी नहीं रखते थे। यह अपरिग्रह की बात थी और दान की दैनिक प्रक्रिया थी। जब शरीर छोड़ने का दिन आया, तो उनके प्राण नहीं निकल रहे थे और उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था। उन्होंने बीबी को बुलाया और पूछा कि तूने कोई नियम तो नहीं तोड़ा। उसने 'नही' में सिर हिलाया। फिर उन्होंने पूछा कि कल के लिए कुछ बचा के तो तूने नहीं रक्खा, क्या तुझे अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा, यदि तू मुझे सच नहीं बतायेगी, तो मेरे

प्राण नहीं निकलेंगे। घबरा कर पत्नी ने कुबूल किया कि आप की हालत देख कर मैंने आज जो कुछ प्राप्त हुआ था, उसमें से कल के लिए कुछ बचा के रक्खा है। पैगम्बर साहब ने कहा कि तूने किया तो बहुत गलत काम है, अब ऐसा कर कि उसे लेजा कर अभी किसी मजलूम को दे आ, जल्दी कर। बीबी ने कहा कि इस समय आधी रात हो गई है, अभी कोई मजलूम मिलेगा नहीं, कल दे दूंगी। परन्तु रसूल ने हिदायत दी कि तू अपना काम करने यहाँ से निकल, बाकी सब अल्लाह पर छोड़, तू कोशिश कर बस ! वह सामान बाँध कर घर के दरवाजे से निकल कर असमंजस की हालत में खड़ी हुई ही थी कि तभी दरवाजे पर आता हुआ एक मजलूम आकस्मात् दिखाई दिया। उन्होंने उसे आवाज दे कर बुलाया और सामान की गठरी उसे सौंप दी। वह जल्दी से भीतर आईं, तो देखा कि पैगम्बर साहब के प्राण निकल चुके थे। पता नहीं कि अल्लाह ने किसी मजलूम को भेज दिया था या कि स्वयं मजलूम बन कर आ गये थे।

इसी तरह स्वामी रामतीर्थ ने सब कुछ दान कर दिया था और बचा हुआ सब कुछ वह गंगा में डाल कर तप करने चले गये थे। एक पाई भी उनके पास नहीं थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी वह निश्चिन्त थे और विश्वास रखते थे कि सब प्रबन्ध प्रभु करेंगे। वस्तुतः उनका सब प्रबन्ध प्रभु ने किया। वह तो पैसे को हाथ तक नहीं लगाते थे। विदेश से लौटते समय भी उन्होंने कोई धन स्वीकार नहीं किया। प्रसंशापूर्ण अखबारकटिंग, पत्र, प्रसंशा-पत्र आदि से भरे हुए जो बक्से उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था, उन्हें भी जहाज पर पहुँच कर उन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया। यह अपरिग्रह की परम स्थिति है, अल्लाह में पूर्ण विश्वास की स्थिति है। स्वामी शहंशाह जी कहते थे कि उनका खानसामा साथ चलता है, जो उनके खाने पीनें का समय पर प्रबन्ध करता है। उनका इशारा ईश्वर की ओर था। वस्तुतः उनका सब प्रबन्ध प्रभु ने किया। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि उनका सारा प्रबन्ध गोलचन्द, अर्थात् कृष्ण भगवान, करते हैं। दोनों सन्त अपने पास कोई सामान या रुपया-पैसा नहीं रखते थे, किन्तु ईश्वर को अंग-संग रखते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को सिक्का भी चुभता था। कबीर साहब के पीछे-पीछे हरि फिरते थे। अल्लाह में विश्वास की इस स्थिति तक पहुँचना साधारण व्यक्ति के लिए बिना प्रभु की कृपा के असम्भव है। इसी कारण यह आकिंचन कहता है कि अल्लाह में पूर्ण ईमान वाला होना अत्यन्त कठिन है। अतः यथाशक्ति अल्लाह विश्वासी बनने की यथासम्भव कोशिश करें और मन लगा कर अल्लाह की इबादत करें।

कोई साधारण मुसलमान या कोई साधारण हिन्दू केवल वाचित रूप से अल्लाह में ईमान वाला भले बन जाय, किन्तु वास्तव में ईश्वर विश्वासी नहीं

हो सकता। कुरान व वेद को समझ पाना अत्यन्त दुरुह कार्य है। अतः सब को चाहिए कि वे अपने-अपने धर्म में रहते हुए, अपनी-अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपने-अपने उपास्य की आराधना करते हुए मिल-जुल कर अमनचैन से देश में रहें। कोई भी मुस्लिम उस खून खराबे के मार्ग पर न चले जिसे कुरान का मार्ग समझ लिया गया।

दान का तात्पर्य यह है कि अल्लाह से प्राप्त अनुदान का यथासम्भव प्रतिदान किया जाय, अर्थात् पात्र देखकर यथासम्भव दान दिया जाय। यह परस्पर अर्पण की प्रक्रिया है। दान देने वालों को समझना चाहिए कि दान देने का सौभाग्य उन्हें अल्लाह ने ही दिया है और अल्लाह ही दान प्राप्त करने वाला कासा लिए गदा बना हुआ है अर्थात् दरिद्र नारायण है। अल्लाह किसी को जो कुछ अनुदान देता है, तो उसका प्रतिदान भी उससे चाहता है। जो प्रतिदान की बात समझ लेता है, उसका दान देना सार्थक हो जाता है और वह ईश्वर से अधिक अनुदान पाने का अधिकारी बन जाता है। अल्लाह द्वारा जो कुछ अनुदान हमें दिया गया है, या दिया जाय, उसका कुछ भाग दरिद्र नारायण को देते रहना ही दान है, अर्थात् प्रतिदान है तथा अल्लाह से और अधिक अनुदान पाने का उपाय है। अल्लाह के इस संसाररूपी उद्यान को सुशिक्षित करने, सुव्यवस्थित करने, सुरक्षित करने एवं सुसंस्कृत करने में योगदान देना भी प्राप्त अनुदान का प्रतिदान करने का एक उपाय है। इसमें न अहंकार करने की कोई बात है और न प्रसंशा पाने की कोई बात है। अतः दान ही प्रतिदान है और प्रतिदान ही दान है। जहां तक हो सके परिग्रह के भाव से विरत होने और अपरिग्रह के भाव को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक विधा है अल्लाह में विश्वास बढ़ाने की। स्वयं को किसी चीज का मालिक मानकर दान करना, दान को दूषित कर देता है, किन्तु जब व्यक्ति सारी चीजों का मालिक अल्लाह को मानकर, उसमें से एक अंश का दान करता है, तो वह दान शुद्ध हो जाता है और शेष जो दानी के पास बचा रहता है, वह भी शुद्ध हो जाता है। हर जाति का मजलूम मजलूस होता है और दान पाने का पात्र होता है। मुसलमान दान के परिप्रेक्ष्य में किसको दान दिया जाय, इसका निर्णय करते समय भी जाति-पाँति का भेद-भाव रखते हैं, क्योंकि इस्लाम में जाति-पाँति का भेद-भाव प्रतिपादित है, ऐसा समझा गया, किन्तु दान में भेद-भाव रखना गलत है। दान के परिप्रेक्ष्य में ये बातें हिन्दुओं के लिए भी प्रासांगिक हैं।

यहूदियों का कथन है कि ऐ मानव सीधा मार्ग पाने के लिए तू यहूदी बन जा और यहूदियों का पंथ स्वीकार करले। ईसाईयों का कथन है कि ऐ मानव सीधा मार्ग पाने के लिए तू ईसाई बन जा और ईसाईयों का पंथ स्वीकार कर

ले तथा मुस्लिमों का कथन है कि ऐ मानव सीधा मार्ग पाने के लिए तू सब पंथों को छोड़ कर इब्राहिम का पंथ स्वीकार करले। केवल हिन्दू यह नहीं कहते कि ऐ मानव सीधा मार्ग पाने के लिए तू हिन्दू बन जा और हिन्दू-धर्म स्वीकार कर ले। यह भी रहस्यपूर्ण बात है। यदि हिन्दू कुछ कहें भी, तो यही कह सकते हैं कि ऐ मानव सीधा मार्ग पाने के लिए वास्तव में तू सच्चा, अच्छा व भला इन्सान बन जा और मानव धर्म स्वीकार कर ले, जो वेदों में प्रतिपादित है और जो चाहता है कि सभी धर्मावलम्बी ईश्वर में विंश्वास रखते हुए सर्वधर्म समभाव के साथ बिना कोई जाति-पाँति का भेद किये आपस में मिलजुल कर अमनचैन से रहें और नेक काम करें। कोई भी व्यक्ति भावी पीढ़ी के राह में काँटे बिछाने का काम या उपक्रम न करे, क्योंकि इसका दुष्परिणाम भयंकर होगा।

इस्लाम व मुस्लिम की परिभाषा विवादित हो गयी थी, इसलिए इस्लामिक देश पाकिस्तान ने इस्लाम व मुस्लिम को पुनः परिभाषित करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया था, जिसके अध्यक्ष न्यायाधीश श्री मुनीर थे। इस कमीशन के समक्ष मुस्लिम आलिमों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये थे। इससे स्पष्ट होता है कि इस्लाम व मुस्लिम की परिभाषा के विषय में मतभेद था। इसी से पाकिस्तान में लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल पाई। कभी लोकतंत्र प्रभावी रहा, तो कभी मिलेट्री शासन रहा। आगे चलकर आतंकवादी मुस्लिम संगठनों का उद्भव हुआ और उनका प्रभाव एवं प्रभुत्व बढ़ने लगा।

श्री शाह वली उल्लाह, जो कि एक पवित्र एवं आदरणीय मुस्लिम थे, ने उक्त कमीशन के समक्ष कहा कि उन्होंने रहस्यपूर्ण ढंग से मुहम्मद साहब से शिया मजहब के बारे में एक आध्यात्मिक प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में पैगम्बर साहब ने बताया था कि उनका विश्वास झूठा है। वहरहाल मुनीर साहब दुःख पूर्वक इस नतीजे पर पहुंचे कि यदि किसी भी आलिम के विचारानुसार मुस्लिम की दी गई परिभाषा को स्वीकार किया जाय, तो उस आलिम के विचारानुसार हम मुस्लिम ठहरते हैं, किन्तु अन्य हर दूसरे आलिम की परिभाषा के अनुसार हम काफ़िर ठहरते हैं। इसका अन्तिम नतीजा यह होगा कि न शिया, न सुन्नी न देववन्दी न अकीदहित और न बिरिलबिस मुस्लिम ठहर सकते, जबकि सब अपने को परिपूर्ण मुस्लिम मानते हैं।

मुस्लिम कुरान व शैरियत में सौ फीसदी विश्वास रखने का दावा करते हैं, इसलिए यह सम्भव ही नहीं प्रतीत होता कि भारतवासी मुस्लिम कोई दूसरी बात मानेंगे। फिर भी यह आकिंचन निरर्थक समझते हुए भी एक नवीन, समन्वित एवं सामंजस्यपूर्ण विचार देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में बिना उस विचारधारा को अंगीकार किए, हिन्दू-मुस्लिम तनाव दूर ही

नहीं हो सकता और हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। आतंकवाद से समस्या का कुछ हल नहीं निकल सकता, किन्तु आतंकवाद का भीषण दुष्परिणाम अवश्य होगा। मुस्लिम समुदाय कहता है कि इस्लाम में आतंकवाद के लिए स्थान नहीं है, फिर भी देखा जा रहा है कि कतिपय मुस्लिम आतंकवाद के समर्थक हैं। यह विरोधाभासात्मक स्थिति है। यदि यह माना जाय कि इस्लाम में आतंकवाद की इजाजत नहीं है, तो यह सिद्ध होता है कि भारत के विरुद्ध आतंकवाद का समर्थन करने वाला इस्लामिक देश पाकिस्तान इस्लाम की अवहेलना कर रहा है। अतः इसके लिए पाकिस्तान की भर्त्सना की जानी चाहिए तथा उसे आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो यही माना जायेगा कि कुरान में आतंकवाद की भी इजाजत है। इस आकिंचन का मानना है कि जो मुस्लिम आतंकवाद मचाता है, वह भी दोषी है और जो मुस्लिम उसकी भर्त्सना नहीं करता, वह भी दोषी है। कुरान में भी इंगित किया गया है कि जैसा कर्म करोगे, वैसा फल मिलेगा। किन्तु इस इशारे को मुस्लिमों ने गलत ढंग से समझा और एक प्रकार से मान लिया कि जो जाति से मुस्लिम है, वह स्वर्ग का अधिकारी है और जो जाति से मुस्लिम नहीं है, वह नर्क का अधिकारी है। यहाँ विस्तार भय से इस बिन्दु पर और अधिक विवेचना नहीं की जा रही है।

सूचना आई है कि 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद वहाँ के लगभग 24000 अमेरिकंस मुसलमान बन गये और वहाँ कुरान वर्तमान में सबसे अधिक बिकने वाली किताब हो गई है, अर्थात वहाँ कुरान की बिक्री बहुत बढ़ गई है। इटली के सऊदी अरब में जो राजदूत गैर-मुस्लिम थे, वह मुसलमान बन गये। यह भी सूचना आई है कि अमेरिका के प्रमुख विद्वान् 'वोल्फ' ने कहा है कि आगे अमेरिका का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम होगा। यदि आतंकी हमलों का यह सुखद परिणाम है, तो सब जगह आतंकी हमले होने चाहिए। फिर अमेरिका को आतंकवादी कहने का क्या औचित्य है ? तब तो वर्तमान आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहना ही ठीक लगता है। मुस्लिमों ने ये सूचनायें दी हैं कि अमेरिकन्स स्वेच्छा से मुसलमान बने हैं, उनपर कोई दबाव नहीं डाला गया, किन्तु उनका यह कथन युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं उन बातों को अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों से जोड़ा है, अर्थात् इन बातों को उन हमलों का सुखद परिणाम माना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आतंकी हमलों द्वारा दबाव डाला गया या दबाव बनाया गया। धर्मान्तरण के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम उस तरह की जोर जबरदस्ती तो अमेरिकंस पर कर सकते नहीं, जैसी जोर जबरदस्ती मुस्लिमों ने भारत में हिन्दुओं पर

उन्हें मुसलमान बनाने में की थी। भारत में उस समय मुस्लिमों का शासन था, जबकि आज अमेरिका पर मुस्लिमों का शासन नहीं है।

आधुनिक मुस्लिम सवाल उठाते हैं कि मुसलमान हिन्दू क्यों नहीं बनता। इसका उत्तर यह है कि हिन्दू किसी का धर्मान्तरण कराने में न विश्वास रखते और न रूचि। फिर भी सूचना आई है कि हाल में गोरखपुर के तीन मुस्लिमों ने स्वेच्छा से हिन्दू धर्म ग्रहण किया। हम धर्मान्तरित हिन्दुओं का शुद्धीकरण कराने और उन्हें पुनः हिन्दु धर्म ग्रहण कराने के पक्षधर अवश्य हैं। बहरहाल अमेरिका की स्थिति पर अमेरिकी सरकार को चिन्तन करने की आवश्यकता है।

किसी भी युक्ति या तर्क से इस ऐतिहासिक तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि मुसलमानों ने हिन्दुओं का जबरन धर्मान्तरण कराया था और उनपर जुल्म ढाया था। बहरहाल मुस्लिमों को यह तो समझना चाहिए कि किसी धर्मनिरपेक्ष देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं हो सकता, इसलिए भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, परन्तु सारे इस्लामिक देशों का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। अतः कोई भी इस्लामिक देश धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का समर्थक नहीं हो सकता और सर्वधर्म समभाव का पक्षधर नही हो सकता। किन्तु यदि भारत का मुस्लिम चाहे, तो धर्मनिरपेक्ष शासन-व्यवस्था का समर्थक बन सकता है और सर्वधर्म समभाव का पक्षधर बन सकता है।

चाहे नफरत एवं कट्टरवादिता पोशीदा हो या उजागर, नफरत व कट्टरवादिता के साथ विभिन्न मतावलम्बियों और धर्मावलम्बियों का एक देश में मजबूरीवश रहना तथा एक दूसरे का विरोध करते रहना एवं एक दूसरे से लड़ते रहना कोई आदर्श नहीं है और दूसरों के लिए कोई मिसाल नहीं है। इसके विपरीत उदारवादिता की एवं भाईचारे की भावना के साथ तथा सर्वधर्म समभाव के साथ खुल कर विभिन्न मतावलम्बियों एवं धर्मावलम्बियों का आपस में मिलजुल कर अमनचैन से एक देश में रहना आदर्श होगा, एक मिसाल होगी।

पाकिस्तान इस्लामिक देश है। वहाँ कुरान, शैरियत, हदीस सब मान्य है, अन्य समुदायों का प्रभावी कोई हस्तक्षेप नहीं है, विरोध नहीं है, फिर भी मुस्लिमों के ख्वाब के अनुसार उस धरती पर स्थितियाँ किंचित भी बेहतर नहीं हैं, वरन् अधिक खराब हैं। वहाँ धार्मिक विवाद एवं आपसी मतभेद की स्थिति बहुत पहले से रही है और तभी इस्लाम एवं मुस्लिम की परिभाषा करने के लिए एक कमीशन बैठाया गया था। आज तो वहाँ धार्मिक विवाद एवं आपसी मतभेद की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि वहाँ आतंकवाद के समर्थकों और विरोधियों में जबरदस्त टकराव है एवं तथाकथित उदारवादी मुस्लिमों एवं कट्टरवादी मुस्लिमों के बीच जबरदस्त तनाव है। यदि इस्लाम ही सब कुछ ठीक

कर सकता और अमनचैन कायम कर सकता, तो पाकिस्तान में दशा ऐसी खराब न होती। दूसरी ओर भारत है, जहाँ धर्मनिरपेक्ष संविधान लागू है, सभी समुदायों की भागीदारी भी है, हस्तक्षेप भी है और उनकी ओर से प्रभावी विरोध भी है, फिर भी भारत की धरती पर स्थितियों पाकिस्तान की धरती की अपेक्षा बेहतर हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। यह विचारणीय बात है जिसपर भारतीय मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि सारी धरती इस्लामिक धरती हो जाय और सभी लोग मुसलमान हो जाँय एवं सर्वत्र मुस्लिमों का शासन कायम हो जाय, तो धरती पर बिगाड़ नहीं होगा, सर्वत्र अमनचैन होगा, कोई समस्या नहीं रहेगी कोई तनाव नहीं रहेगा, सर्वत्र खुशहाली ही खुशहाली होगी, सब धरती का सुख भोगेंगे और स्वर्ग के अधिकारी होंगे, नर्क में जाने वाला कोई नहीं बचेगा, नर्क की आग में किसी को जलना नहीं पड़ेगा, सब अल्लाह के प्यारे बन्दे हो जायँगे और नेक काम करेंगे तथा अन्त में स्वर्ग में पहुंचने पर उन्हें हूरें मिलेंगी, गिलमा मिलेगा एवं रुहों के मजे हो जायँगे। यह मात्र ख्वाब है, जो पूरा होने वाला नहीं है।

यदि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन चलाना है, तो तुष्टीकरण की नीति का परित्याग करना पड़ेगा, जातिगत भेद-भाव को तिरोहित करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद की रोक-थाम करनी पड़ेगी, नैतिकता व सदाचार का वरण करना पड़ेगा, मानवता का भाव विकसित करना पड़ेगा तथा भारत की तरक्की एवं सुदृढ़ सुरक्षा के लिए ईमानदारी से प्रयास, प्रयत्न और परिश्रम करना पड़ेगा। और यदि सभी मतावलम्बियों एवं धर्मावलम्बियों को एक साथ मिलजुल कर अमनचैन से भारत में रहना है, तो सभी समुदायों को अपनी-अपनी पूजा-पद्धतियों का अनुसरण एवं अनुकरण करते हुए तथा अपने-अपने उपास्यों की आराधना करते हुए, सर्वधर्म समभाव एवं समता के भाव के साथ भारत के संविधान को सर्वोच्च मान्यता देते हुए, अच्छे नागरिक के रूप में अच्छा काम करते हुए एवं अधिकारों का मानवतापूर्ण ढंग से एवं न्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हुए, अपने प्रति संवेदनशील रहने के साथ दूसरों के प्रति भी संवेदनशील रहते हुए, अपने-अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से करते हुए और समस्याओं को मिल-बैठ कर शान्तिपूर्वक सुलझाते हुए, लड़ाई-झगड़े का परित्याग करते हुए एवं एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए जीवनयापन करना होगा। यही है समन्वय एवं सामन्जस्य का सूत्र, जिसे हृदयंगम करके जीवन में व्यावहारिक धरातल पर चरितार्थ करने की परम आवश्कता है। यही इस आकिंचन के चिन्तन का सार है, उसका ख्वाब है, उसकी ख्वाहिश है, उसका सन्देश है और प्रयास है। इन्हीं बातों का यह आकिंचन समर्थक एवं पक्षधर है।

हज के प्रक्रम में इस आकिंचन का मानना है कि जिसने जीवन में सारे फ़रायज पूरे कर लिये हों, जिसने ईमानदारी से जीवन जीने की पूरी कोशिश की हो, जिसने सच्चा, अच्छा व भला इन्सान बनने की पूरी कोशिश की हो, जिसने नियमपूर्वक हर रोज अल्लाह की मन लगाकर इबादत करने का अभ्यास किया हो, जिसने शुद्ध-भाव से रोज़ा, जकात नमाज़ का पालन करने की पूरी कोशिश की हो, जिसने इस बात की कोशिश की हो कि दूसरों के प्रति उससे कहीं कोई अन्याय न हो, जिसने सदैव भ्रष्टाचार से दूर रहने, तारीफ से परे होने, ऐबों से बरी रहने की कोशिश की हो, जिसने सदैव नेक काम करने की कोशिश की हो, जिसने ऐश में भी अल्लाह को याद रखने एवं तैश में अल्लाह के खौफ का ध्यान रखने की कोशिश की हो, जिसने गुनाह से बचते रहने की कोशिश की हो, जिसने गरीबों की मदद करते रहने की कोशिश की हो, जिसने दुर्भावना से विरत होने की कोशिश की हो, वह वास्तव में हज करने का अधिकारी है। इन्सान से जाने अनजाने भूल-चूक हो जाना स्वाभाविक है। फिर भी भूल-चूक करने वाला व्यक्ति उसके लिए स्वयं उत्तरदायी है, ऐसा समझना चाहिए और उसके लिए भी उसे अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति चलते-फिरते कहीं दिख जाय, जिसके प्रति उसके द्वारा कभी बुरा अनजाने में हो गया था, तो उससे भी माफी माँगनी चाहिए। यह सब काम पूरा करके तब उसे हज के लिए रवाना होना चाहिए। शुद्ध-भाव से अल्लाह को याद करते हुए रास्ता तय करना चाहिए। काबा पहुंच कर उसे उसी भाव से अविभूत रहते हुए सिजदा करना चाहिए। केवल हाजी कहलाने के लिए हज करने की कोई विशेष सार्थकता नहीं है। तीर्थ यात्रा के परिप्रेक्ष्य में हिन्दुओं के लिए भी ऐसा ही कथन प्रासांगिक है।

भारत के मुस्लिमों को कथित सारी बातों पर ठीक ढंग से गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करके निर्णय करना है कि वास्तव में वे क्या करें और किस मार्ग पर चलें। उनकी मदद के लिए इतिहास उनके सामने है, उनके पूर्वजों के कथन व कृत्य उनके सामने हैं और इस आकिंचन के विचार व सुझाव उनके सामने हैं। भारत के गैर-मुस्लिमों को भी सारी बातों पर ठीक ढंग से गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करके निर्णय करना है कि वे वास्तव में क्या करें और किस मार्ग पर चलें। उनकी मदद के लिए इतिहास उनके सामने है, उनके पूर्वजों के कथन व कृत्य उनके सामने हैं और इस आकिंचन के विचार व सुझाव उनके सामने हैं। किसी प्रकार लड़खड़ाते हुए पूर्ववत् गाड़ी चलाते रहने से काम नहीं चलेगा और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। समन्वित एवं सामंजस्यपूर्ण मार्ग निकालना ही होगा।

यह आकिंचन अपने विचारों व सुझावों की प्रस्तुति की समाप्ति के साथ पाठकों को शहन्शाही वाणी सुनाता हुआ उनसे विदा लेता है –

"मथ के वेद-पुराण ये जाना।
तुम्हरी कृपा बिन होय न ज्ञाना।।
तुम्हरी भक्ति बिन ज्ञान न होये।
तुम बिन जन्म अकारथ खोये।।
वाको दुःख दे सकत न कोई।
जा पर कृपा तुम्हारी होईं।।
अचल भक्ति जाकी तुम माहीं।
ताहि खेद और भय कुछ नाहीं।।
जो तुमसे नित नाता जोड़े।
बाग सकल विषयन से मोड़े।।
जा पर कृपा तुम्हारी होवे।
चादर तान अटारी सोवे।।
तुम बिन टूटे न माया ग्रन्थी।
पहुँचे न तुम बिन निज गृह पन्थी।।
जो तुम्हारो नित ध्यान लगावे।
मन वांछित फल निश्चय पावे।।
सब की तुम हो जीवन बूटी।
तुम बिन माया ममता झूठी।।
हितकर हो तुम ही सब केरे।
वृथा है जग के झगड़े झेड़े।।"

प्रार्थना

"इस आकिंचन को सिखा दो प्रीती की रीति अपनी।
जिससे अमर हो पी के अमृत का जाम तेरा।।"

लखनऊ :
दिनांक : 28 मार्च, 2002

रवि कान्त खरे
(बाबा जी)

"गुरूर किस पे करूँ, चीज क्या हमारी है।
कल्पना मेरी है, मगर प्रेरणा तुम्हारी है।।
अच्छी बातों को समझना बड़ा मुश्किल है मगर।
बात तो तब बने, जब बात समझ में आए।।
जो की फ़रहाद ने कोशिश, हुई हासिल उसे मंजिल।
इसी कोशिश से ही प्रह्लाद को भक्ती हुई हासिल।।
इसी कोशिश से मीरा को मिलीं घनश्याम की बाहें।
जो की बापू ने कोशिश, तो खुलीं जो बन्द थी राहें।।
जहाँ में जिसने की कोशिश, जेहल से उठ गया ऊपर।
इसी कोशिश से ही इन्सान पहुँचा चाँद पर जाकर।।
यही कोशिश है, जिससे मुश्किलें आसान होती हैं।
यही कोशिश है, जिससे सुरखरु इन्सान होते हैं।।

रवि कान्त खरे
(बाबा जी)

रवि कान्त खरे (बाबा जी)
की अन्य प्रस्तुतियाँ

1 विचार–बिन्दु भाग - 1

2 विचार–बिन्दु भाग - 2

3 विचार–बिन्दु भाग - 3

4 गीता दिग्दर्शन

5 वैचारिकी (प्रथम सोपान)

6 शहन्शाही संस्मरण एवं चमत्कार

7 ममतामयी माता त्यागानन्द जी महाराज के संस्मरण एवं चमत्कार

8 सत्संगी के प्रसून

9 वैचारिकी (द्वितीय सोपान)

10 वैचारिकी (तृतीय सोपान)